लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

तेरहवां सत्र
Thirteenth Session

Parliament Library
18-6-92
26-11-83

सत्यमेव जयते

[खंड 48 में अंक 11 से 20 तक हैं]
[**Vol. XLVIII contains Nos. 11 to 20**]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 18—सोमवार, 29 नवम्बर, 1965/8 अग्रहायण, 1887 (शक)

No. 18—*Monday, November* 29, 1965/*Agrahayana*, 8 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
506	छम्ब-जोरियां क्षेत्र में युद्ध विराम	Cease-Fire in Chhamb-Jaurian Sector	1577–81
507	नेफा में सुरक्षा सम्बन्धी रिपोर्टें	Reports on Defences in NEFA .	1582
532	नेफा तथा लद्दाख की प्रतिरक्षा संबंधी प्रतिवेदन	Report on Defences of NEFA and Ladakh	1582–84
508	चीनियों द्वारा भारतीय पुलिस के सिपाहियों का मारा जाना	Indian Policemen killed by Chinese	1585–86
510	विदेशों को विशेष प्रतिनिधि मंडल	Special Delegations to Foreign Countries	1586–92
511	देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के बारे में करार	Agreement re: Non-intervention in Internal Affairs of States .	1592–93
512	पखतून आन्दोलन	Pakhtoon movement . . .	1593–95

अल्प सूचना प्रश्न संख्या

Short Notice Question No.

5	इण्डोनेशियाई-पाकिस्तानी संयुक्त नौसैनिक अभ्यास	Joint Indonesian—Pakistani Naval Exercises	1595–97

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.			
513	पाकिस्तानी सेना से पकड़ा गया सामान	Equipment seized from Pakistan Forces	1597–98
514	जवानों के लिए स्मारक	Memorial for Jawans . .	1598
515	भारत अधिकृत पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र	Pak. territory occupied by India.	1598–99
516	सोवियत संघ से ट्रांसमिटर	Transmitter from U.S.S.R. . .	1599

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
517	ब्रिटिश गियाना के लिए स्वतंत्रता	Independence for British Guiana	1600
518	विदेशों से सैनिक सहायता	Arms Aid from Foreign Countries	1600
519	सोवियत संघ तथा अमरीका से सैनिक सहायता	Russian and American Military Aid	1600–01
520	पाकिस्तान द्वारा टैंक मार मिसाइलों का प्रयोग	Use of Anti-Tank Missiles by Pakistan	1601
521	अमरीकी युद्ध-बन्दियों को मारना	Execution of American Prisoners-of-War	1601–02
522	पूर्वी पाकिस्तान में आन्दोलन	Upsurge in East Pakistan .	1602
523	परमाणु खतरे के विरुद्ध गारन्टी	Guarantee against nuclear threat	1602–03
524	संयुक्त राष्ट्र संघ से काश्मीर प्रश्न वापिस लेना	Withdrawal of Kashmir Question from U.N.O. . . .	1603
525	डोगराई में पाकिस्तान द्वारा गोलाबारी	Pak firing in Dograi . .	1603–04
526	रेडियो लाइसेंस पास बुकें छापना	Printing of Broadcast Receiver License Pass Books. . .	1604
528	भारत-पाकिस्तान संघर्ष में रूस का मध्यस्थता का प्रस्ताव	Soviet Offer of mediation in Indo-Pakistan conflict . . .	1604
529	भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा सुरक्षा परिषद् से उठकर चले जाने के बारे में टेलीविजन	T. V. Programme on Indian Delegation's Walk-out from the Security Council . . .	1605
530	विदेशों से हथियारों की सहायता	Arms Aid from Foreign countsies	1605–06
531	मिग विमान कारखाने	M.I.G. Factories . . .	1606
533	आकाशवाणी से राजनैतिक दलों के नेताओं के भाषणों का प्रसारण	Broadcasts of Speeches of Leaders of Political Parties from A.I.R.	1606–07
534	ब्रिटिश मंत्रियों की भारत यात्रा	U.K. Ministers' visit to India .	1607
535	रेलवे मंत्री की विदेश यात्रा	Railway Minister's visit abroad.	1607–08

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1391	सीमावर्ती सड़कें	Border Roads	1608
1392	तेल्लीचेरी टेलीफोन एक्सचेंज में सुविधायें	Amenities in Tellichery Telephone Exchange	1608–09
1393	आई० एन० एस० बारक्कल	I.N.S., Varakkal . . .	1609
1394	सुन्दरनगर (टाटानगर) में टेलीफोन एक्सचेंज	Sundernagar-Tatanagar Telephone Exchange	1609
1395	महाराष्ट्र में डाक व तार प्रशिक्षण केन्द्र	P. & T. Training Centre in Maharashtra	1609

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1396	पाकिस्तानियों का भारत में अवैध प्रवेश	Pak. Infiltrations .	1610
1397	उड़ीसा में किराये की इमारतों में डाक घर	Post Offices in Rented Buildings in Orissa	1610
1398	आकाशवाणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Staff Quarters for A.I.R. Employees	1610
1399	राजस्थान में डाकघरों में जमा राशि	Deposits in Post Offices in Rajasthan	1611
1400	राजस्थान में टेलीफोन राजस्व की बकाया राशि	Outstanding Telephone Revenue in Rajasthan . . .	1611
1401	राजस्थान में डाक सेवा	Postal Service in Rajasthan .	1611
1402	उड़ी-पुंछ सड़क	Uri-Poonch Road . . .	1612
1403	उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन (पी० सी० ओ०)	P.C.Os. in U.P. . . .	1612
1404	नागालैंड सम्बन्धी मामले	Nagaland Affairs . . .	1612
1405	पाकिस्तानी आक्रमण में हताहत व्यक्तियों के बच्चों का गोद लिया जाना	Adoption of Children of Victims of Pak. Aggression . . .	1613
1406	राष्ट्रीय सेना छात्र दल के केडिट	N.C.C. Cadets	1613
1407	डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता	D.A. For P & T Employees . .	1613–1614
1408	विद्रोही नागाओं की विद्रोहपूर्ण कार्रवाइयां	Hostile Action of Revel Nagas .	1614
1409	नजरबन्द लोगों द्वारा राष्ट्रीय रक्षा कोष में अंशदान	N.D.F. Contributions by Detenus	1614
1410	राष्ट्रीय छात्र सेना दल के विद्यार्थी	N.C.C. Students . . .	1615–1616
1411	अग्रिम क्षेत्रों में डाक व तार विभाग के कर्मचारी	P & T Employees in the Forward Areas	1616
1412	अदन में दंगे	Riots in Aden	1616
1413	परमाणु हथियार	Nuclear Weapons . . .	1617
1414	पकड़े गये हथियारों का प्रयोग	Use of Captured Arms . .	1617
1415	भारत-पाकिस्तान संघर्ष के कारण हुई क्षति	Damage due to Indo-Pak. Conflict	1617–1618
1416	अग्रिम क्षेत्रों में फिल्म कलाकारों द्वारा सैनिकों का मनोरंजन	Entertainment by Film Artists at the Front. . . .	1618–1619
1417	जवानों के वीरता के कारनामों का प्रचार	Publicity of Acts of Bravery of Jawans	1619
1418	विमान-भेदी तोपें	Anti-aircraft guns . . .	1620

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1419	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में विमानों का निर्माण	Production of Aircrafts at H.A.L.	1620
1420	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों पर लागू पेंशन नियम	Pension Rules for Defence Establishment Employees . .	1620–1621
1421	इंजीनियरी उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Engineering Industry	1621
1422	प्रबन्ध में कर्मचारियों का योग	Workers' Participation in Management	1621
1423	प्रादेशिक सेना	Territorial Army . . .	1621–1622
1424	स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज	Automatic Telephone Exchanges.	1622
1425	पाकिस्तान द्वारा सीमा स्तम्भों का उखाड़ा जाना	Removal of Boundry Pillars by Pakistan	1622–1623
1426	मिग विमान कारखाना	MIG Factory	1623
1427	ओझर में मिग विमान कारखाने के लिये भूमि का अर्जन	Acquisition of Lands for M.I.G. Factory in Ozar . . .	1623–1624
1428	इंगलिस्तान में काले रंग के लोगों में असुरक्षा की भावना	Insecurity for Coloured People in U.K.	1624
1429	भारत-लंका करार	Indo-Ceylonese Agreement .	1624–1625
1430	भूमि के नीचे किये गये आण्विक विस्फोटों का पता लगाने के लिये दक्षिण भारत में स्थान	Site for Underground Atomic Explosions in South India .	1625
1431	भारतीय नौसेना	Indian Navy	1625
1432	राजनयिक मिशन	Diplomatic Missions . . .	1626
1433	फ्रीगेटों (जंगी जहाजों) का निर्माण	Construction of Frigates . .	1626
1434	अमरीका से "फ्रीडम फाइटर" विमान	Freedom Fighter planes from U.S.A.	1626
1435	भारत-पाकिस्तान सीमा पर सामरिक निर्माण	Strategic Structures on Indo-Pak. Border	1647
1436	पाकिस्तानी छाता सैनिक	Pak Paratroopers . . .	1627
1437	बैंक आफ् चाइना	Bank of China . . .	1627
1438	पंजाब में भर्ती केन्द्र	Reeruiting Centres in Punjab .	1628
1439	सिक्किम-तिब्बत सीमा	Sikkim-Tibet Border . . .	1628
1440	सीमावर्ती क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchange in Border Areas	1628–1629
1441	लंका में रहने वाले भारतीय लोग	Indian Residents in Ceylon .	1629
1442	अरब के समाचार-पत्र	Arab Press	1629–1630
1443	सैनिक सहचारियों (मिलीटरी अटेची) का अग्रिम क्षेत्रों का दौरा	Visit of Military Attaches to Forward Areas	1630

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1444	पाकिस्तानी क्षेत्र में भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान का बलात् उतारा जाना	Force-Landing of Indian Air Force Fighters in Pakistan Territory	1630
1445	आकाशवाणी से व्यापार सम्बन्धी प्रसारण	Commercial Broadcasting by AIR	1631
1446	"किरन जेट" विमान	'Kiron' Jets . .	1631
1447	संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक	U.N. Observers. . . .	1631–1632
1448	संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक	U.N. Observers. . . .	1632
1449	करीमगंज जिला कांगेस कमेटी के मंत्री की पाकिस्तान द्वारा गिरफ्तारी	Arrest of Secretary of Karimganj District Congress Committee by Pakistan	1632
1450	भारत अधिकृत पाकिस्तानी क्षेत्र में पाकिस्तानी	Pakistanis in Territories of Pakistan Occupied by India . .	1633
1451	सैनिक कर्मचारियों के लिए चिकित्सा की सुविधायें	Medical Facilities for Army Personnel	1633
1452	वैज्ञानिकों की समिति	Committee of Scientists . .	1633
1453	भारतीय नौसेना के लिये पनडुब्बियां	Submarines for Indian Navy .	1634
1454	मुस्लिम देशों का सम्मेलन	Conference of Muslim States .	1634
1455	औद्योगिक संस्थानों में उचित दाम वाली दुकानें	Fair Price Shops in Industrial Establishments . . .	1634–1635
1456	धोरी कोयला खान में दुर्घटना	Accident in Dhori Colliery	1635
1457	सैनिक अस्पताल	Military Hospitals . . .	1635
1458	नादिया जिले में पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी	Pak. Firings in Nadia District .	1635–1636
1459	युद्ध चल-चित्रों का प्रदर्शन	Exhibition of War Films . .	1636
1460	ग्रामीण क्षेत्रों में समाचार	News in Rural Areas . . .	1636–1637
1461	पंजाबी कार्यक्रमों का प्रसारण	Broadcast of Panjabi Programmes	1637
1462	सूती कपड़ा उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Cotton Textile Industry	1637
1463	जैसलमेर पर पाकिस्तानी विमान द्वारा बमबारी	Strafing by Pak. Plane over Jaisalmer	1637
1464	कम्बोडिया के सम्बन्ध में जेनेवा जैसा सम्मेलन	Geneva-type Conference on Cambodia	1638
1465	बर्मा से सम्पत्ति की वापसी	Repatriation of Assets from Burma	1638
1466	अमरीकी कांग्रेस दल की यात्रा	Visit of U.S. Congress Team .	1638–1639
1467	सशस्त्र सेना मुख्य कार्यालय के असैनिक स्टोरकीपर	Civilian Store Keepers in Armed Forces Headquarters . .	1639
1468	सशस्त्र सेना मुख्य कार्यालय में असैनिक स्टोरकीपर	Civilian Store Keepers in Armed Forces Headquatrers . .	1639–1640

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1469	वायु सेना के मुख्य कार्यालय में एल० डी० सीज० की पदोन्नतियां	Promotions of L.D.Cs. in Air Headquarters . . .	1640
1470	बाह्य अन्तरिक्ष कार्यक्रम	Outer Space Programme . .	1640–1641
1471	नये प्रकार के हथियार	New Types of Arms . . .	1641–1642
1472	उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections in Orissa .	1642
1473	उड़ीसा में डाकघर	Post Offices in Orissa . .	1642–1644
1474	उड़ीसा में टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchange in Orissa .	1644
1475	उड़ीसा में डाक और तार कर्मचारियों के लिये सरकारी मकान	Government Accommodation for Posts and Telegraphs Employees, Orissa	1644
1476	उड़ीसा में डाकघर	Post Offices in Orissa . . .	1644–1645
1477	विरोधी दलों को प्रसारण की सुविधायें	Broadcasting facilities to Opposition Parties	1645
1478	पत्रों द्वारा पाकिस्तान को उत्तर देने की भारत की स्वतन्त्रता	India's Freedom to reply to Pakistan through Letters . . .	1645
1479	हाजी पीर क्षेत्र में टेलीफोन सुविधायें	Telephone Facilities in Harji Pir Area	1646
1480	अमरीका तथा सोवियत संघ में भारतीय मिशनों पर व्यय	Expenditure on Indian Mission in U.S.A. and U.S.S.R. . .	1646
1481	गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा सोवियत संघ की यात्रा	Visit of Private Indiviuals to the U.S.S.R.	1646–1647
1482	पाकिस्तान युद्ध कोष के लिये अंशदान	Contributions to Pakistan War Fund	1647
1483	पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोलीबारी	Firing by East Pak. Rifles . .	1647
1484	सुच्चा सिंह के विरुद्ध मुकद्दमा	Proceedings against Sucha Singh	1648
1485	भारत इलेक्ट्रानिक्स, बंगलौर	Bharat Electronics, Balgalore .	1648
1486	प्राथमिकता सन्देश	Priority Messages . . .	1648–1649
1487	टेलीफोन राजस्व	Telephone Revenue . . .	1649
1488	तार और टेलीफोन राजस्व प्रणाली	Telegraph and Telephone Revenue System	1649–1650
1489	पोस्ट मास्टर जनरल, मद्रास	P.M.G. Madras . . .	1650
1490	नेहरू निधि के लिये अंशदान	Contributions to the Nehru Fund	1650–1651
1491	विभिन्न उद्योगो में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान	Payment of Dearness Allowance to Workers in Various Industries .	1651
1492	बनाजा टेक्सटाइल्स (केरल)	Vanaja Textiles (Kerala) . .	1651
1493	छोटा नागपुर में रोजगार की स्थिति	Employment Position in Chhota Nagpur	1652
1494	आकाशवाणी के आदिवासी भाषाओं में कार्यक्रम	Adivasi Languages Programmes on A.I.R.	1652

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1495	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बोनस का भुगतान	Payment of Bonus in Public Sector under takings	1652–53
1496	पाकिस्तान द्वारा अपने हमलावरों को प्रशिक्षण देने के बारे में लिखित प्रमाण	Documentary Proof of Training by Pak. of their Raiders .	1653–54
1497	आयुध कारखानों के मुख्याधिकारियों के वेतनक्रम	Salary Scales of Chief Executives in Ordnance Factories .	1654
1498	बेरोजगार हुए कर्मचारी	Displaced Workers . . .	1655
1499	विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Displaced Persons	1655–56
1500	राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund . .	1656
1501	नारी रक्षा समिति द्वारा राष्ट्रीय रक्षा कोष में अंशदान	Contribution to NDF by Nari Raksha Samiti . . .	1656
1502	गाजियाबाद के निकट भारतीय वायु सेना के हवाई अड्डे के लिए भूमि का अर्जन	Acquisition of Land for I.A.F. Aerodrome near Ghaziabad .	1657
1503	गाजियाबाद के निकट सड़क निर्माण	Construction of Road near Ghaziabad	1657
1504	सिंगापुर द्वारा मध्यस्थता करने का प्रस्ताव	Offer of Good Offices from Singapore	1658
1505	नसीराबाद छावनी क्षेत्र	Nasirabad Cantonment Area .	1658
1506	पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा भारतीय गश्ती दस्ते पर गोलीबारी	Firing by East Pakistan Rifles on Indian Patrol Party . .	1658–59
1507	रोडेशिया	Rhodesia	1659
1508	पनडुबियां	Submarines	1659–60
1509	सिंगापुर के अधिकारियों का प्रशिक्षण	Training of Singapore Officials .	1660
1510	चीन में भारतीय राजनयिक अधिकारियों को निदेश	Instructions to Indian Diplomats in China	1660
1511	भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध-विराम रेखा पर शूटिंग के अभ्यास के बारे में समझौता	Indo-Pak. Agreement on Shooting Practices on Cease-fire Line .	1660–61
1512	उच्चतर माध्यमिक और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षाओं में आयु-सीमा में छूट	Relaxation of Age Limit for Higher Secondary and N.D.A. Examination	1661
1513	विराम सन्धि अधीक्षक का चुनाव	Selection of Truce Supervisor .	1661–62
1514	चौथी योजना में रोजगार की संभावनायें	Employment Potential During Fourth Plan	1662
1515	कोलार की सोने की खानों के मजदूर	Labourers of Kolar Gold Fields.	1662

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1516 अकाल की स्थिति के कारण बेरोजगारी	Unemployment due to Famine conditions	1662–63
1517 तीसरी योजना में रोजगार	Employment during Third Plan	1663
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of urgent Public Importance—	
गारो हिल्स, आसाम में सशस्त्र पाकिस्तानियों के अनाहूत-प्रवश और एक भारतीय ग्रामीण रक्षा दल पर गोलीबारी करने के समाचार—	Reported intrution of armed Pakistanis into Garo Hills, Assam and opening of fire on an Indian village defence party—	
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh . .	1663
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshvantrao Chavan	1663–64
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में	Re : Banaras Hindu University	1665
विशेषाधिकार का प्रश्न	Questions of Privilege . .	1665–76
राज्य-सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha .	1677–78
रलवे अधिसमय समिति का प्रतिवेदन	Report of Railway Convention Committee	1678
विधेयक पुरःस्थापित—	Bills introduced—	
(एक) केरल विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1965 ; और	(i) Kerala Appropriation (No. 5) Bill 1965; and . . .	1678
(दो) बिजली (संभरण) संशोधन विधेयक, 1965	(ii) Electricity (Supply) Amendment Bill, 1965 . . .	1679
व्यवस्था के प्रश्न के बारे में	Re : Point of Order . .	
दिल्ली माध्यमिक शिक्षा विधेयक—	Delhi Secondary Education Bill—	
विचार करने तथा संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion : to consider, and to refer to Joint Committee—	
श्री नवल प्रभाकर	Shri Naval Prabhakar . .	1679
श्रीमती लक्ष्मी बाई	Shrimati Laxmi Bai . .	1680
श्री बाल्मीकी	Shri Balmiki . . .	1680–81
श्री रामेश्वरानन्द	Shri Rameshwaranand .	1681–82
श्री श० ना० चतुर्वेदी	Shri S. N. Chaturvedi . .	1682
श्री मान सिंह पू० पटेल	Shri Man Singh P. Patel .	1683–84
श्री काशी राम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta .	1684–85
श्री अ० शंकर आल्वा	Shri A. S. Alva . . .	1685–86
डा० सरोजिनी महिषी	Dr. Sarogini Mahishi . .	1686–87
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain . .	1687
श्री मोहन स्वरूप	Shri Mohan Swarup . .	1687–88
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das .	1688

विषय		पृष्ठ
	SUBJECT	PAGES
डा० मा० श्री० अणे	Dr. M. S. Aney . .	1688–89
श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla . .	1689–93
भारतीय नारियल समिति तथा भारतीय केंद्रीय तिलहन समिति के बारे में संकल्प—	Resolutions re : Indian Coconut Committee and Indian Central Oilseeds Committee—	
श्री वारियर	Shri Warior . . .	1694–95
श्री मान सिंह पृ० पटेल	Shri Man Singh P. Patel	1695
श्री मणियंगाडन	Shri Maniyangadan . .	1695
पीकिंग में भारतीय कार्यदूत [के उठकर चले जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion re :Walk-out by Indian Charge D'Affaires in Peking—	
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	1695–96
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh . .	1696–97

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 29 नवम्बर, 1965/8 अग्रहायण, 1887 (शक)
Monday, November 29, 1965/Agrahayana 8, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

छम्ब-जौरियाँ क्षेत्र में युद्ध विराम

+

***506. श्री मधु लिमये :**

श्री बागड़ी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ नें निर्णय किया है कि छम्ब-जौरियां क्षेत्र में युद्ध विराम का पर्यवेक्षण सियालकोट, लाहौर, कसूर और राजस्थान जैसे अन्य क्षेत्रों से भिन्न आधार पर किया जायगा ;

(ख) यदि हां, तो इस विभिन्नता के क्या कारण है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जम्मू और काश्मीर के बाहर के इलाकों के युद्ध-विराम की देखरेख को जम्मू और काश्मीर में बहुत दिनों से चली आ रही युद्ध-विराम की कार्रवाई से अलग रखा है और एक अलग संगठन बनाया है जो इस बात का सुनिश्चय करेगा कि जम्मू और काश्मीर के बाहर के इलाकों में युद्ध-विराम का पालन हो ।

(ग) भारत सरकार ने महासचिव के निर्णय पर आपत्ति की है और यह कहा है कि युद्ध-विराम के देखरेख की कार्रवाई एक होनी चाहिए और एक कमांड के अधीन एक ही ग्रुप के प्रेक्षकों द्वारा की जानी चाहिए ।

Shri Madhu Limaye : May I know whether Government is aware that the persons like British Prime Minister, Herold Wilson and Secretary Genral of U.N.O. have differentiated between the violation of border on 1st September by Pakistan and our counter action of the 6th September and have declared India as an aggressor. Have the separate arrangements, been made for Chhamb Jaurian and Lahore, Sialkot and Rajasthan with this view only? If so, whether Government have objected to it and why have the U.N. Obsevers been allowed to come in the Chhamb Jaurian area ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि महासचिव को दूसरे नेताओं के, जो कि दूसरे देशों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ मिलाना न तो उचित है और न ही ठीक है । महासचिव एशिया के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उन का व्यक्तिगत रूप में तथा राष्ट्रसंघ के उच्च अधिकारी होने के नाते बड़ा मान है । इसलिये मैं सदस्यों से अपील करता हूं कि वे उचित पुष्टि किये बिना महासचिव के बारे में कोई बात न कहे । **(अन्तर्बाधा)** ।

इस प्रश्न-विशेष पर महासचिव ने अपने प्रतिवेदन में स्थिति स्पष्ट कर दी है कि सारा झगड़ा एक है और वह दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता । उन्होंने जम्मू-काश्मीर से बाहर के क्षेत्रों के लिये अलग कमाण्ड बनाने के कुछ कारण बताये थे, मुख्यकर इस आधार पर कि जम्मू-काश्मीर में पहले वाला दल दोनों सरकारों, अर्थात्, भारत और पाकिस्तान की सरकारों में हुए करार के अन्तर्गत कार्य कर रहा है और उस दल का कार्यक्षेत्र दोनों सरकारों की सहमति के बिना नहीं बढ़ाया जा सकता । शान्ति स्थापित करने का कार्य सुरक्षा परिषद ने स्वयं आरम्भ किया है और इसलिये जम्मू-काश्मीर से बाहर के क्षेत्रों के लिये महासचिव ने अलग दल बनाया है ।

Shri Madhu Limaye : I rise on a point of order. I did not interfere because I wanted to listen. I am saying about U. Thant's statement only. I have not said any thing irresponsible. It has appeared in Hindustan Times.

Mr. Speaker : It is a matter of argument. You may please ask your next question.

Shri Madhu Limaye : In this connection I want to read one small sentence because without that it will not be clear.

> "ऊ० थांट ने कहा है कि दोनों सैनिक कार्यवाहियों में भिन्नता होने के कारण मैं काश्मीर से बाहर के क्षेत्रों में युद्धविराम और सेना को वापिसी के निरीक्षण के कार्य को भारत-पाकिस्तान सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सैनिक प्रेक्षक दल से अलग कर रहा हूं ।"

This is his statement according to which he has accepted that the two operations were separate. What I said in the beginning is fully proved by this sentence. Not only Mr. Harold Wilson but Secretary General also consider the aggression of Pakistan on Chhamb Jaurian as a part of Kashmir conflict whereas our counter attack is being considered by them as an aggression Hence this question comes up.

Mr. Speaker : Now, you may please ask next question. What benefit has been accrued from this explanation ?

Shri Madhu Limaye : The work regarding sending the observers specially from NATO Countries was strongly objected to by Russia. May I know as to why Government of India did not stick to their stand while Russia had objected to this action ? On the one hand we demand that the aggressor should be named by U.N.O. and on the other when actually the matter comes up we bow to their decision. I would like to know the reasons therefor ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस मामले में झुकने की कोई बात नहीं है । मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने बताया है कि दोनों कार्यवाहियों में प्रशासनिक तथा संचालन की दृष्टि से ताल मेल रखा जायेगा । उन्होंने इस पर जोर दिया है । ये उन के शब्द हैं ।

> "ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिये, कि इस पूरी प्रशासनिक कार्यवाही में कोई ऐसा सुझाव है कि भारत और पाकिस्तान के झगड़े और युद्ध-विराम का निरीक्षण और सेना की वापिसी का मामला एक नहीं है ।"

उन्होंने सदा यही रवैया अपनाया है कि सारा मामला एक है और जो कारण उन्होंने बताये हैं उन्ही के आधार पर काश्मीर से बाहर के क्षेत्रों के लिये पृथक कमाण्ड बनाई गई है । यदि सभा कारणों को विस्तार से जानना चाहती है तो मैं बताने को तैयार हूं ।

Shri Madhu Limaye : Why did you not stick to your stand.

Shri Bagri : Hon. Foreign Minister should be bold enough to say that injustice had been done to us.

श्री रानेन सेन : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय मन्त्री ने बताया है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा पृथक कमान के बनाये जाने के प्रस्ताव का भारत सरकार ने विरोध किया था । मेरे माननीय मित्र श्री मधु लिमये द्वारा जो प्रश्न किया गया था वह यह था कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ऊ थांट की इस कार्यवाही के रूस द्वारा कड़े विरोध के बावजूद भारत सरकार ने इस विरोध से कोई लाभ नहीं उठाया और अपनी बात पर अड़ी नहीं और इन लोगों को प्रेक्षण के लिये आने से मना नहीं किया है ।

श्री स्वर्ण सिंह : भारत के विरोध के बारे में महा सचिव ने सुरक्षा परिषद को अपनी रिपोर्ट के दौरान यह बताया है :

"मैं ने सुरक्षा परिषद तथा भारत और पाकिस्तान की सरकारों को विश्वास दिलाया है कि यू० एन० एम० ओ०जी० आई० पी० और यु० एन० आई० पी० ओ० एम० दोनों में प्रशासनिक तथा संचालन की दृष्टि से भारी ताल मेल और समन्वय होगा और इसलिये मैंने यू० एम० आई० पी० ओ० एम० के मुख्य अधिकारी को निम्मों से जितना सम्भव हो सके निकट सम्बन्ध स्थापित करने और इस सम्बन्ध को बनाये रखने के लिये कहा है । उन के लम्बे समय के अनुभव तथा इस क्षेत्र में लम्बी सेवा को देखते हुए मैंने संसेनापति निम्मों को दोनों कार्यवाहियों का कार्य देखने को कहा है ।"

महासचिव के इस आश्वासन को देखते हुए कि समस्त कार्यवाहियों को एक मनुष्य ही देखेगा हमने सोचा कि इस प्रबन्ध को चलने दिया जाये । दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि सोवियत विरोध के बावजूद हम ने इस से लाभ नहीं उठाया है । इस बारे में सोवियत सरकार द्वारा विरोध बहुत विलम्ब से किया गया था और मेरा विचार है कि कमान के स्थापित होने के 5 या 6 सप्ताह बाद यह विरोध किया गया था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह खर्चे के बारे में था ।

श्री स्वर्ण सिंह : वह विरोध भी उस खर्चे के लिये सोवियत प्रतिनिधि मण्डल ने किया था जो कि एक विशेष जनरल के भेजे जाने से सम्बन्धित था । किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में पहले कोई विरोध नहीं किया गया था । जो जनरल जम्मू और काश्मीर से बाहर के क्षेत्रों के लिये भेजा गया था वह कनाडा का रहने वाला था । हमारे पास इस आधार पर इसका विरोध करने का कोई विशेष कारण नहीं था ।

श्री नाथ पाई : क्या मैं माननीय मन्त्री को बता सकता हूं कि उन्होंने सभा में बहुत सी बातें कहीं हैं परन्तु उन के बावजूद वह सभा को विश्वास नहीं दिला सके हैं कि भारत सरकार ने अपनी बात क्यों बदल ली थीं ? क्या मैं भारत सरकार के संक्षेप की रिपोर्ट से पढ़ सकता हूं :

> "भारत सरकार का विचार है कि यदि प्रशासनिक दृष्टि से दो दलों की आवश्यकता होने पर भी वे एक ही अधिकारी के अधीन होने चाहिये ।"

भारत सरकार में दो दलों की नियुक्ति का विरोध किया था । सरकार इस विरोध पर मजबूती से अड़ी क्यों नहीं रही ? दो विभिन्न दलों तथा इन दलों की कमान जनरल निम्मो ही करे इस के लिये आग्रह

की बात इस से प्रकट है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि उन्होंने इस का विरोध किया था या नहीं ? यदि विरोध किया था तो उन्होंने विरोध वापस क्यों लिया ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम ने विरोध कभी वापस नहीं लिया। हमारे विरोध के बावजूद महासचिव का यह निर्णय था .... **(अन्तर्बाधा)**

श्री नाथ पाई : ऐसा लगता है कि सरकार इस को उचित सिद्ध करने का तथा इस को छिपाने का यत्न कर रही है। आप को इस बारे में अपनी लाचारी प्रकट कर देनी थी। परन्तु जिस तरीके से उन्होंने उत्तर दिया है उस से मालूम होता है कि वह जो कुछ चाहते थे वही हुआ है और वह उसका स्वागत करते हैं। मेरा विचार है कि आप ने भी ऐसा ही समझा है।

श्री स्वर्ण सिंह : जी नहीं। यदि ऐसी धारणा बन गई है, तो मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री नाथपाई : परन्तु यह धारणा भी आप की ही बनायी हुई है।

श्री स्वर्ण सिंह : यदि आप उन पत्रों को पुनः ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि मैं ने महा-सचिव की बात को ही दोहराया है जो उन्हों ने इसी रूप में कही थी। परन्तु अब भी हम यही समझते हैं कि अधिक अच्छा प्रबन्ध यही होता यदि केवल एक ही कमान रखी जाती। हम दो कमानों का विरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री शर्मा।

श्री नाथ पाई : क्या सरकार को ऐसा प्रबन्ध अस्वीकार करने की स्वतंत्रता नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : आप आगे कोई प्रश्न नहीं कर सकते।

श्री दी० चं० शर्मा : संयुक्त राष्ट्र उद्देश्य-पत्र की कौन सी धारा अथवा सुरक्षा परिषद के किस नियम के अन्तर्गत यह दो प्रबन्ध किये गये थे ?

अध्यक्ष महोदय : यहां पर धाराओं तथा विनियमों का उल्लेख नहीं किया जा सकता। यह वह स्वयं देख सकते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या महा-सचिव ने ये नियुक्तियां अपनी ओर से की हैं अथवा ऐसा करते समय संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद् की राय से ?

श्री स्वर्ण सिंह : एक बार पहले भी मैं ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट की थी। महा-सचिव ने अपनी ओर से पृथक कमान बनाने और प्रेक्षक दल के मुखिया जनरल का नामनिर्देशन करने का निर्णय लिया और इसे सुरक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त नहीं था। महा-सचिव का यही कहना था कि सुरक्षा परिषद के संकल्प द्वारा उन्होंने ऐसा किया था जिस के अनुसार उन्हें अग्रेतर कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया था। जैसा मैं ने पहले बताया उनकी इस कार्यवाही पर सोवियत संघ तथा फ्रांस दोनों ने आपत्ति की है।

श्री कपूर सिंह : अभी अभी माननीय मंत्री ने बताया है कि वह इस मामले के किसी भी पहलू के बारेमें सभा की चिंता दूर करने को तैयार हैं। मैं उन्हें बता दूं कि सभा यह जानने को उत्सुक है कि क्या सरकार अब बिलकुल स्पष्ट रूप से यह बात समझ गई है कि जहां तक संयुक्त राष्ट्र का सम्बन्ध है वह काश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानते और यदि हां तो सरकार इस विडम्बना से कैसे निकलने पर विचार करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार में इस बात का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री कपूर सिंह : इसके प्रसंग में केवल यही संगत प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : जब मतभेद इतना अधिक हो तो मैं इसे कैसे दूर कर सकता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जबकि हम गोली बन्दी के उल्लंघनों की शिकायतें और आरोप लगभग प्रति-दिन ही करते हैं और शायद पाकिस्तान भी जवाबी शिकायतें करता होगा तो क्या सरकार इस समय प्रेक्षक दलों द्वारा इन शिकायतों की जांच करने और दोषी का पता लगाने के लिये अपनायी जानेवाली कार्यविधि से पूर्ण रूप से संतुष्ट है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं नहीं कह सकता कि सरकार पूर्णतया संतुष्ट है । मैं सभा को सूचित कर दूं कि महा-सचिव प्रत्येक सप्ताह के पश्चात और कभी कभी तो इस से पूर्व ही सुरक्षा परिषद् को एक रिपोर्ट पेश करते हैं जिस में जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र तथा उस से बाहर दोनों सैनिक प्रेक्षक दलों की जांच का सारांश शामिल होता है । गोली बन्दी के उल्लंघनों की संख्या बहुत अधिक है । मेरे विचार से अबतक हमने इन उल्लंघनों की 1600 से अधिक शिकायतें की है और पाकिस्तान ने भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें की हैं । प्रेक्षक दल की रिपोर्टों के आधार पर अबतक छः अथवा सात रिपोर्टें महा-सचिव द्वारा सुरक्षा परिषद् को पेश भी की जा चुकी हैं जिन में इन दो देशों की शिकायतों पर सैनिक प्रेक्षकों के निर्णय दिये गये हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा प्रश्न यह था कि क्या इन शिकायतों की जांच करने की कार्यविधि संतोष जनक है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने नहीं कहा तो है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हों ने ऐसा नहीं कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्होंने ऐसा ही कहा था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह तो महा-सचिव की रिपोर्ट के बारे में बता रहे थे ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : इन दो कमानों को बनाने के महा-सचिव के प्रयत्न का विरोध करने के लिये सरकार के पास क्या मुख्य कारण हैं और यदि अब भी यह बनें हुये हैं तो सरकार ने इनकी उपेक्षा क्यों होने दी है? क्या दो भिन्न कमानें बनाने के महा-सचिव के प्रयास का विरोध करने का उन्हों ने कोई प्रयत्न किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : भारत सरकार ने अपने पक्ष के समर्थन में यह तर्क रखे हैं (1) सुरक्षा परिषद के 6 सितम्बर के संकल्प में संघर्ष वाले पूरे क्षेत्र में युद्ध-विराम का उल्लेख है । न तो यह संकल्प और नहीं किसी और संकल्प में संघर्ष अथवा कार्यवाही को संपूर्ण के अतिरिक्त कुछ और मानने की न तो व्यवस्था है और नहीं आज्ञा है । (2) काश्मीर क्षेत्र में होने वाली सैनिक कार्यवाही पंजाब तथा अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों द्वारा की जाने वाली सैनिक कार्यवाही से पृथक नहीं की जा सकती । (3) दोनों दलों के कार्यों को अलग करने से आवश्य भ्रम उत्पन्न होगा और आवश्यक अभिन्न समन्वय प्राप्त करना संभव नहीं होगा । (4) भारत-पाकिस्तान के लिये संयुक्त राष्ट्र सैनिक प्रेक्षक दल के कार्य तथा कार्य क्षेत्र में मुख्य सैनिक प्रेक्षक तथा भारत और पाकिस्तान के स्थानीय सैनिक कमाण्डरों के बीच हुए समझौते के आधार पर सुरक्षा परिषद के परामर्श के लिए,जम्मू-सयालकोट सीमा के पार झगड़ों की जांच भी शामिल की गई थी । यह सभी बातें एक पत्र में शामिल थी जो महा-सचिव को भेजा गया था । यही पत्र प्राप्त होने पर महा-सचिव ने जनरल निम्मो को दोनों कार्यों से सम्बन्धित सामान्य निरीक्षण कार्य सौंपा था ।

नेफा में सुरक्षा सम्बन्धी रिपोर्टें

+

*507. **श्री अ० शं० आल्वा :**

श्री कृष्णपाल सिंह :

श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 सितम्बर, 1965 के 'भारत ज्योति' में दीवान चमन लाल, संसद सदस्य के इस लेख की ओर दिखाया गया है कि हमारे एक सैनिक अधिकारी ने नेफा में सामरिक महत्व के स्थानों पर हमारी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट दी थी और उसकी कुछ प्रतियां पाकिस्तान की मार्फत चीनी अधिकारियों के पास पहुंच गई;

(ख) क्या सरकार ने इस बात की जांच कर ली है कि यह बात सच है अथवा झूठ; और

(ग) यदि यह बात सच है तो अपराधियों का पता लगाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये, कि भविष्य में ऐसे समाचारों का किसी को पता न लगने दिया जाये जिनसे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो, क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी, हां ।

(ख) रिपोर्ट निराधार है क्योंकि सभी प्रतियां सुरक्षित है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नेफा तथा लद्दाख की प्रतिरक्षा संबंधी प्रतिवेदन

*532. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1961, में नियुक्त उस अध्ययन दल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी जो उस समय के 'चीफ आफ दि जनरल स्टाफ' लैफ्टिनेंट जनरल एल० पी० सेन के सभापतित्व में नेफा तथा लद्दाख की प्रतिरक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई थी; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अध्ययन दल की सिफारिशें स्वाभाविक तौर पर गुप्त स्वरूप की है । उन्हें सभा में प्रकट करना लोकहित में न होगा ।

श्री अ० शं० आल्वा : क्या इस बारे में श्री चमन लाल अथवा भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री से कहा गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जी, नहीं ।

श्री अ० शं० आल्वा : नेफा के सामरिक महत्व को देखते हुए क्या नेफा का प्रशासन शिलांग से चलाने की बजाय वहां पर एक राजधानी बनाने का कोई विचार है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह प्रश्न वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से पूछा जायें ।

श्री कृष्णपाल सिंह : इस चेतावनी देने वाली खबर को ध्यान में रखते हुए मुझे प्रसन्नता है कि प्रतिवेदन की सभी प्रतियां सुरक्षित हैं—क्या सरकार नेफा के प्रशासन में सुधार करने और इसके एक स्वतन्त्र राज्य बनाने के बारे में, जिसकी पृथक राजधानी होगी, विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : एक वरिष्ट कांग्रेसी ने, जिसका नाम प्रश्न में दिया हुआ है, अपने लेख का शीर्षक 'विश्वासघात की गाथा' रखा । सरकार ने उसी समय जब यह समाचार समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, इसके खंडन के समाचार क्यों प्रकाशित नहीं किये ? क्या यह सही है कि केवल लेफ्टिनेंट जनरल सेन ने ही नहीं बल्कि उनसे पहले जनरल तिमैया ने भी नेफा की रक्षा के लिये योजना पेश की थी और उसको तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री ने अस्वीकार कर दिया था ? क्या यह मामला मेजर जनरल हन्डर्सन ब्रुक्स की जांच में शामिल है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस प्रश्न की सूचना मिलने पर मैंने स्वयं इन आरोपों की जांच की और इसलिये इसके खंडन करने की, जब कि यह लेख में प्रकाशित हुआ, कोई आवश्यकता नहीं हुई । दूसरे, जनरल तिमैया और कई अन्य अफसरों ने, जिन पर उस क्षेत्र का प्रभार था और जनरल तिमैया थल सेनाध्यक्ष थे, कई अवसरों पर इस क्षेत्र की प्रतिरक्षा के प्रश्न पर विचार किया और उन्होंने अपने सुझाव दिये जिन पर समय समय पर विचार किया गया । लेकिन उनका नेफा की जांच में कोई निर्देश किये जाने का कोई प्रश्न नहीं था क्यों कि नेफा की जांच पर कोई चर्चा अथवा विचार नहीं हुआ . . (**अन्तर्बाधा**)

श्री हरि विष्णु कामत : यदि आप नहीं बताना चाहते तो न बताएं लेकिन आपको सभा को, देश को और राष्ट्र को इस बारे में बताना चाहिए ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या प्रतिरक्षा मंत्री ने किसी समय किसी विशिष्ट विचार को नामंजूर किया ।

श्री हरि विष्णु कामत : हैन्डर्सन ब्रुक्स के प्रतिवेदन में इसका उल्लेख है या नहीं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, नहीं ।

श्री नाथ पाई : पहले प्रतिरक्षा मंत्री महोदय ने बताया था कि उन्होंने लेख नहीं पढ़ा है लेकिन उनका मंत्रालय तो बहुत बड़ा है । क्या किसी ने भी उस लेख को नहीं पढ़ा? क्या वे केवल अपने ही लेख पढ़ते हैं? यह इतना महत्वपूर्ण मामला था । किसी भी अधिकारी ने इसका खंडन क्यों नहीं किया । वह एक वरिष्ठ कांग्रेसी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री द्विवेदी का नाम पुकारा है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उस लेख में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि वहां 16 नक्शे थे जो सब के सब नेफा में प्रतिरक्षा के सामरिक महत्व के बारे में थे ; इसमें से 15 तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री को दिये गये थे और एक सचिवालय में ताले में बन्द कर दिया गया था । इसमें बताया गया है कि वे 15 नक्शे खो गये ; वे पाकिस्तान चले गये और पाकिस्तान के जरिये चीन पहुंच गये । मैं इन नक्शों के बारे में जानना चाहता हूं । क्या उन्होंने उस सदस्य से पूछा है कि उन्हें इन नक्शों के बारे में कैसे जानकारी मिली ? उन्होंने केवल प्रतिवेदन के बारे में उत्तर दिया है । यह प्रश्न लेख में उल्लिखित नक्शों के बारे में है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रतिवेदन के बारे में बता रहा हूं और यदि प्रतिवेदनों के साथ कोई अनुसूची और अनुबन्ध लगे हुए हैं तो वे सभी सुरक्षित हैं । किसी के लेने का इसमें कोई प्रश्न नहीं है क्यों जो नक्शे प्रतिवेदन में हैं उनका जनता को पता है, वे सामान्य नक्शे हैं और यह भावना निराधार है कि किसी उन्हें चीन को दिये हैं । मुझे पता है कि वे आरोप कितने गंभीर हैं और यदि ऐसा होता है तो इसके कितने गंभीर परिणाम होंगे । सभा मुझ पर विश्वास करे क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है और यदि इसमें कुछ भी सच्चाई होती तो में इसको छुपाने की कोशिश न करता ।

श्री हरि विष्णु कामत : वह अफ्रीका जाने वाले संसद्-सदस्यों के शिष्टमंडल के नेता थे । (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति, उन्हें इस प्रकार हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । मैं कई बार अनुरोध कर चुका हूं कि कुछ व्यवस्था और अनुशासन होना चाहिये । यदि कुछ माननीय सदस्य अपनी मर्जी से प्रश्न पूछते चले जांय तो मैं कैसे कार्य कर सकता हूं ? मैं मंत्री महोदय से भी एक बात कहता हूं । यदि उन्होंने यह देख लिया है कि सब चीज सुरक्षित है और कुछ भी खोया नहीं गया है तो फिर भी एक जिम्मेवार सदस्य, जो विदेशों में हमारा पक्ष पेश करने के लिये हमारे शिष्टमंडलों का नेतृत्व कर रहा है, ऐसा क्यों करता है । वह उस लेख को उचित ठहराने के लिये क्या कहते हैं ? कम से कम सरकार इस बात की भी तो जांच करे ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस बारे में मुझे उनसे मिलना होगा और पता लगाना होगा कि क्या वे कोई साक्ष्य पेश करते हैं । मैं ऐसा करूंगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या प्रधान मंत्री ऐसा करेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस लेख में बताया गया है कि नेफा में सामरिक स्थानों की रक्षा की जानी है । क्या सरकार ने यह नोट किया है कि नागा विद्रोहियों का एक बड़ा दल उन जगहों से जिनको बन्द किया जाना है, बर्मा में और फिर पाकिस्तान चला गया है और पिछले छः या सात वर्षों से ऐसा हो रहा है और सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसका यहां क्या सम्बन्ध है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दीवान चमन लाल ने आरोप लगाया है कि 16 प्रतियां थीं जिनमें से 15 गायब हैं और उपमंत्री महोदय ने बताया कि सभी प्रतियां सुरक्षित हैं । इनकी संख्या वास्तव में 16 है या इस से कम या अधिक है?

डा० द० स० राजू : 24 प्रतियां तैयार की गयी थीं और वे सभी सुरक्षित हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : नेफा के उन लोगों के, जो सीमा के भारतीय ओर रह रहे हैं, तौर-तरीके और प्रथायें सीमा के तिब्बती ओर रहने वाले लोगों के समान हैं और चीनी एजेंट इन लोगों को सिखाने-पढ़ाने के लिये उनसे सुविधापूर्वक सम्पर्क स्थापित कर लेते हैं और इसलिये क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है और यदि नहीं तो क्या सरकार इस बारे में जांच करेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिए क्योंकि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

Shri Yashpal Singh : As it happened in the case of correspondence between Pandit Nehru and Col. Nasser that the copies were intact but Shadi Lal Kapur let the enemy copy the whole thing in the night. I want to know what measures have been taken to check recurrence of such things in this case ?

Mr. Speaker : This question is about the report.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या इस प्रतिवेदन में एक यह भी सिफारिश की गयी थी कि नेफा की सुरक्षा के लिये तत्काल दो पहाड़ी बटालियनें बनाई जायें ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस बारे में नहीं है कि प्रतिवेदन में क्या लिखा है ; यह तो चीन को जानकारी दिये जाने के बारे में है ।

चीनियों द्वारा भारतीय पुलिस के सिपाहियों का मारा जाना

+

*508. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर 1965 को लद्दाख में जसकार में गोलाबारी की घटना के बाद जिन तीन भारतीय पुलिस के सिपाहियों के लापता होने की खबर दी गई थी उनको चीनी सैनिकों ने मार दिया;

(ख) यदि हां, तो चीनियों ने किन परिस्थितियों में इन तीन भारतीय पुलिस के सिपाहियों का अपहरण किया तथा मार डाला; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : 19 सितंबर 1965 को 30 चीनी सैनिकों का एक दल "वास्तविक नियंत्रण की रेखा" को पार कर आया और 3 भारतीय पुलिस वालों को ज़बर्दस्ती उठा ले गए तथा उन्हें मार डाला ; वे पुलिसवाले अपनी सासकुर चौकी के पास प्रतिदिन की तरह गश्त पर गए हुए थे । भारत सरकार ने इसके खिलाफ़ विरोध प्रकट किया था और इन पुलिसवालों की लाशें मांगी थीं जिन्हें चीनियों ने 10 अक्तूबर को लौटाया था ।

सासकुर में चीनियों के घुस आने के बारे में भारत और चीन के बीच जो नोट आए गए हैं उनकी प्रतियां सदन की मेज़ पर रख दी गई हैं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 5250/65 ।]**

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्योंकि सभा पटल पर रखे गये पत्र व्यवहार से ऐसा लगता है कि चीनी न केवल हमारे क्षेत्र में घुस आये परन्तु उन्हों ने भारतीय क्षेत्र में काफी अन्दर घुसकर असैनिक चौकी को लूटा और भारतीय सिपाहियों को अपहृत करके मार डाला, तो क्या प्रधान मंत्री अथवा प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की स्थिति में हैं कि भारतीय क्षेत्र के अन्दर इन चीनी गतिविधियों के सम्बन्ध में जवाबी अथवा विरोधी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री स्वर्ण सिंह : समय समय पर सभी सुरक्षात्मक कार्यवाहियां की गई हैं । इसके बावजूद भी सीमा पर कुछ घटनायें हुई हैं और यदि तिथियों पर ध्यान दिया जाये तो पता चलेगा कि यही वह समय है जबकि चीन ने वह बहुत उत्तेजनात्मक चेतावनी दी थी और भारत को ऐसा ही एक पत्र भी भेजा था जबकि हमारे और पाकिस्तान के बीच ज़बरदस्त संघर्ष चल रहा था ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : भारत सरकार द्वारा चीन सरकार को भेजे गये अन्तिम पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार को चीनी अतिक्रमणकारियों से भारतीय जान तथा माल की हुई क्षति की क्षतिपूर्ति की मांग करने का अधिकार है । परन्तु इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जो कार्यवाही की गई है उसका उल्लेख पत्र में किया गया है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्यवाही नहीं की गई और जो कार्यवाही करने का विचार है उसका उल्लेख भी उसी पत्र में किया गया है अर्थात् क्षतिपूर्ति मांगने का हमें अधिकार है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह कहना कि उन्हें अधिकार है, प्रस्तावित कार्यवाही नहीं है । हम जानना चाहते हैं कि क्या इस अधिकार के अनुसार सरकार ने कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है । यह बात सभा को स्पष्ट बतायी जानी चाहिये ।

श्री स्वर्ण सिंह : प्रस्तावित कार्यवाही यह है कि किसी उपयुक्त समय पर क्षतिपूर्ति की मांग की जायेगी और इसका उल्लेख इस पत्र में भी किया गया है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस दृष्टि से कि चीनी सेनाओं द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुस आने की घटनायें सामान्य बात होती जा रही हैं, क्या सरकार चीन द्वारा भारत पर आक्रमण को अनिवार्य ही समझती है और यदि हां तो क्या सरकार ने कोलम्बो देशों का ध्यान, यदि उनके प्रस्ताव अब भी लागू हों, इस बात की ओर दिलाया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : चीनी अतिक्रमणों के बारे में माननीय प्रतिरक्षा मंत्री समय समय पर सभा को सूचित करते रहते हैं ? इनकी संख्या में चिन्ताजनक वृद्धि हुई है । कोलम्बो देशों को सूचित करने सम्बन्धी पिछले प्रश्न के उत्तर में मैं कहना चाहता हूं कि हमने उन्हें सूचित किया था जब चीनी पत्र में सितम्बर महीने वाली चुनौती का उल्लेख किया गया था । हम ने चीन के निरन्तर अतिक्रमण की सूचना उन्हें नहीं दी है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार की चीन द्वारा शव लौटाते समय भारत के साथ मित्रता तथा मानवीयता के थोथे दावों के प्रति क्या प्रतिक्रिया थी और क्या यह सच है कि उस अवसर पर जब उन्होंने शव लौटाये चीनीयों ने बनावटी भाषण दिये और अपने कैमरों से चित्र खींचे जो उनके अपने झूठे प्रचार के लिये थे जैसा कि उन्हों ने पहले भी तत्कालीन प्रधान मंत्री के जन्मदिवस 14 नवम्बर, 1959 को किया था ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं नहीं कह सकता कि उन्हों ने कोई चित्र खींचे । मैं कोई सूचना नहीं दे सकता ।

श्री हरि विष्णु कामत : आप पर उनकी मित्रता के इस प्रदर्शन की क्या प्रतिक्रिया हुई ? क्या कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति । शान्ति । अगला प्रश्न ।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न संख्या 509 का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : इसको 8 दिसम्बर तक के लिये स्थगित कर दिया गया है ।

विदेशों को विशेष प्रतिनिधि मंडल

+

*510. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दे० जी० नायक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री रामसेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री बसुमतारी :
श्री जसवन्त मेहता
श्री किशन पटनायक :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री पाराशर :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री बासप्पा :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री मुहम्मद कोया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री गुलशन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बूटा सिंह :
श्रीमती मैमूना सुलतान :
श्री हेमराज :
श्री काजरोलकर :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री ब० कु० दास :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री राम हरख यादव :
श्री पू० चं० देवभंज :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 सितम्बर 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम होने के बाद कुछ देशों को भारतीय दृष्टिकोण से अवगत कराने के लिये संसद् सदस्यों के विशेष प्रतिनिधि मण्डल भेजे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन देशों को भेजे गये; और

(ग) इन देशों की प्रतिक्रिया के बारे में इन प्रतिनिधि मण्डलों की क्या रिपोर्ट हैं ?

वैदशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) संसद सदस्यों के आठ सद्भावना शिष्टमंडल निम्नलिखित क्षेत्रों की यात्रा पर भेजे जा रहे हैं :

(1) पूर्व और मध्य अफ्रीका : (कीनिया, उगांडा, तंजानिया, ज़म्बिया और मलावी);
(2) पूर्वी यूरोप : (पौलैंड, हंगरी, रूमानिया और बल्गारिया);
(3) उत्तर अफ्रीका : (अल्जीरिया, तूनीसिया, मोरक्को, सेनेगल और मोरीतानिया);
(4) पश्चिम एशिया : (कुवैत, लेबनान, साइप्रस, जार्डन, इराक और इरान);
(5) पश्चिम अफ्रीका : (गिनी, माली, कांगो ब्राजावील और लियोपोल्डवील) ;
(6) दक्षिण पूर्व एशिया और दूर पूर्व : (थाइलैंड, लाओस, कम्बोडिया, मलयेशिया और सिंगापुर) ;
(7) उत्तर और पूर्व अफ्रीका : (लोबिया, सूडान, इथियोपिया और सोमालिया) ;
(8) पश्चिम अफ्रीका : (घना, लाइबेरिया, सियरा लिवोन और नाइजीरिया) ;

मजबूरी की परिस्थितियों में इस सूची में छोटे-छोटे परिवर्तन किए जा सकते हैं ।

(ग) कुछ शिष्टमंडल लौट आए हैं और उन्होंने जो प्रारम्भिक रिपोर्टें दी हैं उनसे यह पता चलता है कि परिणाम बहुत संतोषजनक रहे हैं । इन शिष्टमंडलों ने जिन-जिन देशों की यात्रा की वहां वे प्रमुख राजनीतिज्ञों से मिले और उन देशों के विचार और रवैये को उन्होंने समझा । उन्होंने आंतरिक और विदेशी मामलों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, और यह स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में हम किसी भी ओर से आने वाले सभी आक्रमणों के विरुद्ध हैं और हम किसी व्यक्ति के धर्म को उसके राष्ट्रीय दर्जे से जोड़ने की बात को क़तई स्वीकार नहीं करते ।

श्री वासुदेवन नायर : इस से पूर्व कि आप इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की आज्ञा दें, मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर में कुछ छूट गया है । प्रश्न का सम्बन्ध संसद सदस्यों के विशेष प्रतिनिधि-मण्डलों से है । श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित का भी एक महिला का प्रतिनिधिमण्डल है । वह भी सभा की सदस्य हैं । हम ने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि वह भी प्रधान मंत्री के विशेष प्रतिनिधि के रूप में कई देशों की यात्रा कर रही हैं । माननीय मंत्री ने अभी जो वक्तव्य पढ़ा है उस में इस का कोई उल्लेख नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बारी आने पर यह प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या दूसरे देशों में ये विशेष प्रतिनिधिमण्डल भेजने की आवश्यकता मुख्यतः इस लिये उत्पन्न हुई कि उन देशों में हमारे राजदूतावास और उच्चायुक्त अवसर पर पूरे नहीं उतरे और वे भारत-पाकिस्तान के झगड़े में कि काश्मीर भारत का अंग है सिद्ध नहीं कर सके.....

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक अनुपूरक प्रश्न एक भाषण नहीं होना चाहिये।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या संयुक्त अरब गणराज्य, फ्रांस और ब्रिटेन के रवैये में इन विशेष प्रतिनिधि मण्डलों की यात्रा से कुछ परिवर्तन हुआ है ?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रश्न के प्रथम भाग के बारे में मेरा उत्तर 'नहीं' है। दूसरे भाग के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री की ओर से विशेष दूत फ्रांस और संयुक्त अरब गणराज्य गये थे। श्री कृष्ण मेनन संयुक्त अरब गणराज्य और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित फ्रांस गई थी। दोनों ने भारत का दृष्टिकोण बताया और दोनों अपनी यात्रा में सफल रहे।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का ध्यान लेबनान की इस रिपोर्ट पर गया है कि उस देश की यात्रा करने वाले भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डल ने अपना कुछ प्रभाव नहीं डाला है और इस के कार्य पर वहां के वैदेशिक कार्य समिति के सभापति ने यह कहा है कि काश्मीर जैसी जटिल समस्या की व्याख्या का काम व्यावसायिक एजनसियों पर छोड़ देना चाहिये और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : समाचार पत्र अपना अनुमान लगाने में स्वतंत्र हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रेस नहीं है जिस ने अनुमान लगाया है.....

श्री स्वर्ण सिंह : यह प्रेस रिपोर्ट ही है कि उस राजनयिक ने ऐसा वक्तव्य दिया है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उन्होंने लेबनान के विदेशी मंत्री का उल्लेख किया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय के पास यह कहने के लिये कोई आधार है कि उन्होंने ठीक उल्लेख नहीं किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : नहीं, श्रीमान्। मेरा विचार है कि प्रतिनिधिमण्डल की रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण चीज होगी और उसी से हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। रिपोर्ट अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है।

श्री नाथ पाई : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : हमें व्यवस्था का प्रश्न सुनना चाहिये।

Shri Bagri : I would like to have clarification in respect of the present question.

Mr. Speaker : First of all the hon. member who desires clarifications will get an opportunity. But only that member should speak whom I call.

Shri Bagri : May I know who have got the right to select the Parliamentary Delegations who have gone abroad from India ? I think, the right to select these delegations is with the Speaker. I would like to know whether the members of these delegations were selected by you or they were Government sponsored ?

Mr. Speaker : You were not here. This information has already been given to the House.

श्री नाथ पाई : माननीय वैदेशिक कार्य मंत्री ने यह कह कर कि प्रेस जो चाहे कहने में स्वतंत्र है पिछले प्रश्न को टालने की कोशिश की है। क्या वह हमें बतायेंगे कि स्टैटसमैन के संवाददाता ने जो बात कही है लेबनान के वैदेशिक कार्यमंत्री ने कहा है.....

एक माननीय सदस्य : विदेश मंत्री नहीं परन्तु वैदेशिक कार्य समिति के सभापति।

श्री नाथ पाई : लोकतंत्र में यह उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि उन मतों का कोई आधार नहीं है या वे सत्य नहीं, तो क्या वह प्रतिनिधि मण्डल की रिपोर्ट पर विश्वास करेंगे या क्या वह वचन देते है कि वह हमारे राजदूत से स्पष्टीकरण मांगेंगे कि क्या उच्च शक्ति वाले प्रतिनिधि मण्डल के कार्य के बारे में वे बातें कही गईं थी या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : इस में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री नाथ पाई : महोदय, उन्होंने कहा है.....

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर कोई निर्णय नहीं दे सकता। व्यवस्था का प्रश्न वह है जो अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में हो। इस का सम्बन्ध संविधान के किसी अनुच्छेद से या प्रक्रिया के किसी नियम से होना चाहिये, जिस पर अध्यक्ष कोई निर्णय दे सकता है। जब तक कोई प्रश्न ऐसा नहीं है, तो निश्चय ही, वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और प्रत्येक दिन मेरे बार बार दोहराने के बावजूद भी मेरी अपील का सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। कम से कम प्रश्न काल में ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : तब इस को अनुपूरक प्रश्न माना जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस के लिये उन्हें अपनी बारी का इन्तजार करना चाहिये।

Shri Yaspal Singh : May I know whether Government has made any assessment of the favour of other countries won as a result of the visits of these delegations ? Have these people been convinced and if so, whether they have started to take our side ?

Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : Sending of delegations does not mean that it will change the whole world or it will change the opinion of all the people in the world. It was decided under the special circumstances and in a particular situation to send these delegations to explain our view point. It has also been emphasised in the Parliament that we should adopt some other methods of publicity. Therefore, this decision of sending the delegations was arrived at. I do not say that these delegations will do any miracle. But we are doing everything that can be done by making contact with foriegn countries.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने, कल के स्टेटसमैन में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उस की सचाई की निश्चित या सुनिश्चित करने की कोशिश की है और क्या सरकार इस रिपोर्ट को और विशेषकर लेबनान की संसद की वैदेशिक कार्य समिति के सभापति के बड़े ही अपमानजनक वक्तव्य का खंडन करेगी ? यदि ऐसा नहीं है, तो क्या सरकार लेबनान में संसदीय प्रतिनिधि मण्डल द्वारा किये गये कार्य के बारे में वास्तविक निष्कर्ष को स्थगित नहीं करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम उस रिपोर्ट की सचाई की पुष्टि करेंगे।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the delegations which were sent abroad were advised to explain to those countries the policy of our government or were asked to convey the sentiments of our countrymen and explain our view point ?

Shri Swaran Singh : They will definitely take care of both these things.

Shri Bagri : What was the criteria for selecting the members of the delegations? I have also been to many foreign countries. There are countries which give invitation and when these invitations are accepted the delegations are sent. If there was no such invitation, may I know whether those countries were against us or were in our favour ? The ambassodars of those countries have told me that these delegations should not visit their countries because it is possible that they might be disgraced. I would like to know the view with which these delegations were constituted? May I know the expenditure incurred on each individual and every delegation ?

Mr. Speaker : You should finish your question now. It has become very lengthy....

Shri Bagri : About my question.....

Mr. Speaker : For others also.

Shri Bagri : I have visited many countries and have seen how they are respected there. In view of this I would like to know the expenditure incurred on these delegations and the manner in which they were sent and the criteria for their selection ?

Mr. Speaker : The information se regarding expenditure incurred on these delegations and the manner in which they were sent, might be supplied. All other portion is introductory.

श्री स्वर्ण सिंह : अभी उन में से कुछ प्रतिनिधिमण्डल ही गये हैं इसलिये मैं कुल खर्चे के बारे में अभी नहीं बता सकता। यदि अलग से सूचना दी जाये तो मैं जानकारी एकत्र करूंगा। जिन देशों में ये प्रतिनिधि-मण्डल भेजे जाने थे उन की उपयोगिता को देखते हुए विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलों के लिये कुछ सदस्य प्रतिपक्ष से तथा कुछ शासक दल से चुने गये थे।

Shri Bagri : I rise on a point of order. Complete answer to my question has also not been given. He is not aware of the expenditure already incurred. How will it be possible to give notice for each and every thing ? Should I give a separate notice to know the names of the members who had gone. This is....

Mr. Speaker : Now you may please take your seat. In this way neither the question can be asked nor they can be answered. Although I think the answers remain incomplete. Sometimes the question is so lengthy that till it is completed the beginning is fargotten. I myself forgot. There is no wonder if the Minister also forgets.

Shri Bagri : I, too .....

Mr. Speaker : How can we proceed like that? I will see the watch and when it will be one minute, I will stop the person concerned to say anything more. I shall also see that no question is asked for more than one minute. Your question has already been replied. Nothing more can be done.

Shri K. N. Tiwari : The Foreign Minister and Prime Minister have stated that we have been benefitted by the delegations which were sent and that other countries have understood our viewpoint. May I know whether the Government is considering to cantinue this system of sending delegations in future also ?

Shri Swaran Singh : Some are still to go. They will definitely go regarding which decision has been taken.

श्री वासुदेवन नायर : क्या सरकार का ध्यान श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित द्वारा दिये गये वक्तव्यों की ओर गया है जिन में उन्होंने हमारे मतानुसार इस देश की विदेश नीतिको तोड़मोड़ कर पेश किया है और यदि हां तो क्या सरकार ने उन को अनुदेश दिये हैं कि वह उन देशों के शासकों की पसंद के वक्तव्य न दें और क्या उन को पश्चिम बर्लिन की यात्रा करने को भी कहा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : दूसरी बात तो केवल एक सुझाव है ।

श्री वासुदेवन नायर : क्या उन को पश्चिम बर्लिन की यात्रा के अनुदेश दिये गये थे ?

श्री स्वर्ण सिंह : श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित एक अनुभवी राजनयिक हैं और वह देश की नेता हैं जो इस देश की नीति को भलि भांति समझती हैं ।

श्री वासुदेवन नायर : महोदय हम ऐसे उत्तरों से किस प्रकार संतुष्ट हो सकते हैं ? मैं ने एक विशिष्ट प्रश्न रखा था ।

अध्यक्ष महोदय : जब तक उत्तर समाप्त न हो जाये मैं उस में कैसे बाधा कर सकता हूं ?

श्री स्वर्ण सिंह : वह भारत की नीति के अनुसार ही वक्तव्य देती रही हैं । इस प्रकार के अनुदेश ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति के लिये आवश्यक नहीं हैं क्योंकि वह भारत के प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में यात्रा कर रही हैं । यह कहना गलत है कि उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य दिया है जो भारत की नीति के प्रतिकूल है ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : जार्डन में हमारे प्रतिनिधिमण्डल के कार्य के बारे में जार्डन के एक उच्चपदाधिकारी ने जो प्रतिक्रिया प्रकट की है और जिस प्रकार से इन का वहां स्वागत होता है क्या इस के बाद सरकार ने इन देशों में प्रतिनिधिमण्डल भेजने के विषय पर पुनर्विचार कर निर्णय किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : एक देश में हुई प्रतिक्रिया कोई निर्णय लेने में निर्णायक नहीं होनी चाहिये । वे वहां जाते हैं और अपना दृष्टिकोण बताते हैं । हो सकता है सभी देशों में एक सी सफलता प्राप्त न हो ।

Shri M. L. Dwivedi : I would like to know the sources which advise the Government whether a particular member was fit to be included in the delegation or not and also for what type of discussions he is fit and for what type he not ? I would also like to know the procedure followeed in the House of Commons or in England ?

Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : We also know something about the Members of Parliament. We come in contact with them many times. When we consider it proper that any important work can be entrusted to some Members of Parliament we do so.

श्री प्र० के० देव : यह देखते हुए कि उन विभिन्न देशों में भारत के राजनयिक प्रतिनिधि हैं और वे इन प्रश्नों पर भारत की नीति बताने के लिये पूरी तरह सक्षम हैं । यह बात भारत सरकार की इस

नीति से कहां तक मेल रखती है कि हमें अपनी विदेशी मुद्रा के संसाधनों को एकत्र करना चाहिये और यह कहां तक उचित है कि विदेशी मुद्रा की भारी कमी के बावजूद उन लोगों का उन देशों में भेजा जाना जहां पर हमारे राजनयिक प्रतिनिधि हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : संसद सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनका अपना अनुभव भी होता है और वे अपने ढंग से बात कह सकते हैं। राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रयत्नों में उनसे काफी सहायता मिलती है। यह हम अच्छी तरह समझते हैं कि हमें विदेशी मुद्रा को बचाना है। परन्तु यदि किसी खर्च से देश के हित को अधिक लाभ पहुंचता है तो हमें इसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : संसद सदस्यों के दलों को भारतीय समाचार पत्रों में तथा विदेशी समाचार पत्रों में संसदीय प्रतिनिधिमंडल बताया गया है। इसका क्या कारण है ? श्रीमान्, आपकी अनुमति के बिना उनको ऐसा क्यों बताया गया ? समाचारपत्रों को उनको इस रूप में बताने की अनुमति किसने दी ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमने उनको यह अनुमति नहीं दी कि वे अपने आप को संसदीय प्रतिनिधिमंडल के रूप में बतायें।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरे साथी श्री हेम बरुआ के प्रश्न के उत्तर में इसको एक संसदीय मिशन के रूप में बताया गया था। यह संसदीय मिशन कैसे हो सकता है जबकि आपकी राय बिल्कुल नहीं ली गई थी ? क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा ?

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री इस पर सहमत हो गये थे।

देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के बारे में करार

*511. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले सितम्बर में संयुक्त राष्ट्र में इस विषय पर हुई चर्चा के आधार पर बड़े देश इस बात पर सहमत हो गये हैं कि अन्य सर्व प्रमुख सम्पन्न देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक विशेष समिति ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के प्रश्न पर अगस्त से अक्तूबर 1964 तक विचार किया। बड़े-बड़े देशों में मतभेद होने के कारण यह समिति अंतर्राष्ट्रीय कानून के इस सिद्धान्त को लागू करने पर आम राय तक पहुंचने में असमर्थ रही और उसने अपने विचार-विमर्श के बारे में महासभा के 19वें सत्र में एक रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट पर विचार नहीं हुआ क्योंकि 19वां सत्र अपनी सामान्य कार्रवाई किए बगैर ही स्थगित हो गया। महासभा के वर्तमान सत्र में यह मामला विचाराधीन है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जिन देशों में यह हस्तक्षेप हो रहा है उनके ख्याल में इस हस्तक्षेप का स्वरूप क्या है और इसके लिये कौन देश जिम्मेदार हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह ऐसा प्रश्न था जिस पर सब की एक राय नहीं थी। कुछ तो मामले ऐसे हैं जिनमें हस्तक्षेप का स्पष्ट पता लग जाता है और कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें चोरी छिपे किया जाता है। कोई ऐसा सूत्र पता लगाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं जिसमें सभी प्रकार के हस्तक्षेप आ जायें।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस मामले में भारत का क्या योगदान है ?

श्री स्वर्ण सिंह : भारत के प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया, उसने प्रभावशाली योग दिया। हम समझते हैं कि सभी प्रकार के हस्तक्षेप शामिल होने चाहियें।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या भारत सरकार के दिमाग में यह चीज़ स्पष्ट है कि हस्तक्षेप का स्वरूप क्या है जिसको वह हस्तक्षेप समझेगी, उसका क्या योगदान है और उसने इस मामले में क्या किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा कि मैंने बताया हमारे प्रतिनिधि ने क्रियात्मक भाग लिया और हमारी यह राय है कि न केवल शस्त्रों के हस्तक्षेप को ही अपितु अन्य सभी प्रकार के हस्तक्षेप को हस्तक्षेप की परिभाषा में शामिल कर लिया जाना चाहिये जैसे कि तोड़फोड़ करने वालों को भेज कर हस्तक्षेप करना।

पखतून आन्दोलन

+

*512. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री बसुमतारी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पखतून आन्दोलन का समर्थन करने का कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने कई अवसरों पर पखतून लोगों की वैध आकांक्षाओं के प्रति स्पष्ट शब्दों में अपना समर्थन व्यक्त किया है।

श्री दी० चं० शर्मा : मंत्री महोदय ने कहा था कि वह खान अब्दुल गफ़्फार खां को आमंत्रित कर रहेहैं ताकि वह यहां पर अपनी कार्यवाही कर सकें। क्या खान अब्दुल गफ़्फार खां को कोई निमन्त्रण भेजा गया है और यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि इस सभा में पहले बताया जा चुका है जब भी वह आना चाहें हम उनका हृदय से स्वागत करेंगे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रश्न यह है कि क्या कोई निमन्त्रण भेजा गया है ?

श्री दी० चं० शर्मा : यदि उस महान देश भक्त को कोई निमन्त्रण नहीं भेजा गया है तो भारत सरकार किस तरीके से पखतून आन्दोलन का समर्थन करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : खान अब्दुल गफ़्फार खां के निमन्त्रण के प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंध नहीं है। जैसा कि मैंने बताया खान अब्दुल गफ़्फार खां को यह संदेश पहुंचा दिया गया है कि वह जब भी आना चाहें उनका बहुत स्वागत किया जायेगा और हमारे राजदूत ने यह संदेश पहुंचा दिया है।

जहां तक पखतूनिस्तान के आन्दोलन के समर्थन का संबंध है भारत सरकार ने घोषणा कर दी है कि उसको उनकी वैध आकांक्षाओं के साथ पूरी सहानुभूति है। अब समर्थन क्या रूप लेता है यह आगे की बातों पर निर्भर करेगा कि क्या कार्यवाही की जाती है और हम से क्या मांगा जाता है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि पखतून आन्दोलन को, जिसमें कि पाकिस्तान में 4000 व्यक्ति हैं; सहायता देने के लिये यहां कोई संगठन बनाया गया है ? क्या यह भी सच है कि भारत सरकार ने इस विशिष्ट संगठन को सहायता और समर्थन देने का फैसला किया है ?

श्री दिनेश सिंह : पखतूनिस्तान जिरगा नाम का एक संगठन है। इसमें कुछ भारतीय नागरिक और कुछ अफगानिस्तान और पखतूनिस्तान क्षेत्र के लोग शामिल हैं। हमने उनसे किसी सहायता के प्रश्न पर बातचीत नहीं की है। उन्होंने कोई सहायता नहीं मांगी है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अल्प सूचना प्रश्न को लेंगे।

प्रश्न संख्या 510 के बारे में

Re : Question No. 510

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। 23 मार्च, 1965 को आपने कहा था :

"इसलिये मैं आशा करता हूं कि भविष्य में जब भी कोई संसदीय प्रतिनिधिमंडल देश के बाहर या भीतर जायेगा तो कम से कम अध्यक्ष को विश्वास में लिया जायेगा और उसकी राय ली जायेगी।"

अध्यक्ष महोदय : वह भविष्य के लिये था।

श्री हरि विष्णु कामत : लग भग 7 महीने पहले आपने ऐसा कहा था। आपके निदेश का पालन अब भी क्यों नहीं किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था कि सरकार को यह अधिकार है और बाद में प्रधान मंत्री सहमत हो गये थे कि अध्यक्ष की राय ली जायेगी.....

श्री हरि विष्णु कामत : वह मार्च की बात है। उस समय यह कहा गया था कि भविष्य में इसका पालन किया जायेगा। अब सरकार ने आपकी राय क्यों नहीं ली ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न को इस समय इस तरीके से उठाने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री हरि विष्णु कामत : सरकार आपके निदेश की अवहेलना कर रही है। क्या लोकतंत्रात्मक ढांचे में आप ऐसी बात होने देंगे ? संसदीय परंपराओं को क्या हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : अध्यक्ष की अपनी सीमाएं हैं। मैंने इस संबंध में जानकारी प्राप्त की है और मुझे पता लगा है कि ब्रिटेन में 'स्पीकर' किसी प्रतिनिधिमण्डल की नियुक्ति में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। इसलिये यदि हमें कुछ नियम बनाने हैं तो मिल कर इस पर विचार करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो पहले भी यह कहा था कि सरकार को प्रतिनिधिमण्डल भेजने का अधिकार है। मैंने इस अधिकार से कभी इनकार नहीं किया है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : तो फिर कुछ निश्चित निर्णय कर लिये जायें और सदस्यों को उनकी सूचना दे दी जानी चाहिये कि अध्यक्ष के क्या अधिकार हैं और सरकार के क्या अधिकार हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : प्रत्येक लोकतंत्रात्मक देश में केवल अध्यक्ष को ही यह अधिकार होता है और ब्रिटेन में भी स्पीकर ही संसदीय प्रतिनिधि मंडलों को चुनते हैं .....

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जी, नहीं।

श्री दी० चं० शर्मा : और वह ही विदेशों में उनके व्यवहार के लिये और उनसे प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिये जिम्मेवार होता है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह क्यों कहा जा रहा है कि अध्यक्ष को इन मामलों से दूर रहना चाहिये।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : आपने जो कुछ कहा है हम उसका स्वागत करते हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार उसका पालन करेगी। इस संबंध में एक अच्छी प्रथा चालू होनी चाहिये।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि इस मामले को अब और अधिक लम्बा किया जाये।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जहां तक संसदीय प्रतिनिधि मंडलों का संबंध है उनको नियुक्त करना और चुनना आपका परमाधिकार है। परन्तु सरकार को भी विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने का बराबर का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय ने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि जब संसद सदस्यों को चुना जाये तो उनकी भी सलाह ली जानी चाहिये। मैंने कहा था कि हम इसका पालन करेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न यह है कि उनको संसदीय प्रतिनिधिमण्डल नहीं कहा जाना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्य उठे——

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। इसमें कोई अधिक चर्चा की बात नहीं है। अब इसको यहीं समाप्त करना चाहिये। अल्प सूचना प्रश्न। श्री नाथ पाई।

श्री दाजी : दो प्रकार के प्रतिनिधिमण्डल हैं। एक तो संसदीय प्रतिनिधिमण्डल और इसकी स्वीकृति केवल आप ही दे सकते हैं। दूसरा संसदीय वित्तों का प्रतिनिधिमंडल है। और जब यह बाहर जाता है तो इसको संसदीय प्रतिनिधिमंडल बताया जाता है। इस पर हमें आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : इसका स्पष्टीकरण उन्होंने दे दिया है।

श्री हरि विष्णु कामत : हम संसदीय लोकतन्त्र स्थापित करना चाहते हैं परन्तु सरकार इसमें सहायता नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य धैर्य से काम लें तो सब ठीक हो जायेगा।

अल्प सूचन प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

इण्डोनेशियाई-पाकिस्तानी संयुक्त नौसैनिक अभ्यास

अ० सू० प्र० सं० 5. श्री नाथ पाई :
श्री मुथिया :
श्री पाराशर :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि इंडोनेशिया तथा पाकिस्तान द्वारा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किये जाने वाले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) परस्पर मित्रता भाव रखने वाले राष्ट्रों के दर्मियान संयुक्त नौसैनिक युक्ति चालन/अभ्यास कोई असाधारण बात नहीं है। इसलिए यह समय ऐसे संयुक्त अभ्यासों को कोई महत्व देने के लिए परिपक्व नहीं है।

श्री नाथ पाई : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये अभ्यास दो ऐसे राष्ट्रों द्वारा किये जा रहे हैं, जिनमें से एक तो आक्रमणकारी है और दूसरा आक्रमण के लिए प्रेरित करने वाला, क्या सरकार ऐसा नहीं सोचती है कि ये दो मित्र-राष्ट्रों का संयुक्त अभ्यास मात्र ही नहीं बल्कि संयुक्त सैनिक गतिविधियों के बारे में समझौते का एक भाग है जो समुद्र तक ही सीमित न होकर आकाश और भूमि के बारे में भी हो सकती हैं? यदि सरकार ऐसा समझती है तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कोई भी प्रशासन इन सब पहलुओं को हमेशा ध्यान में रखता है। अतः यह पहलू भी सरकार के ध्यान में है। लेकिन हम इसे समयपूर्व महत्व देकर अनावश्यक काल्पनिक कठिनाइयां पैदा नहीं करना चाहते।

श्री नाथ पाई : इस बात को ध्यान में रखते हुए भी, कि अगस्त-सितम्बर में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण के दौरान इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने की पेशकश की थी। क्या प्रतिरक्षा मंत्री ऐसा सोचना समयपूर्व समझते हैं और, यदि हां, तो क्या वह इंडोनेशिया की उत्कृष्ट नौसैनिक शक्ति को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना को शक्तिशाली बनाने के लिये तुरन्त कार्यवाही करेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : भारतीय नौसेना को शक्तिशाली बनाना एक भिन्न प्रश्न है और इस के बारे में हम कदम उठा रहे हैं। दो दिन पहले ही इस विषय पर इस सभा में चर्चा हुई थी और सरकार ने उठाये जा रहे कदमों के बारे में आवश्यक जानकारी दी थी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : भारतीय नौसेना के विकास के बारे में चर्चा के दौरान श्री रवीन्द्र वर्मा ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को दो पनडुब्बियां दी थीं। इसके उत्तर में माननीय उपमंत्री ने कहा था कि वे इसके बारे में जांच पड़ताल करके सभा को बतायेंगे। क्या इसके बारे में कोई निश्चित सूचना प्राप्त हो गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : जी, नहीं। हम इस सम्बन्ध में जांच-पड़ताल कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने अपने मूल उत्तर में कहा है कि मैत्री-भाव रखने वाले देशों का संयुक्त युद्ध-अभ्यास कोई असामान्य बात नहीं है। क्या सरकार का विचार पाकिस्तान और ब्रिटेन की नौसेनाओं के साथ हमारे संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जारी रखने का है, जो पिछले वर्ष तक प्रति वर्ष होते रहे है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इन्हें राष्ट्रमण्डलीय अभ्यास कहा जाता है और हम इनमें भाग लेते रहे हैं लेकिन अजीब बात है कि पाकिस्तान ने स्वयं इन अभ्यासों में भाग लेना बन्द कर दिया है।

श्री लोकीम आल्वा : क्या सरकार को मालूम है कि इंडोनेशिया ने अंदमान द्वीप-समूह पर भी दावा किया और क्या हम भारतीय जल-प्रांगण में समुचित ऐयियात रख रहे है जैसा कि हमने हिन्द महासागर में अमरिका और ब्रिटेन द्वारा कोई अड्डा बनाने का विरोध किया था ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इंडोनेशिया ने अन्दमान द्वीप समूह पर कोई दावा नहीं किया है।

Shri Bade : Whether these joint Sino-Pak exercises were held last year also ?

Mr. Speaker : The question under discussion relates to joint exercises between Indonesia and Pakistan.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ये युद्ध अभ्यास प्रतिवर्ष होते हैं अथवा इस समय विशेष रूप से हुए हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक नई बात मालूम पड़ती है।

Shri Madhu Limaye : Is Government aware of the fact that the British Prime Minister Mr. Wilson had named India as aggressor and the British High Commissioner have in India attributed lack of correct information ? Whether he has been posted with correct information ? If even then he considers India an aggressor, how far it is proper to take part in joint exercises with such country ?

Mr. Speaker : This question does not arise out of it.

श्री शिंकरे : क्या इंडोनेशिया ने हमारे किसी अन्य द्वीप अथवा राज्यक्षेत्र पर दावा किया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इंडोनेशिया ने अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह पर कोई दावा नहीं किया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार को ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि इंडोनेशिया में हाल की उथल-पुथल के बाद इंडोनेशिया की नई सरकार की चीन और पाकिस्तान के साथ मित्रता कुछ कम हो गई है और यदि हां, तो क्या सरकार के विचार में भारत के साथ सम्बन्धों में कोई परिवर्तन की आशा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई अभ्यास है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य पाकिस्तान को इंडोनेशिया के जहाजों के चलाने में अभ्यस्त कराना है ताकि पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध आक्रमक कार्यवाही करने पर उनका अत्यधिक कुशलता से उपयोग किया जा सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : साधारणतया, संयुक्त अभ्यास दोनों नौसेनाओं द्वारा प्रयोग किये जाने वाले जहाजों से परिचित कराने के लिये किये जाते हैं और स्वाभाविक ही है कि ऐसी जानकारी अवश्य होती है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Equipment Seized from Pakistan Forces

***513. Shri M. L. Dwivedi :** **Shri Madhu Limaye :**
Shri S. C. Samanta : **Shri Bagri :**
Shri Shiv Charan Gupta :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the names of countries whose equipment was found among the Pakistani tanks, armoured cars, arms and ammunition and other military equipment seized by the Indian Security forces ;

(b) whether the equipment thus seized from the Pakistani forces had been given to Pakistan for using it against India;

(c) if not, the reaction of the said Governments after their attention had been drawn to the use of this equipment against India by Pakistan; and

(d) whether the Governments of the said countries have been requested to prevent the use of this equipment against India in future and the reaction of those Governments thereto ?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) Arms, ammunition and equipment manufactured in USA, U.K., West Germany, China and France were captured by the Indian Forces during the recent Indo-Pak hostilities.

(b) Equipment like tanks and aircraft was given by the USA to Pakistan as Arms Aid for purposes other than attacking India. But in view of Pakistan's policy of hostility towards India for a number of years, the countries concerned should have been aware of the likelihood of these arms and equipment being used against India.

(c) & (d). In the context of China's hostility towards India, no useful purpose would have been served by making any appeal to China to prevent the future use of her equipment by Pakistan against India. The US Government has, however, stopped further military aid to Pakistan and assured India that she has also advised other allies in the NATO, SEATO and CENTO Pacts not to supply Pakistan with American aid equipment and arms. The UK manufactured arms captured from the Pakistanis were of World War II origin. The U.K. Government has, however suspended supply of arms, etc., to India and Pakistan since the out-break of hostilities. Government of the Federal Republic of Germany have stated that since the out-break of hostilities between Pakistan and India they have granted no licences for the export of military arms to Pakistan. Other licences which had already been granted, but had not then been completed, were cancelled. The French equipment captured from Pakistanis was possibly supplied to Pakistan under Military Packts of which Pakistan is a member.

जवानों के लिए स्मारक

*514. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री भानू प्रकाश सिंह :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान द्वारा हाल ही में भारत पर किये गये आक्रमण के दौर न वीर गति पाने वाले जवानों के लिए दिल्ली में एक स्मारक बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्मारक के लिए कोई स्थान चुन लिया गया है; और

(ग) इस पर अनुमानत: कितनी राशि खर्च होने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) स्वाधीनता प्राप्त होने के पश्चात् युद्ध में मारे गए अपने जवानों का स्मारक स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) तथा (ग) : यह मामले अभी विचाराधीन हैं ।

Pak. Territory occupied by India

515. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Vidya Charan Shukla :
Shri Gulshan :
Shri Buta Singh :
Shri Sezhiyan :
Shri Shiv Charan Gupta :
Shri P. C. Borooah :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total Pakistani territory occupied by India and the total Indian territory occupied by Pakistan during the Indo-Pak. fighting;

(b) whether it is also a fact that Pakistan has occupied some more Indian territory even after the cease-fire ; and

(c) if so, the steps taken to repel Pakistani forces therefrom ?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) At the time of the cease-fire on 23rd September 1965, Indian forces had occupied an area of approxinately 479 square miles in Pakistan and 270 square miles in Pakistan occupied Kashmir ; thus making a total of 740 square miles. At the same time, Pakistani forces had occupied 210 square miles of Indian territory plus the border out-post of Munabao in Rajasthan.

(b) Yes, Sir.

(c) Pakistani intrusions in a number of places have already been cleared.

सोवियत संघ से ट्रांस्मिटर

*516. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरूआ :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री बासप्पा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री 16 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत संघ से एक हजार किलोवाट का ट्रांस्मिटर प्राप्त करने सम्बन्धी वार्ता में और क्या प्रगति हुई है,

(ख) क्या इसके डिजाइन का प्रारम्भिक कार्य आरम्भ हो चुका है,

(ग) क्या इस काम के लिये सोवियत संघ का कोई तकनीकी विशेषज्ञ भारत आया था या आने की सम्भावना है, और

(घ) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 1000 किलोवाट का एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर देने तथा इसके लगाने में शिल्पिक सहायता देने के लिए भारत सरकार और आल यूनियन एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कारपोरेशन, प्रोम्भशिक्सपोर्ट, मास्को के बीच 26-10-65 को नई दिल्ली में एक करार हो गया है । इसके लिए जगह ले ली गई है ।

(ख) जी, हां । प्रोजेक्ट के डिजाइन के विषय में सोवियत-विशेषज्ञों के साथ बात चीत हो गई है । डिजाइन पर अन्य प्रारम्भिक काम चालू हो गया है । भूतत्व परीक्षण तथा स्थान का सर्वे हो रहा है ।

(ग) और (घ) : जी, हां । सौ वियत संघ के तीन विशेषज्ञ प्रोजेक्ट के प्रारम्भिक डिजायन पर बातचीत करने, जगह को पसंद करने और करार नामे को पक्का करने के लिए 31-8-1965 को भारत आये थे । बाद में इस दल में एक भूतत्ववेत्ता भी सम्मलित हुए । दो विशेषज्ञ तफ़सीली डिजाइन तैयार करने के लिए मास्को लोट गये हैं । अन्य दो विशेषज्ञ हमारे इंजीनियरों के साथ ट्रांस्मीटर लगाने के स्थान पर काम कर रहे हैं । दोनों विशेषज्ञ प्रारम्भिक छानबीन और आवश्यक जानकारी एकत्रित करने के बाद इस देश से चले जायेंगे । करार के अनुसार जब भी आवश्यकता पड़ेगी, ट्रांसमीटर लगाने, तथा उसे चालू करने में टेकनीकी सहायता देने के लिए विशेषज्ञ लोग भारत आएंगे ।

ब्रिटिश गियाना के लिए स्वतंत्रता

*517. **श्री बागड़ी :**

श्री मधु लिमये :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश गियाना को पूर्ण स्वतंत्रता मिलने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस मामले में ब्रिटिश गियाना को सरकार ने अब तक क्या सहायता दी है अथवा देने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) 2 नवम्बर से 18 नवम्बर 1965 तक लंदन में हाल ही में जो संविधानिक सम्मेलन हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि गिनी 26 मई, 1966 को स्वाधीन हो जाएगा ।

(ख) भारत सरकार उपनिवेशों को समाप्त करने के विषय पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति (24 सदस्यों की समिति) के ज़रिये गिनी की स्वाधीनता पर ज़ोर देती रही है ।

Arms Aid from Foreign Countries

*518. **Shri Krishna Deo Tripathi :** **Shri Ram Sewak Yadav :**
Dr. Ram Manohar Lohia : **Shri Daljit Singh :**
Shri Kishen Pattnayak : **Shri D. D. Puri :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the quantum of arms aid received from the various countries since the Chinese aggression in October, 1962 and the quantity received as immediate and long-term aid separately;

(b) the amount of aid sanctioned and the portion utilised; and

(c) the spheres in which the defence potential of the country has increased as a result of this aid and the extent thereof ?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) and (b). Military aid on grant basis was offered and accepted by us from a number of friendly countries during and after the Chinese aggression in 1962. I lay a statement on the Table giving information about the value of supplies promised and those received up-to-date. [**Placed in the Library.** *See* **No. L.T.-5251/65.**]

(c) The Military Assistance offered by these countries has been utilised mainly to meet our urgent requirements of imported stores. In case of UK and USA it has provided limited support for a number of Mountain Divisions of the Army, and some transport aircraft/trainer aircraft, signal equipment and spares for the IAF and certain quantity of earth moving equipment for the Border Roads Organisation. In addition we have received one small arms ammunition plant and equipment for static radars from USA.

Russian and American Military Aid

*519. **Shri Kishen Pattnayak :**
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the amount of Russian and American military aid received since the Chinese aggression in October, 1962; and

(b) in what specific way it has been utilised ?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) and (b). Military aid on grant basis has been received from USA since October, 1962. They had so far promised to supply aid of Rs. 76 crores in value. Of this approximately 45% had been received by September, 1965, when the U.S. Government suspended further aid shipments. This aid has been utilised for providing limited support for a number of Mountain Divisions of the Army, transport aircraft, signal equipment and spares for IAF and earth moving equipment for the Border Roads Organisation. In addition one ammunition plant has been received as also equipment for static radars from USA.

USSR had supplied military equipment to this country on suitable credit terms both before and after 1962. It would not be in the public interest to give more details.

पाकिस्तान द्वारा टैंक मार मिसाइलों का प्रयोग

*520. **श्री महेश दत्त मिश्र** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी नागरिकों को ले जाने वाले अमरीकी परिवहन विमानों के लाहौर हवाई अड्डे पर उतरने के तुरन्त पश्चात् पाकिस्तानी सेना ने पहली बार लाहौर सेक्टर में टैंकमार मिसाइलों का प्रयोग किया था;

(ख) क्या ये अमरीकी परिवहन विमान "नाटो" की कमान में थे;

(ग) क्या ऐसी मिसाइलों का प्रयोग इससे पहले किसी अन्य सीमा पर भी किया गया था; और

(घ) क्या ऐसा सन्देह करने का कोई कारण है कि पाकिस्तानी सेना पर पड़ रहे दबाव को कम करने के उद्देश्य से ये परिवहन विमान टैंकमार मिसाइलें लायें थे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) 15 सितम्बर, 1965 से पहले कि जिस दिन अमरीकी परिवहन विमान अमरीकी नागरिकों को निकाल ले जाने के लिए लाहौर में उतरा था, लाहौर क्षेत्र में इस हथियार के प्रयोग की सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) ऐसी कोई शहादत सामने नहीं आई कि जिससे पता चलता कि विमानों को टैंकमार मिसाइल लाने के लिए इस्तेमाल किया गया था ।

अमरीकी युद्ध-बन्दियों को मारना

*521. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण वियतनाम सरकार ने हाल में ही वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग से विरोध प्रकट किया है कि विएटकांग ने कथित रूप से अमरीकी युद्ध बन्दियों को मार डाला है ;

(ख) क्या वास्तव में इनको मार डाला गया था;

(ग) यदि हां, तो युद्धबन्दियों को मार डालने तथा दक्षिण वियतनाम सरकार के विरोध पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस मामले में यदि कोई और कार्रवाई की गई है तो क्या ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यह माना जा सकता है कि प्राणदंड देने की यह घटना हुई थी क्योंकि इसकी घोषणा रेडियो पर की गई थी और अखबारों में भी इसकी खबर छपी थी ।

(ग) और (घ) : अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग ने दक्षिण वियतनाम सरकार की प्रार्थना पर अपने निर्णय की अभी घोषणा नहीं की है । आमतौर से, अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के निर्णय आयोग की सावधिक रिपोर्टों में सह-अध्यक्षों को भेज दिए जाते हैं ।

Upsurge in East Pakistan

*522. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :** **Shri P. C. Borooah :**
Shri Prakash Vir Shastri : **Shri Basappa :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether there has been a considerable upsurge for independence in East Pakistan;

(b) whether the inhabitants of East Pakistan have sought the support of the Government of India; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) There are some reports which indicate a growing urge for independence in East Pakistan.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

परमाणु खतरे के विरुद्ध गारन्टी

*523. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर : **श्री राजेश्वर पटेल :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने परमाणु शस्त्रों वाले देशों के खतरे के विरुद्ध तथा उनके द्वारा ब्लैक-मेल किये जाने के विरुद्ध गारंटी देने के बारे में अमरीका एंव ब्रिटेन के बार-बार प्रकाशित विचारों तथा पुनर्विचारों की ओर ध्यान दिया है !

(ख) इन प्रस्तावों का स्वरूप क्या है; और

(ग) इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिककार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क), (ख) और (ग) : गैर-परमाणु देशों में परमाणु हथियारों के फैलाव पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से गैर-परमाणु देशों की सुरक्षा का आश्वासन देने की आवश्यकता के विषय में विभिन्न वक्तव्यों की रिपोर्ट सरकार ने देखी हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि संयुक्त राज्य अमरीका और यूनाइटेड किंगडम की सरकारों के प्रतिनिधियों ने दिए थे । परंतु इनमें से किसी भी सरकार ने इस बारे में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं किया है । इस बात को अब अधिकाधिक महसूस किया जा रहा है कि गैर-परमाणु राज्यों को परमाणु संरक्षण देने की बात पर अमल करना कठिन है और यह अपने आप में परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने का कारगर नियंत्रण भी नहीं है । सरकार समझती है कि परमाणु खतरे को रोकने की कारगर गारंटी सिर्फ़ यही हो सकती है कि परमाणु अस्त्र ही खत्म कर दिए जाएं और उन्हें छोड़ने के यंत्र भी, और इसलिए, सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि अब

और देर किए बिना परमाणु अस्त्रों का प्रसार न करने की संधि संपन्न होनी चाहिए जिसमें परमाणु अस्त्रों वाले देशों द्वारा पर्याप्त मात्रा में परमाणु निरस्त्रीकरण की व्यवस्था हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघ से काश्मीर प्रश्न वापिस लेना

*524. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत संयुक्त राष्ट्र-संघ से काश्मीर प्रश्न वापिस लेने तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में यह नया प्रश्न कि पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया है ले जाने पर तत्काल विचार कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग): पाकिस्तान के हमले के ख़िलाफ़ भारत ने शिकायत की थी । यह हमला खत्म नहीं हुआ है और इसलिए सुरक्षा परिषद की कार्यसूची पर वह शिकायत बनी हुई है ।

डोगराई में पाकिस्तान द्वारा गोलाबारी

*525. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 नवम्बर, 1965 को डोगराई में पाकिस्तान की गोलाबारी से एक मेजर मारा गया;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों तथा पाकिस्तान सरकार से कोई शिकायत की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या भारत सरकार ने कोई क्षतिपूर्ति की मांग की है; और

(ङ) क्या सरकार युद्ध विराम के दिनों में पाकिस्तानी सेना की इस प्रकार की कार्यवाहियों के विरूद्ध कोई प्रतिकारात्मक कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ): यह घटना अक्तूबर 1965 में हुए करार को भंग करके पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा हुई थी । इस करार के अन्तर्गत दोनों देशों को बी० आर० बी० कनाल के पूर्वी तट पर डोगराई के दक्षिण में स्थित कुछ बंकरों पर कब्जा करने के लिये मना किया गया था । इस करार के बावजूद भी पाकिस्तानी सैनिकों ने 5 नवम्बर, 1965 को बंकरों पर कब्जा कर लिया । इस उल्लंघन करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों को शिकायत कर दी गई थी । तथापि, पाकिस्तानी सैनिकों को बंकरों से हटाने का संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों का प्रयास निष्फल रहा । इससे सहमत न हो कर पाकिस्तानी सैनिकों ने 5 नवम्बर की दोपहर को डोगराई के दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र से बिना पलटे के चलने वाली बन्दूकों, मध्यम दर्जे की मशीन गनों और छोटे छोटे हथियारों से गोलीबारी की । हमारे सैनिकों ने इसके विरोध में गोली चलाई । चार घंटों तक दोनों ओर से गोली चलती रही । संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों

के हस्तक्षेप करने पर गोली चलाना बन्द करने की बात, स्वीकार करके भी पाकिस्तानी सैनिक गोली चलाते रहे और उन्होंने तब गोली चलाना बन्द किया जब प्रेक्षकों ने पुनः उन्हें कहा। इस गोलीकाण्ड के परिणाम स्वरूप एक मेजर मारा गया और एक सिपाही को चोटें आई।

(ङ) चूंकि पाकिस्तानी सैनिकों ने बंकर खाली कर दिये थे इस लिये कोई प्रतिकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिये सभी रक्षात्मक उपाय किये गये हैं कि जहां तक सम्भव हो ऐसे घटनायें पुनः न हो पायें।

रेडियो लाइसेंस पास बुकें छापना

*526. **श्री मुहम्मद इलियास :**

श्री वारियर :

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग द्वारा चलाई गई नई रेडियो लाइसेंस पास बुकें छापने का ठेका बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी के श्री जे० सी० जैन को दिया गया था जिनके बारे में कहा जाता है कि वह डाक तथा तार बोर्ड के एक सदस्य के सम्बन्धी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या श्री जे० सी० जैन का टेण्डर सबसे कम राशि का था; और

(ग) यदि नहीं, तो सबसे कम राशि का टेण्डर छोड़ कर श्री जे० सी० जैन को ठेका देने के क्या विशेष कारण थे ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं, ठेका मेसर्स सांज वर्तमान प्रेस को दिया गया था, जिसकी मालिक मेसर्स रुस्तम एण्ड वाचागांधी एंड कम्पनी है। श्री जे० सी० जैन, जो उक्त फर्म द्वारा नियुक्त अटार्नी हैं, डाक-तार बोर्ड के एक सदस्य के भाई हैं।

(ख) वैध टेंडरों में उसका टेंडर सबसे कम था, और सामान्य जांच के बाद उसे स्वीकार किया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष में रूस का मध्यस्थता का प्रस्ताव

*528. **श्री नाथ पाई :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री किन्दर लाल :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री हुकुम चन्द कछवाय :

श्री बड़े :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष में मध्यस्थता के लिये रूस के प्रस्ताव को मान लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने अखबारों में इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) सरकार ने सिद्धांत रूप में यह स्वीकार कर लिया है कि वह किसी उचित समय पाकिस्तान के साथ अपने कुल संबंधों पर बातचीत करने के लिए तैयार है, और इस बात की सूचना उसने सोवियत संघ को दे दी है। प्रधान मंत्री ने संसद में यह साफ़ तौर पर कह दिया है कि इन वार्ताओं में भारत पर किसी प्रादेशिक दावे की बात नहीं की जाएगी और सरकार अपनी इस नीतिसे कदापि नहीं हट सकती है कि काश्मीर भारत का ही एक अभिन्न अंग है।

T. V. Programme on Indian Delegation's Walk-out from the Security Council

*529. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Rameshwaranand :**
Shri Prakash Vir Shastri : Shri Buta Singh :
Shri R. Barua : Shri Kishen Pattnayak :
Shri Gulshan : Dr. Ram Manohar Lohiya :
Shri Onkar Lal Berwa : Shri Narendra Singh Mahida :
Shri S. M. Banerjee : Shri Sham Lal Saraf :
Shri Bade : Shri Siddananjappa :
Shri Priya Gupta : Shri Daljit Singh :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether any such programme wherein it had been stated that the Minister of External Affairs and the Indian Delegation should not have walked out of the Security Council, was relayed on television from Delhi Station;

(b) whether it is also a fact that in that programme, it was shown that this act of the Indian Minister of External Affairs lacked far-sightedness; and

(c) if so, the action taken against it ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) In the discussion on matters of current interest broadcast on the 4th November, 1965, by the Television Centre, a reference was made to the walk-out by the Indian Delegation from the session of the Security Council following the Pakistan Foreign Minister's insistence on raising the general question on Kashmir.

(b) The discussion was in the perspective of general procedure and general international diplomacy. While one of the participants in the discussion expressed himself against the walk-out, the second disagreed and defended the Indian Delegation's action effectively. As expressly stated the views were personal. The programme admitted on free and frank discussion and the overall impression conveyed to viewers was not against the walk-out. At no stage did the programme suggest that the walk-out of the Delegation, or the action of our External Affairs Minister lacked far-sightedness.

(c) Does not arise.

विदेशों से हथियारों की सहायता

*530. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर : श्री मधु लिमये :**
श्री श्यामलाल सर्राफ : श्री दे० द० पुरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी हमले का विदेशों से ऐसे सैनिक सामान के आने पर असर पड़ा है जिसका उन्होंने वचन दे दिया था; और

(ख) यदि हां, तो कितना तथा क्यों ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : यू० स० तथा यू० के० सरकारों द्वारा, सैनिक साज़सामान की वह सप्लाइएं सितम्बर, 1965 से, भारत के विरूद्ध पाकिस्तानी आक्रमण

के पश्चात्, स्थगित करदी गई हैं, जिनके लिए उन्होंने अपने सैनिक सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत वचन दिया थ। । यू० एस० ए० सरकार ने भारत और पाकिस्तान को हथियारों तथा गोलाबारूद की सप्लाई देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया है । यू० के० सरकार ने हर प्रकार के हथियारों और गोलाबारूद की, एक सरकार से दूसरी सरकार को प्राप्त होने वाली सप्लाई, स्थगित कर दी है, और ऐसे प्रतिबंध भी लगा दिए हैं, कि जिनके अन्तर्गत विशेष किस्म के रक्षा सामान निर्यात करने से पहले, एक निर्यात लायसेंस प्राप्त करना होता है। कनाडा, फ्रांस, स्विटज़रलैंड तथा पश्चिमी जर्मनी से प्राप्त होने वाली सप्लायों पर भी इन प्रतिबंधों और निर्यातों पर रोकों का असर पड़ा है । भारत सरकार का विचार है, कि भारत को रक्षा साज़सामान सप्लाई पर, इसे पाकिस्तान के समतुल्य मानते, प्रतिरोध लगाना अन्याय है, क्योंकि इस तरह वह भारत से, जो आक्रमण का शिकार है, और पाकिस्तान से, जो आक्रमणकारी है समान व्यवहार करती है।

M. I. G. Factories

*531. **Dr. Ram Monohar Lohia :**
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the advisability of selecting Nasik, Koraput and Hyderabad as the sites for establishing M.I.G. aircraft factories with Soviet collaboration ;

(b) whether this selection will hinder the rapid execution of the project; and

(c) whether it has led to an increase in the transportation costs and other incidental expenditure ?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) Among several reasons some of the general considerations for selection of these sites were ; the availability of large adequate areas ensuring scope for future expansion, non-submergibility in water, absence of seismic vibrations, absence of obstructions, low sub soil water level and absence of wind storms. In case of the Engine Factory, Koraput was selected due among other things, to a large area being available for future expansion at an altitude of 3000 ft. above the sea level. In case of the Electronics Factory, the location of Defence Research and Development Laboratory conducting research into Electronics and missiles at Hyderabad was a major consideration. These selections were made in consideration with the Soviet Specialists.

(b) No, Sir.

(c) Yes, Sir, to some extent.

आकाशवाणी से राजनैतिक दलों के नेताओं के भाषणों का प्रसारण

*533. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त-सितम्बर, 1965 में आकाशवाणी से विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के बहुत से भाषण प्रसारित किये गये;

(ख) क्या यह भी सच है कि आकाशवाणी ने संसद में तथा संसद के बाहर संयुक्त समाजवादी दल के किसी नेता को रेडियो से भाषण प्रसारित करने के लिये नहीं बुलाया; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या करण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । एक सदस्य को निमन्त्रित किया गया और उन्होंने 19-10-1965 को भाषण प्रसारित किया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ब्रिटिश मंत्रियों की भारत यात्रा

*534. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मरण्डी :
श्री उटिया :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों में से किस किस ने भारत का दौरा किया था; और

(ख) भारतीय प्रधान मंत्री के ब्रिटेन के दौरे के प्रत्युत्तर में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री भारत का दौरा कब करेंगे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) पिछले एक साल में बोर्ड आफ़ ट्रेड के प्रेसीडेंट, सम्माननीय श्री डगलस जे और समुद्रपार विकास मंत्री, श्रीमती बारबरा केसल ने भारत की यात्रा की थी ।

(ख) ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने हमारे प्रधान मंत्री का भारत आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी तक आने की कोई तारीख तय नहीं हुई है ।

रेलवे मंत्री की विदेश यात्रा

*535. **श्री मधु लिमये** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे मंत्री ने विदेशों की विशेषतया अमरीका की यात्रा किस रूप में और किस उद्देश्य से की; और

(ख) क्या उनको भारत-पाकिस्तान संबंधों तथा काश्मीर के बारे में अमरीका तथा ब्रिटेन सरकार के प्रतिनिधियों को भारत का पक्ष स्पष्ट करने का सरकार ने अधिकार दिया था ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख) : श्री एस० के० पाटिल को भारत-पाकिस्तान के हाल के झगड़े के संबंध में भारत की स्थिति समझाने के लिये कुछ देशों में भेजा गया था । श्री पाटिल द्वारा मुझे भेजा गया एक संक्षिप्त टिप्पण, जिसमें उस बात चीत के दायरे के संबंध में बताया गया है जो उन्होंने विदेश में की थी, सभा पटल पर रखा है ।

विवरणी

आपकी इच्छा के अनुसार मैंने लैटिन अमरीका और संयुक्त राज्य अमरीका के कुछ देशों का दौरा किया था, जिस से इन देशों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को कश्मीर में हाल में हुए भारत-पाकिस्तान के झगड़ के विषय में अपनी स्थिति और इन देशों से हमारे सम्बन्ध के लिए महत्व की कुछ दूसरी बातें समझाई जा सकें । वापसी की यात्रा में मैं ने संयुक्त राज्य अमरीका का भी दौरा किया । जब मैं विदेश में था तो मैंने आपको लिखा था और स्वदेश लौटने पर मैंने मौखिक रिपोर्ट दी थी । मैं अब यह संक्षिप्त टिप्पण भेज रहा हूं ।

मैंने जो बातचीत की उस में कई विषय सम्मिलित थे, जो महत्व और दिलचस्पी के होने के नाते उत्पन्न हुए थे । मुख्य विषयों को मैं पांच वर्गों में विभाजित कर सकता हूं । ये हैं :—

(1) चूंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अत: भारत के बाहर किसी को भी इस विषय पर निर्णय करने का अधिकार नहीं है ।

(2) जन-मत संग्रह के विषय में सारी बात एक अनर्गल बात है और जनमत संग्रह के लिए दलील एक मिनट के लिए भी न तो कानूनी न वैधानिक, न मनोवैज्ञानिक और न क्रियात्मक रूप से ठहर सकती है । जनमत संग्रह के परिणाम इतने भंयकर होंगे कि कोई भारतीय सरकार कभी भी इसको न मानेगी ।

(3) पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध अनावृत आक्रमण करने का साहस उन आधुनिक और भ्रष्ट अस्त्रों के कारण हुआ जो उसे बहुतायत से, लगभग कुछ दिये बिना, उन देशों से प्राप्त हुए, जिससे भारत का मित्रतापूर्ण सम्बन्ध था । ये देश जो कम से कम कर सकते थे वह यह था कि पाकिस्तान को वे हथियार चाहे वे नये थे या पुरानों के बदले में दिये गये थे—देने बन्द कर देते जब तक स्थायी शांति की गारंटी न होती ।

(4) इस दुर्भाग्यपूर्ण झगड़े के बावजूद भारत को नई वचन-बद्धता और पाइपलाइन दोनों के रूप में आर्थिक सहायता जारी रहनी चाहिए ।

(5) पी० एल० 480 के अन्तर्गत होने वाले मासिक संभरणों में उस सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य को ही विफल कर दिया, जिसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस ने पब्लिक ला 480 बनाया था । कीमतों को एक उचित स्तर पर स्थिर करने के लिए इन संभरणों का एक दीर्घकालीन समझौता होना चाहिए ।

मुझे ऐसा विश्वास करने का कारण है कि हमारे रवैया का व्यक्तिगत रूप से प्रतिपालन किये जाने से उसको ज्यादा अच्छी तरह से समझने में सहायता मिली है ।

सीमावर्ती सड़कें

1391. **श्री बागड़ी :**

श्री मधु लिमये :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमावर्ती सड़कों के निर्माण कार्यों के मामलों में फंसे होने के कारण मुअत्तिल किये गये अधिकारियों के वेतनों/भत्तों पर सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गयी है; और

(ख) क्या अगस्त-सितम्बर, 1965 में हुए भारत और पाकिस्तान के हाल के संघर्ष के दौरान सरकार ने उनके मुकदमों का निर्णय होने तक इन अधिकारियों की सेवायें अग्रिम क्षेत्रों में कार्य करने के हेतु प्राप्त की थीं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सूचना संबंधित अधिकरणों से इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) जी नहीं ।

तेल्लीचेरी टेलीफोन एक्सचेंज में सुविधायें

1392. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल्लीचेरी टेलीफोन एक्सचेंज में शयनशाला, विश्राम-कक्ष तथा मनोरंजन की सुविधाओं की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) तथा (ख) : हाल ही में दफ्तरों के लिए किराये पर ली गई एक दूसरी इमारत के एक हिस्से में कुछ सुख-सुविधा की अस्थायी व्यवस्था कर दी गई है।

1,81,400 रुपये की लागत से एक नया दूरसंचार भवन बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें सुख-सुविधा की व्यवस्था भी रहेगी।

आई० एन० एस० वारक्कल

1393. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० एन० एस० वारक्कल को कोयम्बतूर में ले जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) पेट्टी अफसरों के लिए नेतृत्व स्कूल को, जो पहले आई० एन० एस० वारक्कल कहलाता था (और जिसका आई० एन० एस० अग्रणी नाम रख दिया गया है) पहले से ही कोयम्बटूर अन्तरित कर दिया गया है।

(ख) स्कूल को अन्तरित करने का फैसला प्रशासनिक सुविधा और खर्च में बचत के विचार से किया गया था।

सुन्दरनगर (टाटानगर) में टेलीफोन एक्सचेंज

1394. **डा० सरोजिनी महिषी** : क्या **संचार** मंत्री 30 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 1008 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सुन्दरनगर-टाटानगर (सिंहभूम) में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का काम इस समय किस अवस्था में है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : एक्सचेंज के लिए एक इमारत किराये पर ले ली गई है और एक्सचेंज उपस्कर लगाने का काम प्रगति पर है। आशा है कि दिसम्बर, 1965 में एक्सचेंज चालू हो जाएगा।

P. & T. Training Centre in Maharashtra

1395. **Shri D. S. Patil** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to set up a Posts and Telegraphs Regional Training Centre in Maharashta;

(b) if so, the particular place likely to be selected for the purpose; and

(c) when it is likely to be set up ?

Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) and (b). No P. & T. Regional Training Centre is to be set up in Maharashtra. A Telecommunication Training Centre for training Engineering Supervisors is proposed to be set up at Nagpur.

(c) No final date for setting up the Centre has yet been fixed, but it is likely to be started in about two months time or earlier.

पाकिस्तानियों का भारत में अवैध प्रवेश

1396. **श्री कृष्णदेव त्रिपाठी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्धविराम होने के बाद पाकिस्तानी सैनिक अवैध रूप से जम्मू तथा काश्मीर में घुस आये हैं;

(ख) अवैध रूप से आये हुए कितने पाकिस्तानी व्यक्ति जम्मू तथा काश्मीर तथा भारत के अन्य भागों में मारे गये हैं तथा गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ग) क्या अवैध रूप से आए तथा गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानियों को युद्धबंदी समझा जायेगा क्योंकि वे अनियमित सैनिक है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) युद्ध-विराम के पश्चात् घुसपैठियों के एक या दो दल देखे गए हैं।

(ख) अब तक लगभग 1200 घुसपैठिए मारे गए हैं।

(ग) जो व्यक्ति जनैवा सम्मेलन के अन्तर्गत युद्ध-बन्दियों के व्यवहार के अधिकारी है, उन्हें उस सम्मेलन के अन्तर्गत प्राप्य सभी आवश्यक सुविधाएं दी जाती हैं। अन्य सभी बन्दियों से भी समुचित तथा मानवता का बर्ताव किया जाता है।

उड़ीसा में किराये की इमारतों में डाक घर

1397. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितने डाक्टर किराये की इमारतों में हैं; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक सरकार ने इन डाकघरों के किराये के रूप में कितनी राशि खर्च की है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 307 डाकघर।

(ख) अक्तूबर, 1965 तक 7,42,992 रुपये 57 पैसे।

आकाशवाणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

1398. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री 10 मई, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3366 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने के प्रस्तावों पर विचार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना में आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है। योजना अन्तिम रूप से स्वीकार होने के बाद ही, तफ़सील का पता लग सकेगा।

राजस्थान में डाकघरों में जमा राशि

1399. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 सितम्बर, 1965 तक छोटी बचत योजना के अन्तर्गत राजस्थान के विभिन्न डाकखानों में कुल कितनी रक़म जमा थी।

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : 1 जनवरी, 1965 से 30 सितम्बर, 1965 तक राजस्थान के डाकघरों में बचत बैंकों में सावधि संचयी जमा तथा बचत पत्रों में कुल मिलाकर जमा की गई रक़म 5,66,03,447 रुपये थी।

राजस्थान में टेलीफोन राजस्व की बकाया राशि

1400. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय टेलीफोन राजस्व की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) उसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 1 अक्तूबर, 1965 को 31 मार्च, 1965 तक जारी किये गए बिलों के 288 हज़ार रुपये।

(ख) निपटान करने की दृष्टि से दोषी उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने और जहां आवश्यक हो कानूनी कार्रवाई करने जैसे कदम उठाये जाते हैं। निजी तथा सरकारी, दोनों ही प्रकार के दोषी उपभोक्ताओं के टेलीफोन काटने की कार्रवाई भी की गई है।

राजस्थान में डाक सेवा

1401. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1965 के अन्त तक राजस्थान में कितने गावों में डाक सेवा की व्यवस्था थी ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

राजस्थान के आबादी वाले सभी गांवों में किसी डाकघर के नियमित वितरण कर्मचारियों अथवा विशेष "मज़दूरों" के जरिये डाक वितरण की सुविधा है। तीसरी योजना अवधी में वितरण सेवा अधिक बार की जाने लगी है। 30-9-1965 को स्थिति इस प्रकार थी :–

वितरण सेवा	30-9-65 को गांवों की संख्या
दैनिक	8,762
सप्ताह में तीन बार	8,116
सप्ताह में दो बार	7,923
साप्ताहिक	9,096
सप्ताह से अधिक	239

जहां तक नये डाकघर खोलकर डाक सेवाओं के विस्तार का सम्बन्ध है, 30-9-65 को राजस्थान में 14 प्रधान कार्यालय, 521 विभागीय उप-कार्यालय, 95 अतिरिक्त-विभागीय उप-कार्यालय और 4,999 शाखा कार्यालय थे।

उड़ी-पुंछ सड़क

1402. **श्री राम हरख यादव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उडी को पूंछ से मिलाने वाली 35 मील लंबी सड़क को जनता तथा मोटर गाड़ी यातायात के लिये हाल ही में खोल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सड़क का महत्व तथा सार्वजनिक उपयोगिता क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) ऊड़ी और पुंछ को मिलाने वाली सड़क 2 नवम्बर 1965 को सम्पूर्ण की गई थी । यह सड़क सामान्य यातायात तथा गाड़ियों के लिए नहीं खोली गई है, क्योंकि यह प्रतिबद्ध क्षेत्रों से होकर गुजरती है । तथापि, असैनिक यातायात, इसे विशेष अनुमति से इस्तेमाल कर सकता है ।

(ख) जब यह सड़क जनता के लिए खोल दी गई, पुंछ और ऊड़ी और पुंछ और श्रीनगर घाटी के बीच का फासला कम हो जाएगा, क्योंकि अन्यथा, पुंछ से ऊड़ी और श्रीनगर का मार्ग, जम्मू के रास्ते तथा वनिहाल दर्रे से होकर जाता है, जो बहुत लम्बा फासला है ।

P. C. Os in U. P.

1403. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total number of Public Call Offices that were scheduled to be opened throughout U.P. during the Third Five Year Plan;

(b) their locations, districtwise; and

(c) the number of such offices which have already been opened alongwith the names of places, district-wise ?

Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati.) : (a) 174 long distance Public Call Offices were scheduled to be opened in U.P. during the Third Five Year Plan.

(b) A statement giving district-wise locations is laid on the table of the Lok Sabha [**Placed in the Library, See No. LT-5252/65.**] [1]

(c) 128 long distance Public Call Offices have already been opened. Their names district-wise are given in the statement attached in reply to part (b) of the Question.

नागालैण्ड सम्बन्धी मामले

1404. **श्री लखमू भक्तनी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच यह निर्णय कर लिया है कि नागाओं तथा उनके दर्जे से सम्बन्धित प्रश्न का विचार गृह-मंत्रालय में किया जायेगा, न कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में जैसा कि अब तक किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी व्यवस्था कब आरम्भ की जायेगी ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादूर शास्त्री) : जैसा कि मैं श्रीमती सावित्री निगम तथा अन्य सदस्यों के 30 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 270 के उत्तर में लोकसभा में बता चुका हूं, सरकार ने सिद्धान्त रूप में मान लिया है कि नागालैंड भारत का अभिन्न अंग होने के नाते नागालैंड संबंधी मामले वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के कार्य-क्षेत्र में नहीं आते । यह अधिक उचित होगा कि उनपर गृह-कार्य मंत्रालय में विचार हो । तथापि, वर्तमान स्थिति को देखते हुए, वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन कुछ समय बाद किया जायेगा ।

Adoption of Children of Victims of Pak. Aggression

1405. Shri D. S. Patil :
Shri Tulshidas Jadhav :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of well-to-do families who have offered themselves in response to the appeal made by leaders to adopt the orphans of those parents who have become victims of Pakistani aggression; and

(b) the total number of such children adopted, state-wise, so far ?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) There is only one offer of this kind which is for adoption of one boy and one girl of service personnel killed in action received from a childless Headmaster of a school in Saharanpur. All the other offers are for grant of financial assistance for education of children or for maintenance of families of such personnel.

(b) Nil.

राष्ट्रीय सेना छात्र दल के केडिट

1406. **श्री लखमू भवानी :** क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सेना छात्र दल के केडिटों (दोनों वरिष्ठ और कनिष्ठ डिविजन पृथक पृथक) की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक डिविजन में लड़की केडिटों की संख्या कितनी हैं; और

(ग) क्या यह योजना सब स्कूलों और कालेजों में अनिवार्य कर दी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : मध्य प्रदेश में एन० सी० सी० छात्रों की जनशक्ति और प्रत्येक डिवीज़न में कन्या छात्राओं की संख्या 30 सितम्बर 1965 को इस प्रकार थी :—

	वरिष्ठ डिवीज़न एन० सी० सी०	कनिष्ठ डिवीज़न एन० सी० सी०
एन० सी० सी० छात्रों की कुल संख्या	67,200	32,950
कन्या छात्राओं की कुल संख्या	3,600	4,250

(ग) केवल कालिजों और विश्वविद्यालयों के सभी स्वस्थ शरीर स्नातकपूर्व छात्रों के लिए एन० सी० सी० अनिवार्य है।

D. A. for P&T Employees

1407. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the All India Posts and Telegraphs Employees Union has put forth a demand for the increase in dearness allowance;

(b) if so, the particulars of the demand made by the union; and

(c) the action taken by Government in this connection keeping in view the recommendations of Das Commission ?

Deputy Minister in the Department of Communications (Shri B. Bhagavati) : (a) The All India Telegraph Engineering Employees Union Class III has put forth such a demand.

(b) The Union has demanded full neutralisation of the increase in the cost of living for the pay group of Rs. 70-150, at Rs. 150 ; full neutralisation to employees in the pay group of Rs. 150-300 on the basis of pay ; and 75% neutralisation to employees in the pay range of 300-500, provided that the quantum of D.A. in their case should not be less than what an employee on a pay of Rs. 300/ is granted.

(c) The existing rates of dearness allowance have been enhanced after careful consideration and keeping in view the observations made by the Dearness Allowance Enquiry Body. It was, therefore, not possible to accede to the demand to revise the rates made by the Union. The Union has been informed accordingly.

विद्रोही नागाओं की विद्रोहपूर्ण कार्रवाइयां

1408. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री काजरोलकर :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री मुहमद कोया :
श्री हेडा :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड में विद्रोही नागाओं की विद्रोहपूर्ण कार्रवाइयां आजकल बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो मनिपुर तथा अन्य स्थानों से कितने व्यक्तियों का अपहरण किया गया है; और

(ग) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) पिछले दो महीनों में नागालैंड में उपद्रवियों की गतिविधियोंमें वृद्धि हुई है।

(ख) सितंबर और अक्तूबर के महीनों में नागालैंड से 219 और मणिपुर से 36 लोगों को उठा ले जाया गया।

(ग) सिविल प्रशासन जान और माल की रक्षा करने के लिए कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठा रहा है। जब कभी छिपे नागाओं द्वारा युद्धविराम करार की शर्तों का उल्लंघन सामान्य कानून के अंतर्गत अपराध की कोटि में आ जाता है, तभी अपराधियों के विरुद्ध कानूनी पुलिस कार्रवाई की जाती है। समय-समय पर शांति मिशन को सूचना दी जाती है कि वह संबद्ध मामले को छिपे नेताओं के साथ समुचित रूप में उठाए कि ऐसी घटनाएं फिर न हों।

नजरबन्द लोगों द्वारा राष्ट्रीय रक्षा कोष में अंशदान

1409. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन त्रिवेन्द्रम (केरल) में नजरबन्द वामपंथी साम्यवादियों ने अपने भत्तों में से कुछ राशि राष्ट्रीय रक्षा कोष में दी है; और

(ख) यदि हां, तो कितना धन दिया गया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) 82 रुपये 37 पैसे।

राष्ट्रीय छात्र सेना दल के विद्यार्थी

1410. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्र सेना दल में हैं तथा वे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष .22 तथा .303 राइफलों से क्रमश: कितनी गोलियां चलाते हैं ; और

(ख) क्या इस प्रशिक्षण को तेज करने के बारे में सरकार के सामने कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 30 नवम्बर 1965 को देश भर में एन० सी० सी० छात्रों की कुल संख्या नीचे दी गई है :—

वरिष्ठ डिवीज़न एन० सी० सी० . .	1018486
कनिष्ठ डिवीज़न एन० सी० सी० . .	525855

प्रति एन० सी० सी० छात्र द्वारा प्रति वर्ष .22 तथा .303 राईफलों द्वारा दागी गई गोलियों की संख्या इस प्रकार है :—

वरिष्ट डिवीज़न सेना पक्ष (लड़के)	**गोलिएं प्रति छात्र प्रतिवर्ष**
.22 राईफल	5
.303 राईफल	12
नौसेना पक्ष	
.22 राईफल	20
.303 राईफल	25
वायु सेना पक्ष	
.303 राईफल	25
अफसर प्रशिक्षण यूनिट	
.22 राईफल . . .	25 (प्रथम वर्ष छात्र)
.303 राईफल	30
कन्या डिवीज़न	
.22 राईफल	10
कनिष्ठ डिविज़न सेना पक्ष (लड़के)	
.22 राईफल	20
नौसेना पक्ष	
.22 राईफल	20
वायु सेना पक्ष	
.22 राईफल	20
सेना पक्ष (कन्याएं)	
.22 राईफल	10

(ख) एन० सी० सी० छात्रों द्वारा दागी जाने वाली गोलियों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। तदपि वर्तमान स्थिति के संदर्भ में एन० सी० सी० प्रशिक्षण पर पहले से और अधिक बल दिया गया है। अब आगे से अधिक बल दिया जाता है हथियारों के प्रशिक्षण पर, और असैनिक सुरक्षा के विषयों पर, जैसे कि आग बुझाने, यातायात नियन्त्रण, हताहतों का निकास, बचाव-कार्य तथा चौकियां संभालना।

P & T Employees in the Forward Areas

1411. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether any special facilities have been provided to the employees of the Posts and Telegraphs Department who are posted in the forward areas; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) Yes, in some areas of Punjab.

(b) Special facilities provided were :

Ferozepore : Vacant residential quarters in the compound of the P&T Offices were temporarily converted into unfurnished dormitories for use of the staff during curfew hours.

Fazilka : (a) Arrangements were made for enabling the entire staff to stay in the Telephone Exchange premises.

(b) Transport was arranged with the assistance of the local civil authorities for use on official work as well as for procurement of essential daily necessities to the staff.

(c) Rations, tea, sugar and milkpowder adequate for about a week, were arranged to be supplied to P&T staff, with the assistance of the local civil authorities.

Other stations : Wherever considered necessary departmental as well as other Civil /Military transport were provided to the staff. Armed guards were also provided in such transport.

अदन में दंगे

1412. श्री प्र० चं० बरूआ :

श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अदन में हाल ही में हुए दंगों में, दंगाइयों ने भारतीय लोगों पर हमले किये तथा उनकी सम्पत्ति को हानि पहुंचाई; और

(ख) यदि हां, तो वहां रहने वाले भारतीय लोगों के धन जन की हानि के बारे में सरकारी जानकारी क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : हाल ही में अदन में जो दंगे हुए थे उनमें कुछ भारतीयों की कारों को और संपत्ति को, जिनकी क़ीमत अन्दाज़न 2 लाख रुपये है, नुकसान पहुंचा था किन्तु किसी भारतीय राष्ट्रिक पर हमला नहीं किया गया था।

Nuclear Weapons

1413. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government have definite statistics about the cost of explosion of an atom bomb;

(b) whether Government are in a position to make headway in the direction of manufacturing nuclear weapons without the collaboration of Canada;

(c) whether the generation of power in the country is so much as to proceed with a programme of nuclear weapons; and

(d) whether the present generated power can be conveniently used for the manufacture of atom bombs?

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : (a) Definite statistics can only be obtained on the basis of repeated tests. It is not India's policy to make and test atomic bombs.

(b) India need not depend on Canada or any other foreign country for technical collaboration in this field.

(c) & (d). Yes. The power generation in the country is sufficient to operate a gaseous diffusion plant for the separation of U235, but it is not Government's intention to build such a plant.

पकड़े गये हथियारों का प्रयोग

1414. **श्री व० कु० दास** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका ने भारत से कहा है कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दिये गये तथा भारत-पाकिस्तान संघर्ष में भारतीय सेनाओं द्वारा पकड़े गये हथियारों का प्रयोग भारत द्वारा न किया जाये;

(ख) क्या सरकार ने इस बात को मान लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के कारण हुई क्षति

1415. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
[श्री क० ना० तिवारी :
श्री बालकृष्णन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक व तार बोर्ड ने अपनी चौथी योजना तथा अन्य विकास कार्यक्रमों को प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिये क्या कार्यवाई की है;

(ख) क्या बोर्ड ने यह निर्णय किया है कि जब तक प्रतिरक्षा अथवा नागरिक सुरक्षा के लिये आवश्यक न हो छोटे गांवों तथा नये स्थानों पर डाक व तार कार्यालय न खोले जायें;

(ग) क्या डाक व तार विभाग को भारत-पाकिस्तान संघर्ष के कारण कोई क्षति हुई है; और

(घ) क्या आपातकाल में तथा शत्रुद्वारा किये गये भारी आक्रमणों के दौरान देश की संचार व्यवस्था नियमित रूप से काम करती रही है?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) चौथी योजना में प्रतिरक्षा अधिकारियों के लिये दूरसंचार व्यवस्था का व्यापक जाल बिछाने का प्रश्न डाक-तार बोर्ड के विचाराधीन है।

(ख) मौजूदा आर्थिक संकट के दौरान अधिक से अधिक बचत करने और रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये सामान बचा रखने की दृष्टि से यह निश्चय किया गया है कि (i) उन स्थानों को छोड़कर जहां पहले ही पक्के वायदे किये जा चुके हैं कहीं और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर नहीं खोले जाएंगे (ii) उन स्थानों को छोड़कर जहां रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये जरूरी है कहीं और तारघर नहीं खोले जाएंगे तथा (iii) उन स्थानों को छोड़कर जहा काम पहले ही शुरू हो चुका है या जहां कुछ आर्थिक वायदे किये जा चुके हैं कहीं और कोई भी दूरवर्त्ती सार्वजनिक टेलीफोन घर नहीं खोले जाएंगे। फिर भी, यह पाबन्दी रक्षा सम्बन्धी प्रयत्नों के लिये आवश्यक दूरवर्त्ती सार्वजनिक टेलीफोन घरों पर लागू नहीं होगी। यह पाबन्दी सीमा वर्त्ती क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये राज्य सरकार द्वारा मांगे गये दूरवर्त्ती सार्वजनिक टेलीफोन घरों पर भी लागू नहीं होगी।

(ग) भारत-पाकिस्तान संघर्ष के कारण स्टाक की विभिन्न वस्तुओं के नष्ट होने के अलावा अभी तक उपलब्ध सूचना के अनुसार डाक-तार विभाग को 2,19,912 रुपये 40 पैसे की हानि हुई है। इन आंकड़ों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

डाक	4,796 रुपये 40 पैसे
तार	1,75,527 रुपये
टेलीफोन	39,589 रुपये

(घ) सामान्यतः संचार लाईने संतोषजनक रूप से कायम रखी गईं, किन्तु निम्नलिखित कारणों से सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ डाक में अनावश्यक रूप से देरी हो गई :—

(i) इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन द्वारा मुख्य मार्गों पर रात की हवाई उड़ानों का रद्द कर दिया जाना और शाखा लाइनों पर बहुत सी उड़ानों का रद्द कर दिया जाना।

(ii) पंजाब परिमंडल में उत्तर रेलवे के मुख्य मार्गों पर कुछ डाक ले जाने वाली गाड़ियों का रद्द कर दिया जाना।

(iii) रेल गाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर स्थित छंटाई कार्यालयों में पूरी तरह से अंधेरा रखने की पाबन्दी।

(iv) दुश्मन की भारी गोलाबारी के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क के चालू रहने में बाधा पड़ जाना।

(v) हवाई हमलों की चेतावनी, जिनके बार बार होने के कारण काम में गड़बड़ी हुई।

अग्रिम क्षेत्रों में फिल्म कलाकारों द्वारा सैनिकों का मनोरंजन

1416. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म कलाकारों को सेनाओं का मनोरंजन करने के लिये अग्रिम क्षेत्रों के सामयिक दौरे करने को कहा है,

(ख) क्या सरकार ने युद्ध संबंधी फ़िल्में बनाने के लिये फिल्म निर्माताओं को सहायता देने की योजना बनाई है, और

(ग) क्या आकाशवाणी के कलाकारों तथा अन्य संगीतज्ञों को विशेष रूप से अग्रिम क्षेत्रों में जाने की अनुमति दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार ने फ़िल्म कलाकारों को सेनाओं का मनोरंजन करने के लिये अग्रिम क्षेत्रों के दौरे करने को नहीं कहा है। लेकिन रक्षा मंत्रालय ने कुछ कलाकारों को उनके कहने पर, जवानों का मनोरंजन करने के लिये अग्रिम क्षेत्रों में जाने की इजाजत दी है।

(ख) फ़िल्म डिवीजन ने गैरसरकारी निर्माताओं को वर्तमान संकट से सम्बन्धित कुछ वृत्त चित्र बनाने का काम सौंपा है। इसके अतिरिक्त यह निर्णय किया गया है कि जब कोई गैरसरकारी निर्माता सरकार को भेंट देने के लिये फ़िल्म बनाना चाहे तो उसके मांगने पर उसे फ़िल्म डिवीजन के स्टाक शाट बिना कीमत दे दिये जाएं, पर इन की लम्बाई पूरी फिल्म की लम्बाई के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये; रक्षा मंत्रालय भी उन गैरसरकारी निर्माताओं को जो संकटकाल से सम्बन्धित कथा-चित्र बनाना चाहते हैं, कुछ शर्तों पर और पैसा लेकर सेना की सहायता प्रदान करता है।

(ग) जहां कहीं सैनिक अधिक संख्या में हों और वहां मनोरंजन का यथेष्ठ प्रबन्ध न हो तो आकाशवाणी की यह परिपाटी रही है कि वह सेना के लिये सैनिक शिबिरों या छावनी क्षेत्रों में संगीत और विविध कार्यक्रम करती है। इस प्रकार आकाशवाणी के कलाकार बराबर जवानों का मनोरंजन करते आए हैं। इस काम के लिये कुछ रेडिओ कलाकार अग्रिम क्षेत्रों में जा चुके हैं।

जवानों के वीरता के कारनामों का प्रचार

1417. श्री श्रीनारायण दास : क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त और सितम्बर, 1965 में विभिन्न अंचलों में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में हमारे सशस्त्र सैनिकों द्वारा प्रदर्शित वीरता और पराक्रम के कारनामों को संकलित करने तथा उनको प्रकाशित करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो उस का ब्यौरा क्या है, और

(ख) यदि हां, तो उस संकलित प्रकाशन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) पिछले अगस्त और सितम्बर के महिनों में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में विभिन्न क्षेत्रों में हमारे सैनिकों की वीरता और पराक्रम के कारनामों का प्रचार अखबारों और रेडियों में किया गया। इन कारनामों पर प्रकाश डालने के लिये, विभिन्न प्रदर्शनियों में चित्र भी दिखाये गये हैं। इस विषय पर वृत्त तथा समाचार चित्र भी बना कर सिनेमा घरों में दिखाने के लिये दिये गये हैं।

'हारवैस्ट आफ ग्लोरी' और इसका हिन्दी संस्करण 'वीरों की गौरव गाथा' नामक पुस्तिका छापी गयी है और इनकी प्रतियां बड़ी संख्या में बांटी जा रही हैं। इसका उर्दू संस्करण भी छप रहा है। सैनिकों की वीरता के और विवरण संकलित किए जा रहे हैं जो एक और पुस्तक में प्रकाशित किए जाएंगे।

(ख) 'हारवैस्ट आफ ग्लौरी' तथा 'वीरों की गौरव गाथा' नामक पैम्पलेटों तथा 17 और 19 नवम्बर को प्रेस विज्ञाप्तियों की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में रख दी गई है।

विमान-भेदी तोपें

1418. श्री श्रीनारायण दास : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी आक्रमण तथा चीन की धमकी से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने नगरों तथा महत्वपूर्ण हवाई अड्डों की रक्षा करने के लिये विमान भेदी तोपों की अपनी आवश्यकता के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : वैमानिक आक्रमण के लिये, मर्म क्षेत्रों की रक्षा के लिये आवश्यकता, तथा विमानभार तोपों की आवश्यकता, निरंतर पुनरावलोकन अधीन रहती है, विशेषकर हाल के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद से। ऐसे पुनरावलोकनों के परिणाम प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में विमानों का निर्माण

1419. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री दे० द० पुरी :
श्री बासप्पा :
श्री मोहसिन :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दूस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बंगलोर में विमानों का निर्माण बढ़ाया गया है ;

(क़) यदि हां, तो कितना; और

(ग) नई किस्म के लड़ाकू विमान बनाने तथा विदेशों से मंगाये जाने वाले पूर्जों के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) उत्पादन के विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

(ग) इस समय नई किस्म के लड़ाकू विमानों के उत्पादन का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक आत्मनिर्भरता का संबंध है, हिन्दूस्तान वैमानिकी लि० (बंगलौर डिवीजन) में कई विमानांगों और उपसाधनों जैसे कि चक्र और ब्रेकें, अण्डर-कैरेज, हाइड्रालिक साज़सामान, औज़ार और उपसाधन, वातानुकूलन और दाबानुकूलन साज़सामान इत्यादि के निर्माण के लिए एक उपसाधन विभाग स्थापित किया जा रहा है, जो अब तक आयात किए जाते थे।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों पर लागू पेंशन नियम

1420. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के असैनिक कर्मचारियों पर लागू होने वाले पेंशन नियमों में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण है;

(ग) क्या यह सच है कि 1 अगस्त, 1949 से पहले की अतिरिक्त अस्थायी सेवा का केवल 50 प्रतिशत ही पेंशन के लिए गिना जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) इस असंगति को ठीक करने लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : जी हां। रक्षा सिब्बन्दियों के असैनिकों के लिये पेन्शन सम्बन्धी नियम, समय समय पर असैनिक विभागों के लिये जारी किए गए आदेशों के आधार पर, संशोधित किए गए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) तथा (ङ) : चूंकि, अतिरिक्त अस्थायी सिब्बन्दि कर्मचारीगण "यथा आवश्यक" आधार पर स्थानीयत: भर्ती किए गए थे, और प्राय: दैनिक वेतन-दरों पर, ई० टी० ई० सेवा नियमित अस्थायी सेवा से श्रेणी में निम्न मानी गई है। उनकी नियुक्ति का स्वरूप स्वयं, नैमित्तिक श्रेणी के लगभग था। द्वितीय वेतन आयोग ने ई० टी० ई० स्टाफ और नियमित अस्थाई स्टाफ के दर्मियान समता की सिफारिश नहीं की थी। इसकी सिफारिश थी, कि जबकि, स्थायी सेवा पेन्शन के उद्देश्य के लिये, सम्पूर्णत: गण्य मानी जानी चाहिये, अतिरिक्त अस्थायी सेवा का केवल आधा भाग गण्य माना जाना चाहिये।

इंजीनियरी उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

1421. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी मजूरी बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी नहीं।

(ख) मजूरी बोर्ड दिसम्बर, 1964 में नियुक्त किया गया था। इसने एक बड़े उद्योग के बारे में काम करना हो, जिसमें उत्पादन की विभिन्न श्रेणियां हैं।

(ग) इस समय निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि बोर्ड अपनो रिपोर्ट कब दे सकेगा परन्तु बोर्ड अपना कार्य यथाशीघ्र ढंग से कर रहा है।

Workers' Participation in Management

1422. Shri Bagri :
Shri S. M. Banerjee :

Will the Minister of **Labour** and **Employment** be pleased to state :

(a) whether the scheme prepared by Government to improve the relations between the employers and workers in factories and workers being made partners or shareholders in the management of the establishments in which they work, has been finalised; and

(b) if so, the details thereof ?

Minister of Labour and Employment (Shri Sanjivayya) : (a) No.

(b) Does not arise.

प्रादेशिक सेना

1423. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक सेना में स्थायी तौर पर नियुक्ति होने पर अधिकारी को कोई अतिरिक्त अथवा प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं मिलता ;

(ख) क्या प्रादेशिक सेना की सेवा की शर्तों को युक्तिसंगत बनाने तथा उनमें विद्यमान असंगतियों को ठिक करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) "मौलिक नियुक्ति" परिभाषा प्रादेशिक सेना में लागू नहीं है। समंगीकृत किए जाने पर प्रादेशिक सेना का अफसर उसी वेतनमानों पर वेतन और भत्ते प्राप्त करता है, जो नियमित सेना में समतुल्य पदों के लिये लागू हैं, सिवाय सरकारी सेवकों की हालत में, जिनकी असैनिक उपलब्धिएं अगर वह उच्चतर हों, सुरक्षित रखी जाती हैं। प्रादेशिक सेना के अफसर प्रादेशिक सेना से संबंधित होते हैं, और इसलिए वह किसी अतिरिक्त अथवा प्रतिनियुक्ति भत्ते के अधिकारी नहीं होते, अगर वह इस संगठन में सेवा कर रहे हों।

(ख) से (घ) : प्रादेशिक सेना सेविवर्ग की सेवा की शर्तें तथा स्थितिएं इस विचार पर आधारित है, कि प्रादेशिक सेना उन्हें केवल उन नागरिकों को अशंकालिक काम दिलाती हैं, जिनके अन्य उपकारी धन्धे हैं। तथापि, उनकी सेवा की शर्तों और स्थितियों का, किसी प्रकार की असंगतियों और संभाव्य कठिनाइयों को दूर करने के विचार से निरीक्षण किया जा रहा है।

स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

1424. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान करचालित टेलिफोन एक्सचेंजों को स्वंचालित टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलने के लिये एक व्यापक योजना बनाई है तथा क्या इस योजना को निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार संतोषजनक ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) क्या अगामी दो वर्षों में दो लाख से अधिक आबादी वाले सब नगरों में स्वचालित टेलीफ़ोन एक्सचेंज बनाना सरकार के लिए संभव हो सकेगा; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन नगरों में यह व्यवस्था किये जाने की संभावना है?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) सभी करचल एक्सचेंजों को स्वचल प्रणाली में बदलने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) अगले दो वर्ष के दौरान निम्नलिखित करचल एक्सचेंजों के स्वचल प्रणाली में बदल दिये जाने की संभावना है:--

(1) विजयवाड़ा
(2) सूरत
(3) नासिक
(4) जमशेदपुर
(5) तिरुचिरापल्ली
(6) हुबली--धारवाड क्षेत्र में धारवाड़ एक्सचेंज।
(7) कोचीन--एरनाकुलम क्षेत्र में एरनाकुलम एक्सचेंज।

पाकिस्तान द्वारा सीमा स्तम्भों का उखाड़ा जाना

1425. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 23 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 122 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 और 31 अगस्त, 1965 को कलकत्ता में हुए पश्चिम बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान के भू-अधिलेखों और सर्वेक्षण निदेशकों के 82 वें सम्मेलन में पश्चिम बंगाल के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों से सीमा स्तम्भों के उखाड़े जाने के मामलों पर भी चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये ;

(ग) क्या 31 अगस्त, 1965 के बाद कोई और घटना हुई है; और

(घ) यदि हां, तो कहां ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह निश्चय किया गया था कि संबद्ध सेक्टर में जितने भी खम्भे लापता हैं उनके स्थान पर इस सेक्टर में अन्य क्षेत्र-कार्य पूरे हो जाने पर, तुरन्त दूसरे खम्भे लगा दिए जाएंगे और फिर से खम्भे लगाने का यह काम 30 जून 1966 तक पूरा हो जाएगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

MIG Factory

1426. Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total number of workers to be employed in the MIG factory of the Hindustan Aeronautics Limited at Ozar, after the completion of its construction work;

(b) the total cost of the new town-ship to be made at Ozar;

(c) the ratio of the costs to be borne by the Central and State Governments; and

(d) the arrangement of water supply to this new township and the authority responsible therefor ?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) The total number of workers to be employed at Ozar after completion of construction work has been estimated to be about 7,500.

(b) Sanction for Rs. 2 crores for the construction of quarters in Phase I construction programme has been issued. Additional requirement in Phase II and Phase III will be considered later.

(c) Entire cost of the township will be borne by Hindustan Aeronautics Limited.

(d) Water supply to township will be arranged by the Government of Maharashtra on payment.

Acquisition of Lands for MIG Factory in Ozar

1427. Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Rs. 3 lakhs have been sanctioned for the education of children of those persons whose lands have been acquired for the setting up of a MIG factory in Ozar;

(b) if so, whether any suggestion has been received from the School and Gram Panchayat of that area that this amount should only be given for converting the High School of Ozar into a technical school ; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) Yes, Sir. Rs. 3·32 lakhs have been sanctioned and placed at the disposal of the Government of Maharashtra for training in preparatory technical courses for boys of the affected families with a view to absorb them ultimately as trainees in the Technical Centre at Nasik.

(b) A request was received by the State Government in July, 1963 from the Gram Panchayat, Ozar, to permit Navin Engraji Shala to start a technical school. A similar request was also received from Navin Engraji Shala which wanted an assurance for a grant towards the non-recurring expenditure for converting the High School into a Technical school.

(c) This request has been made to the State Government who have agreed to consider it in the fourth Five Year Plan.

Insecurity for Coloured People in U.K.

1428. Shri Bagri :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether there has been an increase in the violent activities of racial organisations like Ku Klux Klan in Britain during the last few weeks, as a result of which sense of insecurity is increasing among the coloured people including the Indians; and

(b) if so, the action being taken by the British Government with a view to such activities ?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) & (b). The Government has not received any report of an increase in the violent activities of racial organisations like Ku Klux Klan in Britain, causing an increased sense of insecurity among Indians.

Indo-Ceylonese Agreement

1429. Shri Bagri :
Shri Madhu Limaye :
Shri R. S. Pandey :
Shri D. C. Sharma :
Shri Ravindra Varma :
Shrimati Renuka Barkataki :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Himatsingka :
Shri P. C. Borooah :
Shri Kolla Venkaiah :
Shri Ramchandra Veerappa :
Shri R. Barua :
Shri Ram Harkh Yadav :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 289 on the 30th August, 1965 and state :

(a) the action taken in connection with the issuing of notices in September, 1965 regarding Indian/Ceylonese citizenship ; and

(b) the steps taken or proposed to be taken to implement the India-Ceylon agreement ?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) & (b). The Joint Committee envisaged in the Agreement has been meeting regularly and discussions are still in progress regarding issue of public notices calling for Indian/Ceylonese citizenship. These could not be issued in September as expected. It is hoped to issue them early in 1966.

Site for Underground Atomic Explosions in South India

1430. **Shri D. N. Tiwary :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Kindar Lal :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether any site has been selected to set up a plant somewhere in South India for detecting underground atomic explosions; and

(b) if so, the location thereof ?

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : (a) & (b). Yes, a sensitive array of seismometers has been installed at Gauribidanur, 50 miles north of Bangalore in Mysore State, for, among other things detection of nuclear explosions. The Station recorded a nuclear explosion which was fired underground on Amchitka in the Aleutian Islands (Alaska) on 29th, October, 1965.

भारतीय नौसेना

1431. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौसेना ने हाल में हुए संघर्ष के दौरान समस्त पाकिस्तानी नौ सेना को कराची बन्दरगाह में ही सफलतापूर्वक रोक रखा था; और

(ख) क्या भारतीय नौसेना ने भारतीय बन्दरगाहों पर आने वाले प्रत्येक जहाज की जांच करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : युद्ध के दौरान पाकिस्तानी नौसेना ने कराची की बंदरगाह से बाहर निकलने का साहस ही नहीं किया, सिवाय एक अवसर के जबकि पाकिस्तानी नौसेना का एक जहाज़ तजारती जहाज़ के भेष में था।

बम्बई, गोआ, कोचीन, मद्रास, विशाखापत्तनम और कलकत्ता की बन्दरगाहों में एक निरीक्षण सेवा संस्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य था उपरोक्त बंदरगाहों में दाखिल होने वाले किसी पोत को रोकना और उनकी जांच पड़ताल करना।

राजनयिक मिशन

1432. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में किन-किन देशों में राजनयिक दूतावास स्थापित करने का भारत सरकार का विचार है;

(ख) क्या कुछ देशो में अपने मिशनों को वर्गोन्नत करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो कहां ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह) : (क) चालू वर्ष के दौरान जोर्डन में एक मिशन स्थापित किया गया है ।

(ख) और (ग) : सिंगापुर के मिशन का दर्जा बढ़ाकर हाई कमीशन का कर दिया गया है ।

फ्राईगेटों (जंगी जहाजों) का निर्माण

1433. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 13 सितम्बर 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 594 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में लीएंडर क्लास फ्राईगेट एफ० एस० ए० 34 के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उत्पादन मं ी (श्री अ० म० थामस) : मझागांव डाक लि० बम्बई में फ्रिगेटों के निर्माण के लिए, सुविधाओं का संवर्धन प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित हो रहा है । फ्रिगेट प्रायोजना के लिए मझागांव डाक लि० के अफसरो और तकनीशिवों को, सर्वश्री विकर्स लि० और सर्वश्री यैरो एण्ड कम्पनी लि० सहयोगियों के जलपोत निर्माण कारखानों में, प्रगतिशीलता से, प्रशिक्षण दिया जा रहा है । पहले फ्रिगेट के लिए, सहयोगियों द्वारा निर्मित, मशीनों और साजसामान की सप्लाई के लिये, उन्हें आर्डर भेज दिए गए हैं। पहले फ्रिगेट के लिये आवश्यक विशिष्ट फौलाद की सप्लाई के लिए भी, यू० के० को आर्डर भेज दिए गए हैं ।

अमरीका से "फ्रीडम फाइटर" विमान

1434. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**

श्रीराम सहाय पाण्डेय :

श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 13 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 569 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय वायु सेना के लिए अमरीका की सरकार से "फ्रीडम फाइटर" विमान लेने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : यू० एस० सरकार ने शेष वायदों के प्रति भारत को हर प्रकार की सैनिक सहायता भेजना स्थगित कर दिया है, और सैनिक सहायता के नए प्रस्तावों पर विचार करना आस्थगित कर दिया है । इस संदर्भ में अधिप्राप्ति प्रस्तावों में कोई प्रगति नहीं हुई है ।

Strategic Structures on Indo-Pak. Border

1435. **Shri Gulshan :**
Shri Buta Singh :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan Government had constructed strong strategic structures on their side of the Indo-Pakistan border as on the Ichhogil Canal in the Lahore sector;

(b) the experience gained by Government therefrom; and

(c) whether similar defence arrangements are proposed to be made on the Punjab Border ?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) to (c). It is correct that Pakistan Government had constructed certain defensive structures on their side of the border in the Lahore sector. These are, and will be, taken into consideration in defence arrangements made on our side.

पाकिस्तानी छाता सैनिक

1436. **श्री राम सहाय पाण्डेय :** **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री जसवंत मेहता : **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुमान लगाया है कि पाकिस्तान ने विमानों द्वारा कितने पाकिस्तानी छाता सैनिक उतारे हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने छाता सैनिक पकड़े गए हैं?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : 6 सितम्बर को भारत-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के निकटस्थ हवाई अड्डों के पास चन्द एक सौ पाकिस्तानी सशस्त्र छाता सैनिक उतारे गए थे। पाकिस्तान द्वारा उतारे गए छाता सैनिकों में से अधिकतर से निपट लिया गया है, या वह मारे गए हैं, या पकड़े गए हैं या वह पाकिस्तान की ओर खदेड़ दिए गए हैं।

बैंक आफ चाइना

1437. **श्री राम सहाय पाण्डेय :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक आफ चाइना के बन्द किये जाने तथा उस की आस्तियों के बारे में चीन ने हाल ही में भारत सरकार से विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो चीनी विरोध पत्र में क्या कहा गया है; और

(ग) उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : चीनी नोट और उसके जवाब में भारत सरकार ने 29 अक्तूबर, 1965 को जो नोट भेजा था, ये दोनों सदन की मेज पर रखे जा रहे हैं। **पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-5253/65।]**

पंजाब में भर्ती केन्द्र

1438. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में, विशेषरूप से पिछड़े क्षेत्रों में, भर्ती केन्द्रों में बड़ी संख्या में युवक आ रहे हैं, किन्तु उनमें से कुछ लोगों को ही भर्ती किया जाता है और अन्य व्यक्तियों को निराश लौटाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त क्षेत्रों में अधिक भर्ती केन्द्र खोलेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भर्ती दृष्टिकोण से पंजाब का कोई क्षेत्र पछड़ा हुआ नहीं है। सेना में, वह उम्मीदवार जो शारीरिक मानदण्डों और आयु सीमाओं को कसौटी पर पूरे उतरते हैं, मांगों की प्राप्यता के अनुसार, बिना किसी क्षेत्र के भेदभाव के, कि जिन से वह आते हों, भर्ती कर लिए जाते हैं। तदपि, वायु सेना में उम्मीदवारों के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर भर्ती की जाती है, और जो उम्मीदवार चुनाव के लिए कम से कम ग्रेड में भी होते हैं, और डाक्टरी परीक्षण में योग्य माने जाते हैं, प्राप्य रिक्त स्थानों में भर्ती कर लिए जाते हैं। वह चुने गए उम्मीदवार, जो प्राप्य रिक्त स्थानों में नहीं खपाए जा सकते, बाद के पाठ्यक्रमों में खपाने के लिए सूचीबद्ध कर लिए जाते हैं, अगर वह उस समय भर्ती की शर्तों को पूरा करें। दोनों सेवाओं के लिए पंजाब में भर्ती के प्रति अनुक्रिया संतोषजनक है।

(ख) जैसे भाग (क) के उत्तर में कहा है संतोषजनक अनुक्रिया को ध्यान में रखते हुए, पंजाब के किसी भाग में सेना अथवा वायु सेना के लिए कोई अतिरिक्त भर्ती कार्यालय स्थापित करने का विचार नहीं है।

सिक्किम-तिब्बत सीमा

1439. **श्री यशपाल सिंह** :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चीन के विदेश मंत्री की इस घो णा की ओर दिलाया गया है कि सिक्किम तिब्बत सीमा, चीनी-भारत सीमा के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चीन ने इस मामले पर अब जो रुख अपनाया है वह उसके पहिले के रवैये से बिल्कुल बदला हुआ है। जैसा कि सभी को मालूम है, भारत और सिक्किम के विशेष संधि सम्बन्ध हैं, और अभी 1960 में ही चीन के प्रधान मंत्री, श्री चाऊ-एन-लाई ने नई दिल्ली में एक प्रेस कान्फ्रेंस में इस संबंध का अनुमोदन किया था। इस प्रेस कान्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, "चीन सिक्किम और भूटान के साथ भारत के संबंधों का सम्मान करता है।"

सीमावर्ती क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज

1440. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंजों की कार्य संचालन का विशेष रूप से अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सामान्य निष्कर्ष निकाले गये हैं; और

(ग) टेलीफोन एक्सचेंजों को पुरानी एवं नई इमारतों को शत्रु की बमबारी से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) तथा (ख) : सीमावर्ती क्षेत्रों के टेलीफोन एक्सचेंजों की कार्य-प्रणाली लगातार विशेष निगरानी व देखरेख में रखी जाती है और उक्त सेवा की कार्य-कुशलता बनाये रखने के लिए सभी संभव कदम उठाये जाते हैं। इन क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा बिल्कुल संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है।

(ग) नागरिक सुरक्षा अधिकारी जैसी सलाह देते हैं और उनसे परामर्श करके अपेक्षित कदम उठाये जाते हैं।

लंका में रहने वाले भारतीय लोग

1441. **श्री काजरोलकर** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका के हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव्स में पुरःस्थापित दो नये विधेयकों के कारण, गैर-नागरिकों, मुख्यतः लंका में रहने वाले भारतीय लोगों के मन में निराशा और क्षोभ उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रधान मंत्री श्री शास्त्री और लंका की भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती भण्डारनायक के बीच हाल ही में हुए समझौते के अनुसार गैर-नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राजनयिक स्तर पर क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या अनिवासियों के लिए नागरिकता के अधिकार प्राप्त करने के लिए बाप-दादाओं के जन्म सम्बन्धी प्रमाण पत्र पेश करना कठिन है, और

(घ) क्या इस बहाने से वास्तविक नागरिकों को लंका से निकाला जा सकता है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य किन बिलों का हवाला दे रहे हैं। बहरहाल, सरकार को यह जानकारी नहीं है कि किन्हीं नए बिलों के कारण श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों में कोई क्षोभ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।

(घ) लोगों को भारत भेजने से पहले कोलम्बो-स्थित भारत का हाई कमीशन उनकी भारतीय राष्ट्रिकता की पुष्टि करने के लिए कदम उठाता है।

अरब के समाचार-पत्र

1442. **श्री हेडा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत पर किये गये पाकिस्तानी आक्रमण के सम्बन्ध में अरब देशों में अरब के समाचार पत्रों के रुख का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उनका क्या मत है; और

(ग) गलतफहमियों तथा मिथ्या धारणाओं को मिटाने के लिए क्या निवारक उपाय किये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मोटे तौर पर, अरब के संयमी अखबारों ने अरब शिखर सम्मेलन की घोषणा के अनुरूप ही विचार प्रकट किए थे। उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर चिंता व्यक्त की थी और दोनों देशों से अपील की थी कि वे अपने झगड़े शांतिपूर्ण तरीकों से तय कर लें। लेकिन कुछ अखबारों ने पाकिस्तान के साथ धार्मिक लगाव पर जोर दिया था।

(ग) अरब देशों में हमारे मिशनों ने अपने-अपने क्षेत्रों के शासनाध्यक्षों, मंत्रियों, संपादकों, पत्रकारों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को घटनाओं से पूरी तरह अवगत रखने के लिए और संबद्ध वर्तमान मसलों को उन्हें समझाने के लिए कदम उठाए। बारह पैम्फलैट अरबी भाषा में निकाले गए थे और अरब देशों में बांटे गए थे। अपने पक्ष को समझाने के लिए संसद् सदस्यों के दो सद्भावना शिष्टमंडल इस समय अरब देशों की यात्रा कर रहे हैं।

सैनिक सहचारियों (मिलिटरी अटैची) का अग्रिम क्षेत्रों का दौरा

1443. **श्री हेडा :**

श्री काजरोलकर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राजनैतीक मिशनों के सैनिक सहचारियों के लिये पंजाब पश्चिम पाकिस्तान क्षेत्र के दौरे की व्यवस्था की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो वे अधिकारी किन किन देशों के थे; और

(ग) उनके दौरे का क्या उद्देश्य था तथा उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) उन देशों के नाम कि जिन का प्रतिनिधित्व किया गया था, है :—

1. बर्मा	6. इराक	11. यू० एस० एस० आर०
2. कनाडा	7. इटली	12. यू० के०
3. फ्रांस	8. जापान	13. युगोस्लाविया
4. जर्मनी	9. नेपाल	
5. इण्डोनेशया	10. यू० एस० ए०	

(ग) उन्हें बुलाने का उद्देश्य था, उन्हें भारत पाकिस्तान के दर्मियान हाल के संघर्ष में, अपनी सशस्त्र सेनाओं के निष्पादन की मूल प्राप्त सूचना देना। उनकी प्रतिक्रिया अनुकूल रही है।

पाकिस्तानी क्षेत्र में भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान का बलात् उतारा जाना

1444. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 24 जून, 1965 को फ्लाईट लेफ्टिनेंट आर० एल० सिक्का के भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान के पाकिस्तानी क्षेत्र में बलात उतारे जाने के कारणों की जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में की गई जांच से किन बातों का पता चला है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : फ्ला० ले० आर० एल० सी० सिक्का के पाकिस्तान में तथाकथित मजबूर होकर विमान द्वारा उतरने के मामले में की गई जांच के फलस्वरूप पहुंचे नतीजों के आधार पर उसे 19 अक्तूबर, 1965 को वायु सेना सेवा से डिसमिस कर दिया गया है। इससे अधिक विस्तार देना लोकहित में नहीं है।

आकाशवाणी से व्यापार सम्बन्धी प्रसारण

1445. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी से व्यापार सम्बन्धी प्रसारण आरम्भ करने के बारे में प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं। सरकार इस विषय में भी सूचना प्रसारण समीक्षा समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

"किरन जेट" विमान

1446. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
ी कपूर सिंह :
श्री दे० द० पुरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर में एक नये किस्म का "किरन" नामक लड़ाकू जैट विमान बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर उसकी गति तथा युद्धाभ्यास क्षमता, की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार के जेट विमान कब तक बनने लगेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां।

(ख) "किरन" एक दो सीटों वाला एक इंजन का पूर्णतया कलाबाज जेट प्रशिक्षण विमान है, जो जेट विमान-चालकों को जेट विमानों की उड़ान का प्रशिक्षण देने के लिए अधिकल्पित किया गया है। वायु में कुल वजन उठाने की इसकी शक्ति लगभग 7500 पौंड की है। समुद्रस्तर पर इस की अधिकाधिक रफ्तार 780 के० एम० प्रतिघण्टा है। इस विमान की सेवा सीमा 12800 मीटर है।

(ग) उत्पादन-से-पहले विमानों का पहला दल उत्पादन रेखा से मार्च, 1966 तक बाहर आ जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक

1447. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रति-रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 सितम्बर, 1965 को युद्ध विराम स्वीकार किये जाने के बाद सरकार को किसी ऐसी बात का पता चला है जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच शान्ति बनाये रखने के लिए रखे गये संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों ने पाकिस्तान का पक्ष लिया हो;

(ख) यदि हां, तो कितनी और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक घटना के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिर ा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : सरकार ने पाकिस्तान के हक में संयुक्त राष्ट्रों के प्रेक्षकों का कोई पक्षपात नहीं देखा। विभिन्न कारणों-वश और कुछ पाकिस्तान द्वारा विलम्ब से युद्ध विराम स्वीकार करने के कारण, संयुक्त राष्ट्रों के महासचिव के लिए मौके पर संयुक्त राष्ट्रों के पर्याप्त प्रेक्षक संगठित कर पाना संभव न था, कि वह युद्ध विराम के समय पाकिस्तान द्वारा कब्जे में किए स्थानों सहित ठीक ठीक वस्तु स्थिति जान पाता। तदपि, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्रों के प्रेक्षकों के पहुंचने से पहले युद्ध विराम के पश्चात् भी कई अतिलंघन किए हैं, विशेषकर राजस्थान, फाजिलका और छम्ब क्षत्रों में। इन तथ्यों के कारण, पाकिस्तान द्वारा धोके से हाथियाए गए क्षेत्रों से अतिक्रमियों को बाहर निकाल फेंकने के हमारे कार्य को इन प्रेक्षकों ने पूर्णतया समझा नहीं है।

U. N. Observers

1448. Shri Sidheshwar Prasad :

Shri Yashpal Singh :

Shri Kapur Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the U. N. Observers were present at the recent meeting of the Plebiscite Front held in Hazratbal;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken to ensure that these Observers do not interfere in the internal affairs of India ?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) to (c) : Recently two reports came to the notice of Government of U.N. Observers having attended political meetings in Kashmir. The matter was taken up with the U.N. Chief Military Observer who denied that any Observer had attended political meetings. He also assured that the Observers had already been instructed not to go to any public meetings. In view of this assurance it was not considered necessary to pursue the matter further.

करीमगंज जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री की पाकिस्तान द्वारा गिरफ्तारी

1449. श्रीम ी रेणुका बड़कटकी : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने सिल्हट में करीमगंज जिला कांग्रेस कमेटी के मन्त्री को पाकिस्तान सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत, गिरफ्तार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनको पाकिस्तान सरकार ने मुक्त कर दिया है ?

वैदेशिक-कार्य मं ी(सरदार स्वर्ण ासिह) : (क) और (ख) : सिलहट में करीमगंज जिला कांग्रेस समिति के सचिव के पकड़े जाने की रिपोर्ट सरकार ने देखी थी किंतु इन खबरों की पुष्टि नहीं की जा सकी है।

भारत अधिकृत पाकिस्तानी क्षेत्र में पाकिस्तानी

1450. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अधिकृत पाकिस्तानी क्षेत्र के रहने वाले बहुत अधिक लोगों ने पाकिस्तान में रहने से इंकार कर दिया है और भारतीय क्षेत्र में बसने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो भारत में आने के इच्छुक उन पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की संख्या कितनी है; और

(ग) किन-किन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग भारत में आना चाहते हैं ?

वैदेशिक-कार्यमंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज़ पर रख दी जायगी।

Medical Facilities for Army Personnel

1451. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Brij Raj Singh :
Shri Gokaran Prasad :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Army personnel reside in East Viney Nagar, Main Viney Nagar and Netaji Nagar, New Delhi;

(b) whether it is also a fact that they are put to great inconvenience for medical treatment for want of M.I. Room in these colonies; and

(c) if so, whether Government propose to open an M.I. Room in these colonies ?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) No such difficulties have been brough to the notice of the authorities concerned. Army personnel residing in the 3 colonies can avail of facilities at the M.I. Rooms located in different parts of New Delhi. The M.I. Room at Ramakrishnapuram is within easy reach of such personnel.

(c) No, Sir. It is not possible to open M.I. Rooms in all the colonies where Army personnel are residing.

Committee of Scientists

1452. **Shri Kishen Pattanayak** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he has constituted a Committee of Scientists to prepare a scheme for manufacturing indigenous machinery to replace foreign-made machinery;

(b) the personnel of this Committee; and

(c) the progress so far made in its work ?

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : (a) No.

(b) & (c). Do not arise.

भारतीय नौसेना के लिये पनडुब्बियां

1453. **श्री टे० सुब्रह्मण्यम :**

श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौसेना का पनडुब्बी दस्ता कब आरंभ हो जायेगा ;

(ख) इस संबंध में कौन-कौन से देश भारत की सहायता करना चाहते हैं ; और

(ग) क्या सरकार भारत में पनडुब्बियां बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : नौसेना का पनडुब्बी पक्ष पनडुब्बियों के प्राप्त होने के पश्चात् स्थापित किया जाएगा । यह यू० एस० एस० आर० से खरीदी जा रही ह ।

(ग) जी नहीं ।

मुस्लीम देशों का सम्मेलन

1454. **ो च० का० भट्टाचार्य** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान काश्मीर के प्रश्न पर चर्चा के करने के लिये मुस्लिम देशों का एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है;

(ख) उनके देशों की इस विषय में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने इन देशों से भारत के आन्तरिक मामलों में हस्ताक्षेप न करने के लिये प्रार्थना करने के लिए क्या पग उठाये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्टें देख ली है। इन रिपोर्टों के बारे में कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है और औपचारिक रूप से कोई लिखा-पढ़ी करना आवश्यक नहीं समझा गया है। बहरहाल, सरकार राजनीतिक प्रश्नों पर विचार करते समय ऐसे किसी भी प्रतिक्रियावादी कदम के विरूद्ध है जिसमें धार्मिक भावनाओं का समावेश हो और वह यह आशा करती है कि इन देशों में रहनेवाले लोग झूठे पाकिस्तानी प्रचार से गुमराह न होंगे। सरकार इन देशों की सरकारों तथा लोगों को भारत-पाकिस्तान संघर्ष की वस्तु-स्थिति से अवगत कराने और भारतीय लोकतंत्र के उस स्वरूप को प्रस्तुत करने के लिए भी कदम उठाती है जिनमें उसके तमाम नागरिकों के प्रति समान बर्ताव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है।

औद्योगिक संस्थानों में उचित दाम वाली दुकानें

1455. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री 6 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 423 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने कर्मचारियों के लिये उचित दाम वाली दुकाने खोलने के मामले में जिन औद्योगिक संस्थानों ने कार्रवाई नहीं की थी, उन्होंने सितम्बर, 1965 के अन्त तक इस विषय में क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या उनके उत्तर को ध्यान में रखते हुए सरकार का कोई विधेयक पेश करने का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) इस समय 3842 औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 2329 उपभोक्ता सहकारी भंडार और उचित मूल्य की दुकाने (1779 उपभोक्ता सहकारी भंडार और 550 उचित मूल्य की दुकाने काम कर रही हैं। इसके अलावा 162 शाखा भंडार हैं।

(ख) अब तक 61 प्रतिशत प्रतिष्ठानों में उपभोक्ता सहकारी भंडार। उचित मूल्य की दुकाने खुल चुकी हैं और छः महीने तक इस प्रकार के सहकारी भंडार और उचित मूल्य की दुकाने खुलने की प्रगति को देखने के बाद विधान बनाने के प्रश्न पर विचार किया जयगा।

घोरी कोयला खान में दुर्घटना

1456. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या घोरी कोयला खान में हुये विस्फोट के कारणों की जांच करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो जांच आयोग की उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) आयोग की उपपत्तियों के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां।

(ख) कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना का मुख्य कारण फायर-डेम्प विस्फोट था, जिससे अनेक कोयला-धूलि विस्फोट हुए। प्रज्वलन का स्थान मज़दूर के शव के पास था, जोकि खान की बी० आई० 10 ए इनक्लाईन के 15 साऊथ लेवल में पाया गया। सम्भवतः मज़दूर हालेज खलासी था। दुर्घटना के अंशदायी कारण थें--(क) खान में प्रकाश का अभाव और अनावृत्त बिजली का प्रयोग तथा (ख) कोयला धूलि और निस्तार तथा संचयन को रोकने के लिए धूलि पर काबू न पाना।

(ग) रिपोर्ट विचाराधीन है।

Military Hospitals

1457. Shri Ramchandra Veerappa : Will the Minister of **Defence** be pleased to state the number of military hospitals in the country and the locations thereof ?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : There are 78 Military Hospitals, 4 Naval Hospitals, 8 Air Force Hospitals and 12 General Hospitals. A statement showing their locations is attached. [**Placed in the Library.** *See* **No. LT-5254/65.**]

नादिया जिले में पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी

1458. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री काजरोलकर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 अक्तूबर, 1965 को पाकिस्तानी सशस्त्र सेना ने नादिया जिले में नागरिकों पर आक्रमण किया ;

(ख) क्या कुछ नागरिक मारे गये थे और;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिक दलों ने 18 अक्तूबर, 1965 को नादिया जिले के तेहट्टा पुलिस थाने के अन्तर्गत बेते और भटुपुरा क्षेत्रों में गोलियां चलाई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) हमारी सुरक्षा सेनाओं ने जवाब में गोली चलाई। इन क्षेत्रों में पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं द्वारा गोली चलाए जाने के विरोध में सरकार ने कई विरोध-पत्र भेजे हैं।

Exhibition of War Films

1459. Shri Yogendra Jha :
Shri T. Ram :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state the steps so far taken by Government to educate the people about the war situation through exhibition of war films in the context of the Chinese and Pakistani aggressions ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : Since the Chinese aggression in October, 1962, the Films Division has so far produced/released 32 quickies and 77 short films which have a direct or indirect bearing on the Chinese and Pakistani aggressions and the National Emergency. The films released by the Films Division have been distributed in English and 12 Indian languages through cinema houses all over the country, the Field Publicity Organisations of the Central and State Governments and through special film shows. In addition, the weekly film news reel "Indian News Review" has also from time to time been carrying news items having direct or indirect bearing on the subject.

ग्रामीण क्षेत्रों में समाचार

1460. श्री विभूति मिश्र :
श्री न० प्र० यादव :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के समाचार सुनने की इच्छा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्राम पंचायतों को निःशुल्क अथवा सहायता प्राप्त दरों पर रेडियो सेट देने की योजना बनाई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। पाकिस्तान के साथ हाल की लड़ाई के बाद शहर या देहात सब जगह लोग ताज़ा समाचार सूनने को उत्सुक रहते थे। फलस्वरूप, श्रोताओं को ताज़ी घटनाओं की जानकारी देने के लिये अखिल भारतीय और प्रादेशिक दोनों स्तरों पर कुछ और समाचार बुलेटिन शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वार्ता, समीक्षा, बात-चीत, रूपक, आदि के माध्यम से सभी केन्द्रों से जानकारी (समाचार सहित) दी जाती है।

(ख) जी, हां, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 1954 में सहायता की एक योजना चलाई थी। इसके अन्तर्गत, देहातों में लगाने के लिए राज्यों को पंचायती रेडियो सेट दिए जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार एक सेट की मूल कीमत का 50 प्रतिशत, परन्तु अधिक से अधिक 125–रुपये, सहायता के रूप में देती है, बाकी कीमत राज्य सरकारों और ग्राम पंचायतों द्वारा दी जाती है। परन्तु संघ प्रशासित क्षेत्रों को जो सेट दिए जाते हैं, उनका खर्च सम्बन्धित उनके प्रशासन द्वारा ही उठाया जाता है।

पाकिस्तान से लड़ाई शुरू होने के बाद पंचायती सेटों को देने के लिए खास तौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों की विशेष व्यवस्था की गई है।

Broadcast of Punjabi Programmes

1461. Shri Gulshan : Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to refer to reply given to Starred Question No. 275 on the 30th August, 1965 and state :

(a) the progress since made in the broadcast of Punjabi programmes from Delhi and Jullundur Stations of the All India Radio; and

(b) the details thereof ?

Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : (a) & (b). A statement is attached. **[Placed in the Library.** *See* **No. LT-5255/65.]**

सूती कपड़ा उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

1462. श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
श्री किशन पटनायक :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा उद्योग सम्बन्धी दूसरे मजूरी बोर्ड ने अब तक कितनी प्रगति की है ; और

(ख) मजूरी बोर्ड का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) बोर्ड ने अब तक सात बैठकें की हैं। एक व्यापक प्रश्नावली मई, 1965 में जारी की गई। मौखिक प्रमाण लेने के लिए एक अधिवेशन 22 से 24 नवम्बर को बम्बई में होना निश्चित हुआ था।

(ख) इस समय निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि बोर्ड अपना कार्य कब पूरा कर सकेगा।

जैसलमेर पर पाकिस्तानी विमान द्वारा बमबारी

1463. श्री कृष्णपाल सिंह : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 अक्तूबर, 1965 को एक पाकिस्तानी विमान ने हमारी सीमा से 26 मील अन्दर जसलमेर के कुछ क्षेत्रों में बमबारी की; और

(ख) यदि हां, तो जान और माल की कितनी हानि हुई ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) (1) एक सिपाही मारा गया।

(2) दो लारी सम्पूर्णतः विनष्ठ हुई, और दो को क्षति पहुंची।

(3) कई प्रकार का सामान, जिसमें गैस ड्रम और स्माल एम्यूनीशन भण्डार शामिल था विनष्ठ हुआ।

कम्बोडिया के सम्बन्ध में जेनेवा जैसा सम्मेलन

1464. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डो चीन के अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग ने कम्बोडिया के सम्बन्ध में जेनेवा जैसा सम्मेलन बुलाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो यह सिफारिश कब की गई थी तथा इस सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कम्बोडिया में अंतर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण कमीशन ने हिंद-चीन पर जेनेवा सम्मेलन के सह-अध्यक्षों के नाम 15-7-65 को जो अपनी विशेष रिपोर्ट भेजी थी, उसमें सह-अध्यक्षों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया था कि मौजूदा परिस्थितियों को और खास तौर से कम्बोडिया सरकार की इच्छा को ध्यान में रखते हुए, जेनेवा-की-तरह का सम्मेलन कम्बोडिया की तटस्थता और प्रादेशिक अखंडता के प्रश्न पर विचार करने के लिए आयोजित करना संभवतः लाभकारक होगा — बशर्ते कि तमाम संबद्ध देश उसमें भाग लेने के लिए आमतौर पर एकमत हों। इस तरह से सम्मेलन को आयोजित करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है।

बर्मा से सम्पत्ति की वापसी

1465. **श्री प्र० चं० बरूआ :**

श्री जसवन्त मेहता :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 1 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 335 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा से वापस आने वाले भारतीयों की सम्पत्ति की वापसी के बारे में भारत और बर्मा की सरकारों के बीच कोई समझौता हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं यह मामला अभी विचाराधिन है

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीकी कांग्रेस दल की यात्रा

1466. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्बन्धी समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक अमरीकी कांग्रेस दल 1 नवम्बर, 1965 को भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी यात्रा कहां तक सफल सिद्ध हुई है;

(ग) उसने किन स्थानों की यात्रा की; और

(घ) उसके साथ किन मुख्य बातों पर चर्चा हुई और उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) एक सेनेटर और कांग्रेस के दो सदस्य पारस्परिक हित की समस्याओं पर बातचीत करने के लिए 1 से 5 नवम्बर तक दिल्ली में रहे।

(ख) सरकार के ख्याल में यह यात्रा लाभदायक थी।

(ग) वे हलवाडा के एयरफोर्स स्टेशन गए और लुधियाना जिले में कुछ फार्म तथा लघु उद्योग और लुधियाना कृषि विद्यालय भी देखा। वे अगरा भी गए थे।

(घ) सेनेटर और कांग्रेस सदस्यों ने उप-राष्ट्रपति, खाद्य एवं कृषि मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री, परिवार नियोजन कमिश्नर और संसद के कुछ सदस्यों तथा प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत की।

उनके कार्यक्रम को देखने से पता चलता है कि वे अनेक वर्गों के लोगों से मिले जिनके साथ उद्देश्यपूर्ण बातचीत हुई। कश्मीर प्रश्न पर भारत का दृष्टिकोण, भारत-पाक संघर्ष और अधिक अन्न उगाने के लिए हम जो उपाय बरत रहे हैं, ये सब बातें उन्हें पूर्ण रूप से समझा दी गई।

सशस्त्र सेना मुख्य कार्यालय के असैनिक स्टोरकीपर

1467. श्री हुकुमचन्द कच्छवाय :

श्री बडे :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना मुख्य कार्यालय में असैनिक स्टोर-कीपरों को किस आधार पर रखा जा रहा है तथा इनमें और एल० डी० सी० तथा यू० डी० सी० में क्या अन्तर है;

(ख) क्या असैनिक स्टोर-कीपर यूनिट इस्टैब्लिशमेंट का अंग हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) ए० एफ० एच० क्यु० में असैनिक स्टोर-कीपरों के लिए विशेष स्वीकृत किए गए स्थानों पर नियुक्त किए जाते हैं। तदपि, ए० एफ० एच० क्यु० में कई कार्यालयों में असैनिक स्टोरकीपर लडाकू/विभागीय असैनिक क्लर्कों के 20 प्रतिशत कोटा के अन्तर्गत विशेष सरकारी स्वीकृति के अधीन भी नियुक्ती किए जाते हैं। ए० एफ० एच० क्यु० में असैनिक स्टोर कीपर को रोस्टर पर चार वर्षों की साधारण सम्यवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं, जो अवधि विशेष परिस्थितीयों में बढ़ाई जा सकती है।

स्टोरकीपरों के कर्तव्य अर्धतकनीकी हैं, जबकि एल० डी० सी०/यु० डी० सी० के क्लर्कों।

(ख) जी, हां, सिवाय, ई० इन० सी० ब्रांच में दूसरे वर्ग के स्टोरकीपर के स्थान के, जो सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों के काडर में हैं।

(ग) यूनिट सिब्बन्दियों की जनशक्ति के स्टोरकीपर एक यूनिट से दूसरी यूनिट को और सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों में अन्तरित हो सकते हैं, और वह इस प्रकार जैसे और जब सेवा की आवश्यकता की मांग हो, अन्तरित किए जाते हैं।

सशस्त्र सेना मुख्य कार्यालय में असैनिक स्टोरकीपर

1468. श्री हुकूमचन्द कच्छवाय :

श्री बडे :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पदों पर स्थायी बनाने के लिए असैनिक स्टोर कीपर, संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं तथा क्या उनको प्रतिरक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त नहीं करते हैं;

(ख) चालू प्रतिष्ठान का 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक कोटा सशस्त्र सेना मुख्य कार्यालय के लिए किस प्रकार निश्चित किया गया है;

(ग) क्या असैनिक स्टोरकीपर वर्ग 4 के वेतन क्रम मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सशस्त्र सेना के मुख्य कार्यालय में नियुक्त किए गए लोअर डिवीजन क्लर्कों तथा अपर डिव्हीजन क्लर्कों के वेतनक्रम से अधिक हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) असैनिक स्टोर कीपर की नियुक्तियां दूसरी श्रेणी में हैं, और इसलिए वह यू० पी० एस० सी० के सीमान्तर्गत नहीं हैं। ए० एफ० एच० क्यू० काडर में इंजीनियर इन चीफ ब्रांच में दूसरे वर्ग के स्टोरकीपर की, केवल एक ही नियुक्ति है, जिसे नियुक्त करने का अधिकार मुख्य प्रशासन अधिकारी को है।

(ख) ऐसा कोई कोटा नियत नहीं किया गया। तदपि, ए० एफ० एच० क्यू० के कई कार्यालयों में लडाकू/विभागीय असैनिक क्लर्कों के 20 प्रतिशत कोटा के लिए विशिष्ट सरकारी स्वीकृति के अन्तर्गत, असैनिक स्टोरकीपर भी नियुक्त किए गए हैं।

(ग) सिवाय वायु सेना मुख्यालयों के ए० एफ० एच० क्यू० में कोई चतुर्थ वर्ग असैनिक स्टोरकीपर नहीं है। वायु सेना मुख्यालयों में असैनिक स्टोरकीपरों के स्थान यूनिट काडर के स्टोरकीपरों द्वारा धार्य हैं। वायु सेना मुख्यालयों में चतुर्थ वर्ग असैनिक स्टोरकीपर एल० डी० सी०/यू०डी०सी० से ऊपर होता है ।

(घ) कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के स्वरूप के कारण वायुसेना मुख्यालयों में चतुर्थ वर्ग के स्टोरकीपर के स्थान के लिए शिक्षा अर्हता, विश्वविद्यालय की डिग्री है, जब कि एल० डी० सी० के लिए है, मैट्रिकुलेशन। यू० डी० सी० वर्ग के लिए, जिसके लिए एल० डी० क्लर्कों में से पदोन्नतियां की जाती है, कोई सीधे भरती नहीं होती ।

वायु सेना के मुख्य कार्यालय में एल० डी० सी० की पदोन्नतियां

1469. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में वायु सेना के मुख्य कार्यालय में 'एयरमैन' के स्थान पर नियुक्त एक लोअर डिव्हीजन क्लर्क की अपर डिव्हीजन क्लर्क के पद पर कितने वर्षों में पदोन्नति हो जाती है तथा ऐसी पदोन्नति से उसको क्या लाभ होता है; और

(ख) क्या ये दोनों परस्परव्यापी वेतनक्रम हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) वायु सेना मुख्यालयों में एक वायु सेना सैनिक के रिक्त स्थान पर नियुक्त किए गए निम्न श्रेणि क्लर्क के लिए उच्च श्रेणि क्लर्क बनने में लगभग 18 वर्ष लग जाते हैं। पदोन्नति पर उसे उच्चतर वेतनमान प्राप्त होता है। निम्न श्रेणि क्लर्क का वेतनमान है 110-3-131-4-155 दक्षतारोध–4–175–5–180 और उच्च श्रेणि क्लर्क का 130–5–160–8–200–द० रो०–8–256–द० रो०–8–280–10–300 ।

(ख) जी हां ।

बाह्य अन्तरिक्ष कार्यक्रम

1470. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का बाह्य आन्तरिक्ष कार्यक्रम अनुसूची से अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग कर रहे अन्य देशों के कार्यक्रम के साथ क्या इसका समन्वय किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी कार्य प्रणाली क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) आन्तरिक्ष कार्यक्रम तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

(ख) आन्तरिक्ष अनुसंधान प्रोग्राम के बारे में सूचना परमाणु ऊर्जा विभाग की 1963–64 और 1964–65 की वार्षिक रिपोर्टों में दी गई है।

(ग) तथा (घ) : विभाग शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए आन्तरिक्ष की खोज और उसके बारे में अनुसंधान के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की नेशनल एरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, सोवियत सोशलिस्ट गणराज्य संघ की हाईड्रोमैट्रोलाजिकल सर्विस और फ्रांस की सेन्टर नेशनल डी' एट्यूडीज स्पेशयालेज से सहयोग कर रहा है। थुम्बा विषुवदीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र से सबसे पहले छोड़े जाने वाले नाइक-एपेके राकेट संयुक्त राज्य अमरीका की नेशनल एरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने दिये थे। फ्रांस के सहयोग से भारत में फ्रैंच सैन्टोरे राकेट बनाने के बारे में सूचना लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 6 दिनांक 7 सितम्बर, 1964 और तारांकित प्रश्न संख्या 849 दिनांक 12 अप्रैल, 1965 को दी जा चुकी है।

इन संस्थाओं के साथ सहयोग के बारे में हुए निम्नलिखित पत्रों और समझौता ज्ञापन पत्रों के आदान-प्रदान और उनकी कार्यप्रणाली की प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

संयुक्त राज्य अमरिका की नेशनल एरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और परमाणू ऊर्जा विभाग के दरमयान :

(i) 11 अगस्त और 7 सितम्बर, 1961 के पत्रों का आदान-प्रदान।

(ii) समझौता ज्ञापन-पत्र दिनांक 11 अक्तूबर, 1962।

(iii) समझौता ज्ञापन-पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 1963।

(iv) 23 अक्तूबर और 23 नवम्बर, 1964 को हुए पत्रों का आदान-प्रदान।

(v) समझौता ज्ञापन-पत्र दिनांक 1 जुलाई, 1965।

सोवियत सोशालिस्ट गणराज्य संघ की हाईड्रोमैट्रोलाजिकल सर्विस और परमाणू ऊर्जा विभाग के दरमयान :

(vi) समझौता ज्ञापन-पत्र दिनांक 13 जनवरी, 1964।

फ्रांस की सेन्टर नैशनल डी' एट्यूडीज स्पेशयालेज और परमाणू ऊर्जा विभाग के दरमयान :

(vii) समझौता ज्ञापन-पत्र दिनांक 15 मई, 1964।

New Types of Arms

1471. Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Himatsingka :
Shri Rameshwar Tantia :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Research Department of his Ministry has invented new types of arms;

(b) if so, the particulars thereof; and

(c) when it would be possible to manufacture these arms on a large scale ?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) and (b). Probably the Hon'ble Members have in mind the type of arms newly developed.

Some of the important items developed are :

(i) Semi-automatic Ishapore Rifle.

(ii) Line charge mine clearing.

(iii) Anti-tank mine.

(iv) Indigenous Mountain Gun.

(v) Blast proof anti-personnel mine.

(vi) Shipers' Telescope.

(vii) Infra-red Telescope.

(viii) New device for launching personnel grenades.

(ix) Propellants and ammunition to give desired performance at low temperature conditions.

(x) Indigenous ammunition.

(c) Some of these stores are already under production at present while the manufacture of others is being established.

उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन

1472. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में 30 सितम्बर, 1965 को टेलिफोन कनेक्शनों की मंजूरी के लिए कितने आवेदन-पत्र अनिश्चित पड़े थे; और

(ख) इस सम्बन्ध में शीघ्रता करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 2100 ।

(ख) शेष आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए उपलब्ध साधनों के अनुसार नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने और मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का यथा संभव अधिक से अधिक विस्तार करने के लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

उड़ीसा में डाकघर

1473. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **संचार** मंत्री 15 मार्च 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1168 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में उप डाकघरों को मुख्य डाकघर तथा शाखा डाकघरों को उप डाकघर बनाने के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

संचार विभाग में उप मंत्री (श्री भगवती) : लोक-सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1168 के सम्बन्ध में दिनांक 15 मार्च, 1965 को दिये गए उत्तर में उल्लिखित उप डाकघरों व शाखा डाकघरों से सम्बन्धित मामलों की मौजूदा स्थिति इस प्रकार है :—

(i) **उप डाकघरों का प्रधान डाकघरों में परिवर्तन :**

धनकनाल तथा फुलबानी, दोनों ही उप डाकघरों को पदोन्नत करके 1 अप्रैल, 1965 से प्रधान डाकघर बना दिया गया है ।

(ii) **शाखा डाकघरों का उप डाकघरों में परिवर्तन :**

उन 25 शाखा डाकघरों में से, जिनकी सूची हमारे 15 मार्च, 1965 के उत्तर के साथ दी गई थी, निम्नलिखित 7 शाखा डाकघरों को पहले ही पदोन्नत करके उनमें से प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से उप डाकघर बना दिया गया है :—

1. नंगलेश्वर	19-7-65	4. हदगढ़	16-8-65	7. तेलकोई	8-11-65
2. राम्पो	30-9-65	5. पोदुआ	2-8-65		
3. बड़ागंदो	1-7-65	6. सिंगला	12-7-65		

(ख) निम्नलिखित चार शाखा डाकघरों को पदोन्नत करके उप डाकघर बनाने के प्रस्ताव स्वीकार किये जा चुके हैं और आशा है कि ये डाकघर शीघ्र ही पदोन्नत कर दिये जाएंगे :—

1. अस्तारंग
2. जानला
3. जे० के० पुर
4. अमरदा रोड

(ग) नीचे दिये गए शेष 14 शाखा डाकघरों की पदोन्नति से सम्बन्धित मामलों की जांच की जा रही है :—

1. भंडारी पोखारी	6. जगन्नाथ प्रसाद	11. कालीमेला
2. वाली खंड	7. लेफरीपाडा	12. नंदापुर
3. पंडापारा	8. मनमूंडा	13. कासीपुर
4. गुरुदा	9. बेराकूट	14. मथीली
5. ठाकुरा मुंडा	10. वजपुर	

उपर्युक्त के अलावा, बाद में उप डाकघरों को प्रधान डाकघरों में और शाखा डाकघरों को उप डाकघरों में पदोन्नत करने के आगे और प्रस्तावों को हाथ में ले लिया गया है और उनकी स्थिति नीचे दी गई है :—

(क) उप डाकघरों का प्रधान डाकघरों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव :

1. कियोनझारगढ़—यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) शाखा डाकघरों को उप डाकघरों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव :

1. वाइसिंघा . .	30 जुलाई, 1965 से उप डाकघर में पदोन्नत कर दिया गया।
2. कंटामल . .	12 अगस्त, 1965 से वही
3. निचिन्टकोइली .	1 सितम्बर, 1965 से वही
4. इन्दुपुर . .	12 जुलाई, 1965 से वही
5. फकीरपाड़ा . .	1 अक्तूबर, 1965 से वही
6. रायमल . .	29 अक्तूबर, 1965 से वही
7. ब्रह्मवराड़ा . .	उप डाकघर में पदोन्नत करने का प्रस्ताव स्वीकार किया जा चुका है ।
8. सुआकाटी . .	वही

9. मंगलपुर . .	उप डाकघर में पदोन्नत करने का प्रस्ताव स्वीकार किया जा चुका है ।
10. सबोलानी . .	वही
11. धुकीकोट . .	वही
12. चासापाड़ा . .	वही
13. हिंडोल रोड रेलवे स्टेशन	वही
14. सनवाली गुदा .	वही
15. वलकाटी . .	वही
16. कुलाडो . .	वही
17. सकेरका . .	वही
18. वेरवोई . .	वही
19. मदनपुर-रानपुर .	वही
20. तेरुवल्ली . .	वही
21. नारायणपाठना .	वही
22. लक्ष्मीपुर . .	वही
23. डोंगिरीपल्ली .	वही

उड़ीसा में टेलीफोन केन्द्र

1474. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 सितम्बर, 1965 तक उड़ीसा में कितने टेलीफोन केन्द्र थे ?

संचार विभाग में उप मंत्री (श्री भगवती) : 50.

उड़ीसा में डाक और तार कर्मचारियों के लिये सरकारी मकान

1475. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 सितम्बर, 1965 तक उड़ीसा राज्य में डाक और तार विभाग के कितने कर्मचारियों को सरकारी मकान दिये गये थे ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : 592.

उड़ीसा में डाकघर

1476. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 सितम्बर, 1965 तक उड़ीसा में कितने शाखा डाकघर, उप डाकघर तथा सार्वजनिक टेलिफोन थे ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (i) शाखा डाकघर—4258.
(ii) उप शाखा डाकघर—412.

(iii) सार्वजनिक टेलिफोन घर :

(क) दूरवर्त्ती—131

(ख) स्थानीय—105

विरोधी दलों को प्रसारण की सुविधायें

1477. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी आम चुनाव के दिनों में विरोधी दलों को आकाशवाणी से प्रसारण करने की सुविधायें दना सुनिश्चित करने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के निर्णय का स्वरूप और ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) आगामी आम चुनाव के दिनों में, विरोधी दलों को आकाशवाणी से प्रसारण करने की सुविधा देने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

पत्रों द्वारा पाकिस्तान को उत्तर देने की भारत की स्वतन्त्रता

1478. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बतान की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् को लिखे गये पत्रों द्वारा पाकिस्तान को उत्तर देने की भारत की स्वतंत्रता पर आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) 25 अक्तूबर, 1965 को भारत का शिष्ट-मंडल सुरक्षा परिषद की बैठकसे उस वक्त उठकर बाहर चला गया जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने उन बातों पर बोलते रहने की जिद् की जो कि भारत के घरेलू अधिकार क्षेत्र में आते थे। 26 अक्तूबर 1965 को भारत के विदेश मंत्री ने सुरक्षा परिषद के प्रधान के नाम एक पत्र भेजा, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा सुरक्षा परिषद में युद्धविराम और फौजें वापस हटाने के बारे में लगाए गए निराधार आरोपों का पर्दाफाश किया गया था। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने परिषद के प्रधान के नाम 2 नवम्बर 1965 को भेजे गए पत्र में इसे "असाधारण प्रक्रिया" बताया और आरोप लगाया कि भारत ने भारतीय विदेश मंत्री के पत्र के जरिये परिषद के विचार-विमर्श में हिस्सा लेने की कोशिश की है ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य देश को सुरक्षा परिषद के प्रधान को लिखने का अधिकार है और अगर वह चाहे तो यह अनुरोध करने का भी, कि उसके पत्र को सुरक्षा परिषद् के प्रलेख के रूप में वितरित कर दिया जाए। भारत सरकार के 26 अक्तूबर 1965 के पत्र को सुरक्षा परिषद् के प्रलेख के रूप में वितरित कर दिया गया।

(ग) परिषद ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि के पत्र पर विचार नहीं किया।

हाजी पीर क्षेत्र में टेलीफोन सुविधायें

1479. **श्री यशपल सिंह :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य के हाजी पीर क्षेत्र में टेलीफोन सुविधायें प्रदान करने के लिये व्यवस्था करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कब तक अन्तिम रूप से निर्णय हो जायेगा ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिये जाने के बाद शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।

Expenditure on Indian Missions in U.S.A. and U.S.S.R.

1480. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the expenditure incurred on our missions in U.S.A. and U.S.S.R., separately during the year 1964;

(b) the percentage it bears to the entire expenditure incurred on all the Indian Missions abroad ;

(c) Whether it is a fact that the expenditure incurred on our Missions in U.S.A. and U.S.S.R. exceeds the total expenditure incurred on our Missions in South-East Asian and African countries ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) As far as the Ministry of External Affairs is concerned, the expenditure in 1964-65 was :

U.S.S.R.	Rs. 18·28 Lakhs
U.S.A.	Rs. 62·19 Lakhs

Expenditure incurred on the Permanent Mission of India to the United Nations in New York, is not included.

(The figures given are for the financial year 1964-65 and not the calendar year 1964, in accordance with normal practice.)

(b) 13·12%

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Visit of Private Individuals to the U.S.S.R.

1481. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of non-officials who went on a visit to the U.S.S.R. uninvited during the period from January, 1965 to August, 1965 ;

(b) the purpose of their visits ; and

(c) the grounds on which passports are issued and foreign exchange released to such non-officials as had already visited the U.S.S.R. at least four times and had stayed there for more than six weeks ?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) The Government do not have figures about it.

(b) Does not arise.

(c) The passport is issued if an individual qualifies for it in terms of the rules. It does not matter how many times he has visited a country or how long he has stayed there. Even otherwise the passport is valid for a period of time. Foreign Exchange is granted in terms of the foreign exchange regulations.

पाकिस्तान युद्ध कोष के लिये अंशदान

1482. **श्री राजदेव सिंह** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मलयेशिया और सिंगापुर में अनेक मुसलमानों ने, जो अधिकांशतः उत्तर प्रदेश के जौनपुर तथा आजमगढ़ जिलों के निवासी हैं, पाकिस्तान युद्ध कोष के लिये उदारतापूर्वक हजारों डालरों का अंशदान किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान के साथ इस प्रकार की सहानुभूति एवं झुकाव होने पर भी उन्हें भारतीय नागरिकों की श्रेणी में रखा जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे लोगों से, जो भारत में अपने परिवारों तथा सम्बन्धियों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क रखते हैं, देश की सुरक्षा निश्चित करने के लिये कोई उचित कदम उठाये है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को इस संबंध में कुछ जानकारी मिली है।

(ख) और (ग) : चूंकि प्राप्त सूचना काफी नहीं है, इसलिये आगे पूछताछ की जा रही है।

पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोलीबारी

1483. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्री किन्दर लाल :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1965 में 24 परगना जिला (पश्चिम बंगाल) के बोनगांव सब डिवीजन के बागडाह थाने के अधीन बोयरा की भारतीय पुलिस चौकी पर पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोलीबारी जारी रही; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाएं नवम्बर 1965 मास में अकसर भारतीय सीमा चौकी बयेरा (जिसे बोयरा भी कहा जाता है) पर गोली चलाती रही है ।

(ख) पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेजे गए हैं। हमारी सुरक्षा सेनाओं ने भी, जब भी आवश्यक समझा है, आत्मरक्षा में गोलियां चलाई हैं। अन्य उपाय जो जभी आवश्यक समझे गए किए जाएंगे ।

सुच्चा सिंह के विरुद्ध मुकद्दमा

1484. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किंदर लाल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुच्चा सिंह के वकील ने सुच्चा सिंह के विरुद्ध प्रत्यर्पण कार्यवाही की वैधता के बारे में निर्णय के लिये हेग अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने की अनुमति के लिये भारत सरकार से अपील की है क्योंकि 1953 में की गई भारत नैपाल सन्धि प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के अधीन वैध नहीं है और उसके बाद कोई नई सन्धि नहीं की गई ;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रार्थना पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। सुच्चा सिंह के वकील के शब्दों में सुच्चा सिंह ने उनके जरिए विदेश मंत्रालय को सूचित किया है कि वह 'भारत सरकार को सूचित करके इस मामले को विश्व न्यायालय में ले जाएगा'।

(ख) भारत-नेपाल की प्रत्यर्पण संधि वैध है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को एक राज्य और एक व्यक्ति के बीच के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। इस न्यायालय के समक्ष राज्यों के बीच के मामले ही सुने जा सकते हैं।

(ग) कुछ नहीं।

भारत इलेक्ट्रानिक्स, बंगलौर

1485. **श्री बूटा सिंह :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इलैक्ट्रानिक्स, बंगलौर में बने हुए रेडियो वाल्व दिल्ली में कंट्रोल रेट पर नहीं मिल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में भारत इलेक्ट्रानिक्स का डिपो खोलने का विचार है जिससे उपभोक्ताओं को इसमें निर्मित वस्तुयें कंट्रोल रेट पर बिक सकें ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख) जी नहीं सर्वश्री भारत इलेक्ट्रानिकी लिमिटिड ने वी० ई० एल० द्वारा नियत मूल्यों पर वी० ई० एल० वेल्व बेचने के लिये दिल्ली में वितरक नियुक्त कर रखे हैं। यह मूल्य जनता की सूचना के लिए समय समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। भारत इलैक्ट्रानिकी द्वारा उत्पादित रेडियो वेल्व नियन्त्रित मदें नहीं हैं।

प्राथमिकता सन्देश

1486. **श्री बूटा सिंह :**
श्री गूलशन :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों को तथा वहां से केवल भेजने में अविलम्ब ई० टी० ए० टी० प्राथमिकता श्रेणी के प्राथमिकता सन्देश भेजने तथा प्राप्त करने में राज्य सरकारों को दिये गये विशेषाधिकार का प्रयोग गैर-सरकारी व्यापारियों को करने दिया जाता है ;

(ख) क्या समुद्र पार संचार सेवामें इस प्रकार के दुरूपयोग की कोई घटना अक्तूबर, 1965 में सरकार के ध्यान में आई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के दुरूपयोग को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

टेलीफोन राजस्व

1487. **श्री बूटा सिंह :**
श्री गुलशन :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास टेलीफोन जिलों में अलग-अलग 1 अप्रैल, 1965 को कितना तार और टेलिफोन राजस्व बकाया था ;

(ख) सारे भारत में 1-4-65 को कितना तार और टेलीफोन राजस्व बकाया था ; और

(ग) राजस्व के वसूल नहीं होने के क्या कारण थे तथा इसकी वसूली के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्रीभगवती) : (क) तथा (ख) : बकाया तार राजस्व की रक़म फिलहाल उपलब्ध नहीं है किन्तु अधिभार की अग्रिम वसूली की व्यवस्था होने के कारण इसके अधिक होने की संभावना नहीं है। फिर भी 1 अप्रैल, 1965 को दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास टेलीफोन परिमंड़लों में टेलीफोन राजस्व की बकाया रक़म क्रमश : 202 लाख, 47 लाख, 9 लाख तथा 1 लाख रुपये है जबकि समूचे भारत की कुल रक़म 3,90 लाख रुपये है।

(ग) टेलीफोन की संख्या में भारी वृद्धि हुई है जोकि 1953–54 में 2,20 हजार से 1964–65 में 7,66 हजार हो गई है। तदनुरूप उसी अवधि के दौरान राजस्व भी वार्षिक 10,54 लाख रुपये से बढ़कर ; वार्षिक 43,17 लाख रुपये हो गया है। इसके फलस्वरूप कुछ बकाया रक़म इकट्ठा हो गई है । फिर भी, निपटान करने की दृष्टि से दोषी उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने और जहां आवश्यक हो कानूनी कार्रवाई करने जैसे कदम उठाये जाते हैं। निजी तथा सरकारी, दोनों ही प्रकार के दोषी उपभोक्ताओं के टेलीफोन काटने की कार्रवाई भी की गई है। दिल्ली में बकाया रक़म कम करने की, जहां कि वह सबसे ज्यादा है, विशेष कार्रवाई की है और पिछले चार महीनों के दौरान 18500 दोषी उपभोक्ताओं को टेलीफोन काटने के नोटिस जारी कर दिये गए हैं।

तार और टेलीफ़ोन राजस्व प्रणाली

1488. **श्री बूटा सिंह :**
[श्री गुलशन :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तार और राजस्व प्रणाली में सुधार करने के लिए ब्रिटेन के परामर्श-दाताओं के एक दल को नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या इस दल ने सरकार को एक प्रतिवेदन दिया है जिसमें अपने निष्कर्षों का ब्यौरा तथा अपने सुविचारित सुझाव दिये है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) :(क) ब्रिटिश डाकघर के साथ व्यापारिक परामर्श-दाताओं के एक दल ने तार तथा टेलीफोन राजस्व के बिल भेजने और लेखा रखने की पद्धति सहित भारतीय डाकतार विभाग के दूरसंचार प्रचालन की लेखा-पद्धतियों की जांच की थी।

(ख) जी हां ।

(ग) रिपोर्ट अभी तक विचाराधीन है । जैसे ही परामर्शदाताओं की महत्वपूर्ण सिफारिशों पर सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय ले लिए जाएंगे उसकी एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पोस्ट मास्टर जनरल, मद्रास

1489. **श्री बूटा सिंह :**
श्री गुलशन :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के पोस्ट मास्टर जनरल ने इस वर्ष दक्षिण भारत की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान संसद् सदस्यों से मिलने से इंकार कर दिया था;

(ख) क्या मद्रास की कुछ पत्रिकाओं ने इस सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित किये हैं;

(ग) क्या मामले की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं ।

(ख) इसकी हमें जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Contributions to the Nehru Fund

1490. **Shri Kishen Patinayak :**
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Labour** and **Employment** be pleased to refer to the reply given to Unstrarred Question No. 2498 on the 20th September, 1965 and state :

(a) the number of industrial centres and factories whose workers worked on the 15th August, 1965 in order to contribute that day's earnings to the Nehru Fund and the percentage of workers who worked on that day;

(b) the total earnings of that day that were contributed to the Nehru Fund ;

(c) whether industrialists also aggreed to contribute that day's total profits towards the Nehru Fund ; and

(d) if so, the total profits made on that day ?

Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (d) . The information is not readily available. The time and labour involved in collecting the information will in the opinion of Government not be commensurate with the object to be achieved.

Payment of Dearness Allowance to workers in various Industries

1491. Shri Kishen Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Labour** and **Employment** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2497 on the 20th September, 1965 and state :

(a) the number of workers in both the public as well as private sectors who are getting dearness allowance on an *ad hoc* basis as also the number of those among them who are getting it on the basis of cost of living index; and

(b) the number of workers getting the dearness allowance on the basis of the cost of living index, which is 80 per cent or more of the increase effected in the cost of living index after September, 1939 and 15th August, 1947 ?

Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b). The information which was available with Government on these points was furnished in reply to Unstarred Question No. 2497, answered on 20-9-1965. No further information has become available except that in Railways out of a total number of 13,45,173 employees working as on 31-8-1965, 13,43,126 are drawing dearness allowance.

बनाजा टेक्सटाइल्स (केरल)

1492. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनाजा टैक्सटाइल्स, त्रिचूर केरल राज्य में गत कुछ महीनों से तालाबन्दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस तालाबन्दी का कितने मजदूरों पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) तालाबन्दी हटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां, 16 सितम्बर, 1965 से ।

(ख) मैनेजमेंट के 1964 के लिए 4 प्रतिशत बोनस देने के प्रस्ताव को मजदूरों द्वारा स्वीकार न करना ।

(ग) लगभग 600 ।

(घ) विवाद का फैसला 14 नवम्बर, 1965 को हो गया और 15 नवम्बर, 1965 से काम पुन: चालू हो गया । मूल वेतन और महंगाई का $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत बोनस के तौर पर आग्रीम रूप में देने का तथा विवाद को न्याय निर्णय के लिए भेजने का समझौता हुआ है ।

छोटा नागपुर में रोजगार की स्थिति

1493. **श्री ह० च० सोय** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में छोटा नागपुर के औद्योगिक क्षेत्र के रहने वाले लोगो में से कृषि तथा वनोद्योग में काम करने वालि श्रमिकों को वहांसे हटा कर उद्योगों तथा उनसे सम्बद्ध रोजगार में लाने के लिये क्या हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : सवाल पैदा नहीं होते।

आकाशवाणी के आदिवासी भाषाओं में कार्यक्रम

1494. **श्री ह० च० सोय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के रांची और पटना केन्द्रों से बिहार और उसके आसपास के राज्यों के 40 लाख आदिवासी लोगों के लाभ के लिये वास्तविक आदिवासी भाषाओं में आजकल बहुत कम कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं; और

(ख) स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं। आकाशवाणी का रांची केन्द्र (पटना केन्द्र नहीं) मुख्यत: बिहार राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के लोगों की आवश्यताएं पूरी करने के लिए है। यह, आदिवासी लोगों के लिए आदिवासी भाषाओं में नियमित कार्यक्रम प्रसारित करता है। इस समय इसके ट्रांसमीटर की शक्ति कम है, अत: यह दिन में लग-भग 25 मील तक सुनाई देता है, परन्तु रात के समय काफी दूर तक सुना जा सकता है।

(ख) रांची केन्द्र से इस समय केवल सायंकाल को ही प्रसारण होता है। इसके प्रसारण का समय बढ़ाने पर विचार हो रहा है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रांची में एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने की व्यवस्था की गई है। रांची केन्द्र से प्रसारण के घण्टे बढ़ जाने और वहां शक्तिशाली ट्रांसमीटर लग जाने पर आदिवासी संस्कृति का अधिक प्रसारण हो सकेगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बोनस का भुगतान

1495. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री मुथ्या :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को, जो अभी तक बोनस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं; 4 प्रतिशत बोनस देने का अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) यह अंतिम निर्णय लिया गया है कि सरकारी क्षेत्र के अप्रतियोगी उपक्रमों द्वारा कर्मचारियों को कुल वार्षिक कमाई का कम से कम 4 प्रतिशत

अनुग्रहपूर्वक अदायगी के रूप में उसी तरह दिया जाना चाहिये जिस प्रकार बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बोनस दिया जायेगा.

(ख) 1964–65 से ।

पाकिस्तान द्वारा अपने हमलावरों को प्रशिक्षण देने के बारे में लिखित प्रमाण

1496. श्री हिम्मत सिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के पास लिखित प्रमाण है जिस से पता चलता है कि हमालवरों को पाकिस्तानी सेना ने प्रशिक्षण दिया था;

(ख) यदि हां, तो उस का विवरण क्या है;

(ग) क्या सरकार इन दस्तावेजों को, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के संघर्ष में वास्तविक अपराधी के विरुद्ध प्रमाण के रूप में विदेशों को दिखाने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : पकड़े गए दस्तावेजों में हैं:—

(1) मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक, जी० ओ० सी० 12 वां पाकिस्तानी डिवीजन के ब्रिगेडियर फ़ज्ले रहीम, एम० सी० कमाण्डर खिल्जी कोर्स को सक्रियात्मक निदेशों का एक सेट दिनांक 29 अगस्त, 1965 और

(2) मेजर नज़ीर अहमद खान, अफसर कमांडिंग 5 ए० के० टी० ए० के० कम्पनी (नज़ीर फोर्स) के पत्रों दिनांक 7 जुलाई 1965 पर सम्मिलित एक फाइल, जो सिटी मेजेस्ट्रेट लायलपुर, अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर स्यालकोट, सब-एरिया (सेना) मुख्यालयों, और दूसरे अधिकारियों को भेजे गए थे, तथा एक्विटेन्स, रोल इत्यादि।

उपरोक्त (1) के दस्तावेज़ उस सूचना की पुष्टि करते हैं, जो सरकार को दूसरे साधनों से प्राप्त हुई थी, कि

(1) पाकिस्तानी सेना ने जम्मू काश्मीर में सशस्त्र घुसपैठियों का संगठन किया था। इस दस्तावेज़ में ही और अधिक घुसपैठ के लिए निदेश भी हैं।

(2) यह घुसपैठ नियमित सेना, तथाकथित आज़ाद काश्मीर बटालियनों और अनियमित सैनिक अंगों से संगठित की गई थी।

(3) निर्धारित समर तन्त्र में शामिल था पूर्वनिर्धारित लक्ष्यों में जमा होकर आक्रमण करना, अधिकाधिक हताहत करना, अधिकाधिक क्षति पहुंचाना और उसके पश्चात् विभिन्न दिशाओं में फैल जाना, वह समर-तन्त्र जो वास्तव में आक्रमणकारियों द्वारा अपनाए गए थे।

(4) अनुमानतः यह पत्र अधिकृत तौर पर इस बात की भी पुष्टि करता है कि इस से पहले हुए आक्रमण बावर्दी घुसपैठिए द्वारा नहीं हुए थे (पकड़ा गया पत्र बताता है कि इस नई संक्रिया के सैनिक वर्दी में भी कार्य कर सकते हैं)।

(5) मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक द्वारा निर्धारित मार्गों में से कुछ वह हैं जो घुसपैठियों के पहले दल द्वारा इस्तेमाल किए गए थे।

(6) नामकरण 'खिल्जी', उन नामों से मेल खाता है जो आक्रमणकारियों के अन्य दलों को दिए गए थे, जिन के कुछ सविवर्ग हमने अलग पकड़े थे। इस से पाकिस्तानी सेना, तथाकथित आज़ाद काश्मीर सेना तथा आक्रमणकारियों के संबंध की पुनः पुष्टि होती है। अन्य दलों की तरह खिल्जी फोर्स को खुराक आदि के मामलों में दो सप्ताह के लिए आत्मनिर्भर होना पड़ा था। घुसपैठियों को नगदी दी जानी थी, जो स्पष्टतः भारतीय मुद्रा में होना आवश्यक थी, और वह समस्त शक्तियां जिन्हें युद्ध-विराम रेखा के पार आना था, पाकिस्तानी सेना कमान के कड़े नियन्त्रण में थी। उपरोक्त (2) के दस्तावेज से यह भी पुष्टि होती है कि (1) तथाकथित मुजाहिद पाकिस्तान सरकार के बड़े वेतन प्राप्त ऐजेंट थे। (2) अपराधियों को विशेष कार्य के लिए भर्ती किया गया था। (3) 7 जुलाई को यूनिट के अफसर कमांडिंग ने यूनिट के एक सेविवर्ग के 10 जुलाई को न्यायालय में पेशी से छूट देने को कहा था। उसने कहा था कि 'उसे सौंपे गए कर्तव्य को सामने रखते हुए, वह निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित न हो सकेगा'। जबकि उस व्यक्ति को सौंपे गए विशेष कर्तव्य के लिए सामग्री प्राप्त नहीं है, स्पष्ट है कि इस का उस घुसपैठ से घनिष्ठ संबंध है, जो बड़े पैमाने पर 5 अगस्त को शुरू हुई। (4) यद्यपि यह यूनिट तथा कथित आजाद काश्मीर सेना का अंग है, लगता है इस के लिए सेविवर्गी स्यालकोट जिले से भर्ती किए गए थे।

समग्रतः यह दस्तावेज इस सूचना की पुष्टि करती है, जो भारत सरकार को अलग प्राप्त हुई थी, कि पाकिस्तान आक्रमणों का एक सिलसिला संगठित किया, जिसमें अंशतः सशस्त्र असैनिक होंगे और अंशतः नियमित सैनिक। यह दस्तावेज साफ तौर पर जाहिर करता है कि पाकिस्तान सेना का बारवां डिवीजन और भरी सबसेक्टर आक्रमणकारियों की इस भर्ती, प्रशिक्षण और उनके इस्तेमाल से सीधे संबंधित हैं।

(ग) उपरोक्त (1) के दस्तावेजों की प्रतियां और उन का मुख्य वस्तु विषय सभी दूतवासों के अध्यक्ष के राजनयिक प्रयोग के लिए तथा प्रचार के लिए भेज दिए गए है। उपरोक्त (2) के दस्तावेज के विषय वस्तु भी इसी प्रकार परिचालित कर दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आयुध कारखानों के मुख्याधिकारियों के वेतनक्रम

1497. श्री यशपाल सिंह :

श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 26 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 231 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों के राष्ट्रीय महत्व को दृष्टि में रखते हुए, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्याधिकारियों (चीफ एक्जक्यूटिव्स) के वेतनक्रमों को आयुध कारखानों के मुख्याधिकारियों अर्थात् महाप्रबन्धकों पर भी लागू किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आयुध कारखाने विभागीय उपक्रम हैं, और सरकार के अलग नियमों और आदेशों द्वारा शासित हैं। इसलिये राजकीय क्षेत्र में उपक्रमों के मुख्य कार्यकारियों के वेतनमान, आयुध कारखानों के जनरल मैनेजरों पर लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगार हुए कर्मचारी

1498. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये ; और

(ख) उन्हें पुनः रोजगार देने के लिये सराकर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) स्थूल अनुमान के अनुसार पंजाब में लगभग 46,000 कामगार बेकार हो गए। अन्य सीमा क्षेत्रों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) (1) अक्तूबर, 1965 में नई दिल्ली में हुए 23 वें अधिवेशन में भारतीय श्रम सम्मेलन ने श्रमिक वर्ग को जबरी छूट्टी, छंटनी बेरोजगारी आदि के कारण हुई कठिनाई पर विचार किया। उद्योग द्वारा अपर्याप्त उधार सुविधाओं, बिजली और कच्चे माल की कमी के कारण अनुभव की गई कठिनाइयों पर भी विचार किया गया। पाकिस्तान के आक्रमण के परिणामस्वरुप उद्योग और मजदुरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए श्रम सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर्मन्त्रालय समिति तथा केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मालिक और मज़दुर संगठनों के प्रतिनिधियों सहित एक त्रिपक्षीय स्थायी समिति स्थापित की गई है। राज्य सरकारों से भी राज्यों में त्रिपक्षीय स्थायी समितियां स्थापित करने के लिये इसी प्रकार की कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई है।

(2) सीमा क्षेत्रों में आर्थिक सामान्यता लाने के लिए संम्बधित राज्य सरकारों और मंत्रालयों द्वारा कारगर उपाय किए जा रहे हैं। पुनःस्थापन महानिदेशालय (केबिनेट सेक्रेटरियेट) भी, जिसकी स्थापना हो चुकी है, यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही कर रहा है कि पंजाब में स्थित उद्योगों में यथाशीघ्र सामान्य अवस्था हो जाए।

(3) रोज़गार दिलाने के लिये उद्योग के पुनस्थापन में सहायता के लिये अब तक जो कदम उठाए गए हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) रेल मंत्रालय से प्रार्थना कर दी गई है कि वह विभिन्न उद्योगों को उनकी परिवहन समस्या में हर प्रकार की सहायता दें।

(ii) रिजर्व बैंक ने पंजाब में स्थित अनुसूचित बैंको को आवश्यक आदेश जारी किया है कि वे उद्योगो को उधार की ओर अधिक सुविधाएं दें।

(iii) सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय से प्रार्थना कर दी गई है कि वह सभी इडैंटों की जांच करे और कारखानों के काम चालू करने के लिये पंजाब के उद्योगों में अधिक आर्डर भेजें तथा पंजाब के उद्योगों के उत्पादन की मांग को बढ़ावा दें।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

1499. **श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये :

क्या **प्रधान मंत्री** 8 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 90 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों, व्यापारियों, दस्तकारों तथा छोटे उद्योगपतियों आदि से, सरकार द्वारा पुनर्वास की समस्याओं की उपेक्षा के बारे में ज्ञापन प्राप्त हुए है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) पंजाब के सीमा क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता तथा पुनर्वास के लिए और सीमा क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एककों की सहायता के लिए कुछ अभ्यावेदन मिले हैं। राजस्थान के सीमा क्षेत्रों से कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर पंजाब और राजस्थान राज्यों में कोई सहायता शिबिर नहीं खोला गया है। विस्थापित व्यक्तियों को भोजन, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सुविधायें तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें देने के लिये सहायता शिबिर खोले गये है। इसके साथसाथ उनको वित्तीय सहायता दी जाती है जिससे वह अपने मकान को तौर सके। सीमा क्षेत्रों में औद्योगिक एककों के सामान्यतः चलते रहने के लिए कदम उठाये गये है।

National Defence Fund

1500. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether some persons have collected money towards the National Defence Fund without issuing receipts therefor;

(b) whether Government have received some such complaints ; and

(c) if so, the action taken against the persons concerned ?

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : (a) to (c). After the recent aggression by Pakistan when there was renewed enthusiasm to make voluntary contributions to the National Defence Fund, a Press Note was issued specifying the various banks and other agencies authorised to receive contributions for the Fund. Members of the public were advised to ensure that their contributions were paid only to authorised agencies. The State Governments were also advised to take steps to ensure that collections by unauthorised agencies should not be permitted. Government have not received any recent complaints about unauthorised collections but if any specific cases are brought to its notice, suitable action would be taken.

Contribution to NDF by Nari Raksha Samiti

1501. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachavaiya :

Will the **Prime Minister** be pleased to state the amount deposited by Nari Raksha Samiti (Women's Defence Committee) in the National Defence Fund from August, 1965 to the 10th October, 1965 ?

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : It is regretted that the required information cannot be furnished as no accounts are maintained of the total contributions made to the National Defence Fund by any particular individual or institution.

Acquisition of Land For I.A.F. Aerodrome Near Ghaziabad

1502. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1638 on 21st December, 1964 and state :

(a) whether annual rent has been fully paid in respect of the land acquired near Ghaziabad for the Hindon airfield a year ago;

(b) if not, the reasons therefor and when it is likely to be paid;

(c) whether the rates of compensation thereof have been fixed; and

(d) if so, the rates of compensation for agricultural land and that bearing orchards separeately as also when the compensation will be paid ?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) and (b). Annual rent payable for the period of requisition of the land has since been assessed by the competent authority and it is under scrutiny by the Director of Military lands and Cantonments for obtaining Government sanction. In the meantime, 'on-account' payment to the extent of Rs. 6·15 lakhs has been made to landowners to mitigate hardship.

(c) and (d). Compensation payable on account of subsequent acquisition of the land is under assessment by the competent authority. Additional staff has been made available to him to expedite the proceedings and finalise the award.

Construction of Road Near Ghaziabad

1503. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1637 on the 21st December, 1964, and state :

(a) whether the alternative road proposed to be constructed by the C.P.W.D. for civilian traffic for Asalatpur near Ghaziabad has been completed as per assurance given by their Department to construct it within three or four months' time ;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) whether the provisional permission given to the public to use the boundary roads within the circumference of the airport has since been withdrawn; and

(d) the action being taken by Government to remove the difficulty experienced by the public ?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) and (b). No, Sir. Finalisation of the alignment and specifications of the alternative road in consultation with the State Government has taken time. Government of India sanction for their portion of the liability in connection with this work has since been issued on the 27th October 1965. It has been decided that the work will be carried out by the State P.W.D.

(c) Yes, Sir, in the interest of national security on account of the present emergency.

(d) The State Government have been appraised of the difficulty experienced by the public and requested to complete construction of the alteranative road on priority.

सिंगापुर द्वारा मध्यस्थता करने का प्रस्ताव

1504. **श्री मुहम्मद कोया :**
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री बडे :
श्री युद्धवीर सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के बीच घनिष्ठता बनाने में सहायता करने के लिये सिंगापूर सरकार ने मध्यस्थता करने का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नसीराबाद छावनी क्षेत्र

1505. **श्री वारियर :**
श्री दाजी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान परिसर (भाड़ा नियंत्रण तथा निष्कासन) अधिनियम, 1950 को राजस्थान के नसीराबाद छावनी क्षेत्र में अभी तक लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो देरी के क्या कारण है; और

(ग) इस अधिनियम के छावनी क्षेत्र में कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : इस समय नसीराबाद छावनी में दिल्ली तथा अजमेर किराया नियन्त्रण अधिनियम 1952 लागू है। 1962 में राजस्थान सरकार ने यह इच्छा व्यक्त की थी, कि समग्र राज्य में किराया नियन्त्रण विधान में समानता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा, नसीराबाद छावनी में राजस्थान भवन (किराया तथा बेदखली नियन्त्रण) अधिनियम 1950 विस्तारित करके लागू कर दिया जाए। राज्य किराया नियन्त्रण अधिनियम को विस्तारित करके, लागू करने से पहले, यह आवश्यक है, कि संसद् द्वारा एक अधिनियम से दिल्ली तथा अजमेर किराया नियन्त्रण अधिनियम 1962 निरस्त कर दिया जाए। संसद् में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पुरस्थापित करने तथा राजस्थान भवन (किराया तथा बेदखली नियन्त्रण) अधिनियम 1950 को विस्तृत करके नसीराबाद छावनी पर लागू करने संबंधी प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

Firing by East Pakistan Rifles on Indian Patrol Party

1506. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 15th November, 1965 East Pakistan Rifles opened fire on an Indian patrol party near Amli Ghat South of Tripura;

(b) if so, the damage caused as a result of the incident; and

(c) the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) to (c). At about 1700 hours on 14th November 1965 (and not on 15th November 1965) personnel of the East Pakistan Rifles fired from Pakistan territory at an Indian patrol party near Amlighat in Sabroom Sub-division of Tripura. The Indian border patrol party was compelled to return the fire in self-defence. There was no loss of life or any other damage on our side. A protest was lodged with the Government of Pakistant on 19th November, 1965.

रोडेशिया

1507. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने भारत ने प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रमंडल के अन्य सदस्य देशों को रोडेशिया की स्थिति के बारे में एक पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो पत्र में क्या क्या लिखा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि रोडेशिया में समझौता कराने के बारे में भारत ने राष्ट्रमंडल के देशों को एक प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार राष्ट्रमंडल सम्मेलन को निर्धारित समय से पहले कराने के पक्ष में है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां। स्मिथ सरकार द्वारा आज़ादी की इकतरफ़ा घोषणा करने से पहले, ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने रोडेशिया को एक राष्ट्रमंडल मिशन भेजने का प्रस्ताव किया था।

(ग) जी, नहीं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व के अन्य मंचों पर समान विचारधारा वाले अफ्रो-एशियाई देशों के साथ मिलकर रोडेशिया में जातिगत अल्पसंख्याक शासन के लादे जाने का निरंतर विरोध किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पनडुब्बियां

1508. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पनडुब्बियों का अड्डा बनाने के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक बन जाने की संभावना है;

(ग) क्या रूस से पनडुब्बियां आ गई है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय नौ-सैनिकों को पनडुब्बी चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : मामला विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। तदपि, पनडुब्बियों की प्राप्ति के पूर्वानुमान से कुछ सेविवर्ग ने पनडुब्बियों का प्रशिक्षण पा भी लिया है, और पनडुब्बियों के प्राप्त होने से पहले कुछ और प्रशिक्षण पा लेंगे ।

सिंगापुर के अधिकारियों का प्रशिक्षण

1509. **श्री रामेश्वर टांटिया :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री किन्दर लाल :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगापूर सरकार ने भारत सरकार से सिंगापूर के विदेश सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सिंगापूर के इन अधिकारियों का पहला दल कब तक आने की संभावना है; और

(ग) उनको किस प्रकार का प्रशिक्षण देने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : ब्यौरा अभी अंतीम रूप से तय नहीं हुआ है।

चीन में भारतीय राजनयिक अधिकारियों को निदेश

1510. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 15 नवम्बर 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 211 पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन में भारतीय अन्तरिम कार्यदुत को समारोहों में भाग लेने के बारे में दिये गये विदेशों पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) क्या वे सभा पटल पर रखे जायेंगे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पीकिंग में हमारा जो कार्यनायक है उसे आम निर्देश यह हैं कि सामान्य राजनयिक नयाचार के अनुसार, चीन सरकार की ओर से जो महत्वपूर्ण उत्सव और स्वागत हों उनमें वे भाग लें। अगर इन उत्सवों में भारत-विरोधी वक्तव्य अथवा भाषण दिए जाएं तो उन्हें यह अधिकार दे दिया गया है कि विरोध प्रकट करने के लिये वे ऐसे उत्सवों को छोड़ कर चले जाएं।

Indo-Pak Agreement on Shooting Practices on Cease-fire Line

[1511. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether an agreement has been concluded between India and Pakistan that no shooting practice would be carried out within an area of ten miles from the cease-fire line;

(b) if so, the terms and conditions of the agreement; and

(c) the date from which the agreement takes effect ?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) At the suggestion of the Chief Officer, UNIPOM it was agreed that the Indian and Pakistani Army would avoid test firing and zeroing of weapons, particularly of tanks and artillery pieces, within a limit of 10,000 yards from the line of actual control. Later the Chief Officer, UNIPOM, suggested, and it was also agreed by both sides, that there would be no firing of smaller weapons, including rifles and machine guns or of any explosive device within 10,000 yards of the line of actual control without prior notification to the United Nations Observers in the area.

(b) and (c). Since this is only a working agreement arrived at by the Chief Officer, UNIPOM, in consultation with the COAS, Indian Army, and C-in-C, Pakistan Army, the agreement has no formal terms and conditions. We were informed by the Chief Observer UNIPOM about the acceptance of the above arrangements by both sides on 5-11-1965.

उच्चतर माध्यमिक और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षाओं में आयु-सीमा में छूट

1512. **श्री प्रिय गुप्त :**
श्री वाल्वी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे विद्यार्थियों को जो इस उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में बैठे रहे हैं और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मई, 1966 में ली जाने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं तथा अधिकतम आयु सीमा से तीन अथवा चार महीने बड़े हैं, आयु में छूट देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं;

(ख) क्या आयु सीमा को स्थायी रूप से 14-17 से बढ़ा कर 15-18 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) इन परीक्षाओं में बैठ सकने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए क्या आयु-सीमाएं हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) वर्तमान नियमों के अनुसार उच्चतर माध्यम स्कूल के छात्र जिन्होंने दसवी कक्षा की परीक्षा पास कर ली है (प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए परन्तु 1 दिसम्बर, 1966 के पश्चात् नहीं)। मई 1966 के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में बैठने के अधिकारी होंगे, जो जनवरी, 1967 के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पाठ्य-क्रम के लिए उम्मीदवारों के चुनाव के लिए होगी, इसके लिए उन्हें 1 जनवरी 1967 को 15 $17\frac{1}{2}$ वर्षों की आयु सीमाओं के अन्दर अन्दर होना चाहिए। आयु सीमाओं में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) इन वर्गों के लिए भी आयु सीमाएं 15-$17\frac{1}{2}$ वर्षों की हैं।

विराम सन्धि अधीक्षक का चुनाव

1513. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने उन देशों के नाम भेजे हैं जिनके यहां से विराम-संधि अधीक्षक का चुना वकनर है;

(ख) यदि हां, तो इस काम के लिए कौनसा देश चुना गया है; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र महासचिव को क्या उत्तर भेजा गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : भारत और पाकिस्तान से परामर्श करने के बाद, जसी कि सुरक्षा परिषद के 5 नवंबर 1965 के प्रस्ताव की व्यवस्था है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने चिली के डायरेक्टर आफ़ वार ऐकेडेमी, ब्रिगेडियर जनरल तूलियो माराम्बियो को वापसी के मामले के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है।

चौथी योजना में रोजगार की संभावनायें

1514. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने कुशल तथा अकुशल व्यक्तियों को तीसरी पंचवर्षीय योजना में रोजगार मिल गया है; और

(ख) चोथी पंचवर्षीय योजना में रोजगार की क्या संभावनायें हैं।

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) योजना आयोग के अनुमान के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में लगभग एक करोड़ तीस लाख (95 लाख कृषि क्षेत्र के बाहर और 35 लाख कृषि क्षेत्र में) रोजगार अवसर उपलब्ध होने की सम्भावना है।

व्यवसाय के अनुसार इनका खुलासा अभी प्राप्त नहीं है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी (अक्टूबर 1964) ज्ञापक में अनुमान लगाया गया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना काल में दो करोड़ से लेकर दो करोड़ दस लाख के लगभग रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे। क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना का आकार और स्वरुप अभी तक विचाराधीन है, इसलिए रोजगार अवसरों से सम्बन्धित बाद के आंकड़े प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

कोलार की सोने की खानों के मजदूर

1515. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मैसूर राज्य में कोलार की सोने की खानों के खनन उपक्रमों में कितने मज़दूर लगे हुए हैं; और

(ख) क्या उस राज्य में फालतू मज़दूरों को लगाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जून, 1965 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान मज़दूरों की औसत दैनिक संख्या 9273 थी।

(ख) जहां तक कोलार की सोना खानों का सम्बन्ध है, इस समय खनन उपक्रम में आवश्यकता से ज्यादा कोई मज़दूर नहीं हैं। लगभग 3000 मजदूर, जोकि 1962 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठानों को लेते समय फालतू थे, अब कुदरती कारणों और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण समाप्त हो गये हैं।

अकाल की स्थिति के कारण बेरोजगारी

1516. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि बहुत से कृषि मजदूर तथा भूमिहीन व्यक्ति देश में अकाल की स्थिति के कारण लाभप्रद रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाये हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का विचार देश के अकाल वाले क्षेत्रों में सहायता कार्य आरंभ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) मौनसून के अभाव के कारण कुछ राज्यों में अकाल की स्थिति की विद्यमानता की सरकार को जानकारी है। परन्तु इस स्थिति से प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न बेरोजगारी का मूल्यांकन करना कठिन है क्योंकि सामान्य अवस्था में भी कृषि क्षेत्र में अपूर्ण रोजगार और बेरोजगारी रहती है।

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक सहायता उपाय किए जा रहे हैं।

(ग) ये उपाय मुख्यत: विभिन्न सहायता-कार्य और अकाल दूर करने सम्बन्धी कार्य जसे कि तालाबों में से मिट्टी निकालने और उनकी मरम्मत करने, कुएं खोदने, चारे और पेय जल की सप्लाई की व्यवस्था करने तथा वित्तीय सहायता देने अर्थात भूमि कर से छूट देने या उसे स्थगित करने, तकावी ऋण मंजूर करने, आदि के बारे में है।

तीसरी योजना में रोजगार

1517. **श्री मुथिया** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) तीसरी योजना अवधि में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया; और

(ख) इस अवधि में कितने व्यक्ति बेरोजगार रहे ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) : यथातथ्य जानकारी उपलब्ध नही है। योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान श्रम शक्ति में होने वाली एक करोड़ सत्तर लाख की वृद्धि के मुकाबले में एक करोड़ तीस लाख (95 लाख कृषि-क्षेत्र के बाहर और 35 लाख कृषिक्षेत्र में) रोजगार अवसर उपलब्ध होने की सम्भावना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में बेरोजगार रहने वालो की संख्या लगभग एक करोड़ बीस लाख होगी।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

गारो हिल्स, आसाम मे सशस्त्र पाकिस्तानियों के अनाहूत प्रवेश और एक भारतीय ग्रामीण सुरक्षा दल पर गोलीबारी करने का समाचार

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I call the attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

"The reported intrusion of armed Pakistanis into Garo hills, Assam on the 24th November, 1965, and opening of fire on an Indian Village defence party resulting in injuries to twelve persons."

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, 24 नवम्बर, 1965 को 2 बजे प्रात: 20 सशस्त्र पाकिस्तानियों के एक दल ने भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट (तुरा से 22 मील पश्चिम) माणिकस्वार में एक भारतीय नागरिक के मकान पर डाका डाला। गांव के रक्षा दल द्वारा ललकारे जाने पर डाकुओंने उन पर गोलियां चलाई जिसके फलस्वरुप 12 व्यक्ति घायल हुए, इनमें

[श्री यशवंतराव चव्हाण]

7 सख्त जख्मी हुए थे। पुलिस तुरन्त मौके पर पहुंची, परन्तु डाकू अंधेरे में पाकिस्तान की ओर भाग गये। असैनिक पुलिस के सहयोग से हमारी सीमा सुरक्षा सेना द्वारा इस क्षेत्र की गश्त और तेज कर दी गई है।

Shri Yashpal Singh : Keeping in view the collusion between Pakistan and China, repeated Chinese intrusions on Sikkim border and repeated Pakistani intrusion on Garo Hills and other parts of Assam, what steps are being taken to push them back or would it become a regular feature ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ये लोग सदा ही पूर्वी-पाकिस्तान-असाम सीमा का अतिक्रमण करने का प्रयत्न करते हैं। हम इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री स० मो०बनर्जी (कानपुर) : पाकिस्तान द्वारा आसाम सीमा पर गारो पहाड़ियां अथवा अन्य भारत-पाकिस्तान सीमा का अतिक्रमण क्या इस बात का संकेत नहीं है कि पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करना चाहता है और यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वह अतिक्रमण करना बन्द कर दे अन्यथा भारतीय सेना पाकिस्तानी क्षेत्र में घुस जायेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अतिक्रमण रोकने के लिये निस्संदेह सुरक्षात्मक आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। किसी प्रकार की चेतावनी देना और उसके अनुसार कार्य करना बुद्धिमानी नहीं है। इस से मामला बढ़ता है जो वांछनीय नहीं है।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : पूर्वी पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और अतिक्रमणों और घुसपैठ को रोकने के लिये क्या कोई जन संख्या रहित क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव था और यदि हां, तो उसे कहां तक क्रियान्वित किया गया ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है अतः इसके लिये समय चाहिये।

श्रीमती रेणुका बडकटकी (बारपेटा) : क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि पाकिस्तानी अतिक्रमण और आक्रमण का पता लगाने तथा उन्हें रोकने में असफलता का कारण क्या हमारी गुप्तचर व्यवस्था अथवा स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था का पर्याप्त सतर्क न रहना है अथवा सुरक्षा पुलिस और सशस्त्र सेना के बीच समन्वय की कमी है ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : माननीया सदस्या की कोई भी बात ठीक नहीं है। हम अतिक्रमणों का कारगर ढंग से मुकाबला करते हैं। मैंने पहले बताया था कि घुसपैठ करने वाले बड़ी संख्या में मारे गये थे और कुछ जख्मी हुए थे।

श्री दी० चं०शर्मा (गुरदासपुर) : क्या सरकार ने सामरिक महत्व के उन स्थानों का पता लगाया है जिन से पाकिस्तानी हमारे क्षेत्र में प्रवेश करके सशस्त्र हमला करते हैं और यदि हां, तो सशस्त्र पाकिस्तानियों ने एक भारतीय गांव में गोली कैसे चलाई जिसके परिणामस्वरूप 12 व्यक्ति घायल हुए जिन में से 7 व्यक्तियों को गंभीर चोटें आईं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जिन सामरिक महत्व के स्थानों से सशस्त्र अतिक्रमण होते है उनके संबंध में विचार किया जा सकता है किन्तु डाकू जिन स्थानों से हमारे देश में प्रवेश करते है उनके बारे में पूर्वानुमान लगाना कठिन है। हमने उन क्षेत्रों में स्थानीय सुरक्षा दल बनाये है जो इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम करते हैं। इस घटना में स्थानीय सुरक्षा दल ने उनका बहादुरी से मुकाबला किया। उनके द्वारा गोली चलायी जाने पर कुछ व्यक्तियों का जख्मी होना स्वाभाविक था।

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के बारे में

RE: BANARAS HINDU UNIVERSITY

Shri Bagri (Hissar) : Mr. Speaker, before proceeding further I would like to raise a matter before the House for which I have already given notice in writing. Dr. Lohia sent a telegram to you and the copies of the same have also been received by the members of my party. Shri Rajnarain Singh has also sent a telegram. These telegrams relate to Kashi Vishwa Vidyalaya.

Mr. Speaker : How can you raise a question regarding Kashi Vishwa Vidyalaya today ?

Shri Bagri : Dr. Lohia is a member of the Lok Sabha. He was assaulted while addressing a meeting. He has sent a telegram to you regarding the incidents which may occur at any time in the country. I only read out to you the contents of the telegram.

Mr. Speaker : No, by giving notices in writing an hon. Member may not presume that he has been allowed to raise the issue or he has become entitled to raise it. It is necessary to have my consent before raising an issue. The telegram in question is very ordinary and I have already mentioned that. We would consider it when a Bill regarding Banaras Hindu University is placed before the House for discussion. You can then raise this issue.

Shri Bagri : Mr. Speaker, attempts are being made to destroy the stone on which 'Kashi Vishwa Vidyalaya' is inscribed.

Mr. Speaker : It cannot be raised at this stage.

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमंद) : अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि मैंने 10 मई, 1965 को इस विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी थी। किन्तु यह मामला एक न्यायालय के विचाराधीन था इसलिये इस विशेषाधिकार प्रश्न पर विचार स्थगित कर दिया गया था। चूंकि अब उच्चतम न्यायालय ने माननीय सदस्य श्री मधु लिमये की अपील के लिये विशेष अनुमति की प्रार्थना अस्वीकृत कर दी है अत: मैं फिर इस प्रश्न को सभा के सामने उठाता हूं।

सभा को स्मरण होगा कि श्री मधु लिमये को 8 अप्रैल, 1965 को अनुचित व्यवहार, अशिष्ट शब्दों के प्रयोग तथा अध्यक्ष और सभा के प्राधिकार की अवज्ञा करने के लिये श्री सत्य नारायण सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव द्वारा सभा की सेवा से दो सप्ताह के लिये मुअत्तिल कर दिया था। माननीय सदस्य द्वारा न्यायालय में दी गई लेख याचिका में अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर न्यायालय में एक शपथ पत्रद्वारा इस बात की पुष्टि की थी कि अध्यक्ष महोदय द्वारा उनके विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही विद्वेषपूर्ण थी और इस लिये वह असद्भावपूर्ण समझी जाये और उन्हें वास्तव में लोक-सभा सचिवालय की मांगों पर चर्चा उठाने तथा उन पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के कारण दंड दिया गया था। श्री मधु लिमये द्वारा पंजाब उच्च न्यायालय में दायर की गई लेख याचिका की दसवी कण्डिका में ये सभी बातें दी गई थीं कि :—

"प्रार्थी को उपरोक्त उत्तर मिलने के दिन लोक सभा में हंगामे की स्थिति पैदा हो गई और प्रार्थी को, संसद्-कार्य मंत्री श्री सत्यनारायण सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का सभा के नेता श्री लाल

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

> बहादुर शास्त्री द्वारा अनुमोदन किये जाने पर लोक सभा की सेवा से दो सप्ताह के लिये निलंबित किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रार्थी का नाम लेने तथा उनके निलम्बन के लिये उपरोक्त सूचना प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में श्री सत्यनारायण सिंह का कार्य न केवल नियम-विरुद्ध था अपितु असद्भावनापूर्ण भी था क्योंकि उन्हें सचिवालय की सांसों पर चर्चा का प्रश्न उठाने तथा इस सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के कारण दंड दिया गया था।"

चूंकि अध्यक्षपीठ पर ये आरोप जानबूझ कर लगाये गये है,अत: यह आरोप और भी अधिक गंभीर बन जाता है। महान्यायवादी ने इस मामले में तर्क देते हुए कहा कि सभा के समक्ष उपस्थित प्रार्थी ने तथ्यों को जानबूझकर दबा कर गलतरूप में प्रस्तुत किया है और उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में महान्यायवादी के तर्कों को बिना किसी टिप्पणी के दोहराया है।

चूंकि पीठासीन अधिकारी सभा की गरिमा तथा उसके प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है, अत: मैं समझता हूं कि उसके विरुद्ध लगाये गये गंभीर आरोपों से सभा के विशेषाधिकार का भीषण उल्लंघन होता है। हो सकता है कि माननीय सदस्य ने अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध भ्रमवश ये आरोप लगाये हों। अत: यदि वह बिना शर्त सभा से क्षमा मांग लें तो मामला आपकी तथा सभा की अनुमति से समाप्त किया जा सकता है। परन्तु यदि श्री मधु लिमये बिना किसी शर्त क्षमा मांगने के लिये सहमत नहीं हैं तो सभा द्वारा यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये। समिति जैसा उचित समझे, निर्णय तथा कार्यवाही करे।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : जिस तरीके से यह विशेषाधिकार प्रश्न उठाया गया है, उसके सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने कोई विशिष्ट विशेषाधिकार-प्रश्न नहीं उठाया है। उन्होंने केवल वैकल्पिक सुझाव दिया है। यह एक काल्पनिक प्रस्ताव है। अत: यह विशेषाधिकार प्रश्न विधिसंगत नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि कोई विशिष्ट विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किये बिना उन्होंने सभा में दो वैकल्पिक सुझाव रखे हैं।

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार का उल्लंघन एक भाग है जिसका कि माननीय सदस्य ने भाषण के आरंभ में उल्लेख किया है। दूसरे भाग में उन्होंने सुझाव दिया है कि सभा को क्या कार्यवाही करनी चाहिये। मैं इस बात से सहमत हूं कि कार्यवाही करने के बारे में निर्णय करना सभा का काम है न कि माननीय सदस्य का। किन्तु माननीय सदस्य के सुझाव देने मात्र से ही विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रस्ताव अनियमित नहीं हो सकता है।

Shri Bagri (Hissar) : Mr. Speaker, I would like to speak on it.

Mr. Speaker : I have called Shri Madhu Limaye to express his views on it.

Shri Bagri : Since it is not a question of breach of privilege, there is no need to call Shri Madhu Limaye.

Mr. Speaker : Let me hear Shri Madhu Limaye first.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I requested you to read out the complete text of the motion when the hon. Member, Shri Vidya Charan Shukla raised this Privilege motion on 18th August, 1965 and the request was acceded to at that time. Now he has moved only half the motion. Last time, the motion had two parts ; first a breach of privilege of the House has been committed by taking the matter to the court and the second part of his motion was that a breach of privilege has been committed by the word '*mala fide*' in the petition submitted to the court in

regard to the speaker's decision as well as the motion moved by Shri Satya Narayan Sinha.

So far as the first part of the motion is concerned, the hon. Member should have read it out. You have to give your ruling on it. I think you have held several times that, on question of Constitutionality, every Member has a right to go to Court. That cannot be decided here.

That is why I went to the Punjab High Court. I think I have not made a breach of privilege in any way. Last time I have already explained the whole matter. As for the second allegation, what has come before the court should not be made the basis of a question of privilege in the House. Being a former judge, you know very well that the element of *malafide* appears in legal matters.

So far as the reality is concerned I communicated to you the entire proceedings and the judgement of the Supreme Court on the day when the judgement regarding the dismissal of my appeal was delivered before it was published in newspapers. I did not try to avoid the issue.

Sir, you have done a very good thing by postponing the motion of privilege till the pronouncement of the judgement by the Supreme Court. You could have referred the matter to the Privileges Committee after the judgement of the Supreme Court was pronounced. But so far the question as of my suspension from the service of the House is concerned, I beg to submit that sometimes, the Speaker may take decision under a misapprehensiond. Such occasions have also arisen in the House of Commons in England. I have recently read a book named 'Office of Speaker' on the subject. In such cases the Speaker of the British Parliament reconsiders his ruling after a day or two according to its convention and makes the position clear before the House.

After a day or two of my suspension I wrote a letter to you and told you that the papers had published full report about the facts. By using the word important I never intended to cast any aspersion on you or on any hon. Member of this house or on this House or on any hon. Minister. I never showed any kind of disrespect to the Chair. Therefore my submission is that the position should have been made clear by you the next day. I never disobeyed your order like the hon. member Shri Kamath, when he refused to take his seat without completing his speech. The other day also, I obeyed your order and left the House. While leaving the House I used that word for the ruling party because they were making noise.

When the next day, the position was not made clear I, on the expiry of my suspension period, wrote a letter to you in which I requested you to give me an opportunity to explain my position with a view to remove the misapprehension created in the House. It was acceded by you and I explained the whole position. Everything is there on the record. After this clarification Shri Kishen Pattanayak and Shri Nath Pai told Shri Satya Narayan Sinha that now it had become clear and Madhu Limaye had not shown any disrespect to the House or to the Chair. Shri Satya Narayan Sinha had moved the motion for my suspension without any valid reasons. It was therefore his duty to express regrets for his action. Sir, you had named me under a misapprehension as a result of which the Minister got a chance to move that motion and I was suspended from the service of the House for fuorteen days. In view of the explanation given by me, it would be

[Shri Madhu Limaye]

in the fitness of things that the motion be rejeeted. If it is referred to the Privileges Committee, I have no objection. But all the records, facts and the explanation should be supplied to the Committee and the Committee should consider the matter in its totality. If I am proved guilty I am ready to apologise to any body.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : माननीय सदस्य श्री मधु लिमये ने अपनी बात के दौरान मेरा उल्लेख किया ।

Mr. Speaker : It does not matter.

Shri Hari Vishnu Kamath : Why it does not matter ?

Mr. Speaker : Shri Madhu Limaye has said that it was under misapprehension that the offence had been committed.....

Shri Madhu Limaye : I said 'you gave your ruling under misapprehension. Such things lead to injustice. Under misapprehension, you named me and that was why injustice was done to me.

Mr. Speaker : Your suspension from the service of the House is a different question. The present issue is that you went to court and there you said that the action was taken against you by the Speaker for raising this question of discussion on Lok Sabha Secretariat Demands and for having moved cut motions in that connection, therefore, the action of the speaker was *malafide*. But at the time of your suspension the House was discussing a different matter which had no relevance at all to the Lok Sabha Secretariat's Demands. So, the Charges levelled by you against the speaker and the Minister of Parliamentary Affairs are not correct. Now you may explain your position before the Privileges Committee to which this matter is being referred.

Shri Madhu Limaye : The question of *malafide* arises only when there is a difference between apparent reason and real reason. Shri Satya Narayan Sinha requested you to name me on the day when I raised a question of cut motion. Shri Kishen Pattnayak and Shri Nath Pai have said that the position had become clear after my explanation. It is all on the record of the House. But nothing was done. Had you not named me he would have not got the opportunity to bring a motion for my suspension.

Shri Bagri : When a question of privilege crops up for the maintenance of the dignity of the House, it does not necessarily involve punishing some body. Several cases of privilege had come before the House in which the Housedid not consider it necessary to proceed further in the matter.

Shri Madhu Limaye did not make any statement on public platforms. His right to go to the court is not questioned. When the Court gives its judgement in any case, it is final. So also after the Court's judgement in Shri Madhu Limaye's case, things should rest there. There is no use in stretching the matter further through a privilege motion in the House.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मै आपका ध्यान नियम 223 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि :

"जो सदस्य विशेषाधिकार प्रश्न उठाना चाहे वह उस की लिखित सूचना उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व जिस दिन प्रश्न उठाने का विचार हो, सचिव को देगा। यदि उठाया गया प्रश्न किसी दस्तावेज़ पर आधारित हो तो सूचना के साथ वह दस्तावेज भी संलग्न होगा।"

इस लिये हम यह कहते है कि यदि विशेषाधिकार का प्रश्न किसी समाचार की खबर या किसी अन्य दस्तावेज पर आधारित हो तो वह समाचारपत्र अथवा दस्तावेज या तो आप को दिखा देते हैं या आप के पास भेज देते हैं । उदाहरण के तौर पर श्री दाजी के पास दस्तावेज था क्योंकि उनके पास इन्दौर से कागज़ात आये थे कि पुलिस के सबइन्सपैक्टर या इन्सपैक्टर ने बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया है, उसने विशिष्ट याचिका लोक-सभा को भेजने नहीं दी । यहां पर भी मेरा विश्वास है कि श्री विद्याचरण शुक्ल ने इसकी सूचना अवश्य दी होगी और जिस दस्तावेज के आधार पर उन्होंने विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखा है वह दस्तावेज सप्लाई कर दिया होगा। यदि उच्चतम न्यायालय को की गई अपील अथवा उच्च न्यायालय को भेजी गयी याचिका ही उनका दस्तावेज है, अर्थात् यदि उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका चाहे वह लेख याचिका हो या अपील याचिका, विशेषाधिकार का विषय बन जाती है, तो मेरे विचार से यह सब के लिये ही, सदस्यों के लिये ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिये भी कठिन हो जायेगा। मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है : जब उच्च न्यायालय और बहुत से अन्य न्यायालयों ने स्वर्गीय प्रताप सिंह कैरों के बारे में आलोचनात्मक शब्दों का प्रयोग किया था, तो हम उन आलोचनात्मक शब्दों के आधार पर इस सभा में प्रश्न पूछना चाहते थे । मुझे याद है कि तब आपने अनुमति न देकर बुद्धिमत्ता दिखाई थी । न्यायपालिका और संसद् के कृत्य पृथक् पृथक् हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : न्यायपालिका और विधान मण्डल के कृत्यों के बारे में कोई झगड़ा नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं इस प्रश्न को इसलिये उठा रहा हूं क्योंकि इस तरह से इस सभा के किसी भी सदस्य के लिये काम करना कठिन हो जायेगा । यदि उसके साथ न्याय नहीं भी किया जाता है, तो वह न्यायालय में नहीं जा सकता है । हमारे विशेषाधिकारों को भी उचित ढंग से संहितबद्ध नहीं किया गया है . . . .।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को निवेशित (फाइल) किये गये शपथपत्र को देखना चाहिये। वह केवल न्यायालय को जाने की बात ही कहे जा रहे है। प्रश्न यह नहीं है। **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री स० मो० बनर्जी : सभा के समक्ष केवल एक ही प्रश्न है कि क्या याचिका अथवा अपील में श्री मधु लिमये ने अध्यक्ष के आचरण के बारे में ऐसी अभिव्यक्ति की है कि उनके विचार असद्भाव है, आदि। उन्होंने 'असद्भाव' शब्द का प्रयोग किया है और मेरे मित्र श्री शुक्ल ने उसी शब्द पर आपत्ति की है। मैं वकील तो नहीं हूं परन्तु फिर भी यह जानना चाहता हूं कि असद्भाव का अर्थ क्या होता है ? मैं यही कहना चाहता हूं कि यह अच्छा दृष्टांत नहीं होगा। आपके लिये और इस सभा के लिये मेरे मन में बहुत सम्मान है परन्तु मैं यह कहूंगा कि यह अच्छा दृष्टांत नहीं होगा। प्रशासी दल के सदस्य से ऐसा इसलिये किया जा रहा है ताकि यदि भविष्य में पीठासीन व्यक्ति से मुझे कोई दण्ड दिया जाये तो मैं उसको चुनौती न दे सकूं। आपको चुनौती देने की हमारी कोई मंशा नहीं है परन्तु कई बार ऐसा होता है . .

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आया कि क्या उन्होंने श्री मधु लिमये का समर्थन किया है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं श्री मधु लिमये का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इस बात का समर्थन कर रहा हूं कि विधि-न्यायालय में प्रस्तुत किये गये प्रश्न पर यहां चर्चा नहीं होनी चाहिये।

Shri Rameshwaranand (Karnal) : Mr. Speaker,. . . . . .

Mr. Speaker : You should not speak like that. The words that you used last time also were not befitting. I say that I have a lot of patience and tolerance. It will not be strange if I feel perturbed by your wordings. You should not behave like that.

श्री कपूर सिंह : मैं सविनय निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने से पहले इस पर और चर्चा की जानी चाहिये। मैं महसूस करता हूं कि इस सभा को या आपको इस बात पर अन्तिम निर्णय करने से पहले कि क्या यह मामला विशेषाधिकार समिति को प्रस्तुत किये जाने योग्य है या नहीं तीन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिये। ये तीन प्रश्न निम्नलिखित हैं :—

पहला प्रश्न तो यह है कि क्या माननीय सदस्य, श्री लिमये, इस मामले को विधि-न्यायालय में ले जा सकते थे। इस पर माननीय सदस्य ने स्वयं ही उत्तर दे दिया हुआ है कि आपने उस प्रश्न का न में उत्तर दिया था।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या असद्भाव का आरोप लगाने का अधिकार न्यायालय जाने के अधिकार से सम्बद्ध है। यदि मेरे विधि सम्बन्धी ज्ञान पर विश्वास कर लिया जाये तो मेरा यह विचार है कि न्यायालय जाने का अधिकार असद्भाव का आरोप लगाने के अधिकार से सदा संबद्ध है और इसे या तो सम्बद्ध व्यक्ति को स्वयं और या फिर न्यायालय को देखना चाहिये कि क्या आरोप ठीक लगाया गया है या गलत और उसके क्या परिणाम निकलेंगे।

तीसरा प्रश्न यह है कि क्या कोई सदस्य अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करने से विशेषाधिकार नियम को भंग करता है अथवा नहीं इस पर भी मैं आपके प्राधिकार से कह सकता हूं कि हाल ही में मेरे द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न पर आपने विनिर्णय दिया था कि जब कभी कोई नागरिक अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करता है तो उससे विशेषाधिकार भंग नहीं होता है।

मैं निवेदन करता हूं कि इन तीन प्रश्नों के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए आपको अपना अन्तिम विनिर्णय देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात की हैरानी हो रही है कि इस मामले को ठीक प्रकार से समझा नहीं जा रहा है। कौन कहता है कि सदस्य को न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं है ? यह बात नहीं है कि वह न्यायालय नहीं जा सकता था, और यह बात भी नहीं है कि वहां जाने से उसे असद्भाव का आरोप लगाने का अधिकार मिल जाता है अर्थात् चूंकि वह न्यायालय जा सकता है इसलिये वह शपथपत्र भी फाइल कर सकता है कि अध्यक्ष ने असद्भावना बरती है . . .

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उसके ज्ञानानुसार ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

इसलिये समिति को केवल यही प्रश्न सौंपा जा सकता है कि क्या उस समय की परिस्थितियों के अन्तर्गत शपथपत्र में असद्भाव का आरोप लगाना न्यायसंगत था।

Shri Madhu Limaye : Before or afterwards.

Mr. Speaker : The Committee will see to that.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मैं आपका ध्यान नियम 226 की ओर आकर्षित कर सकता हूं. .

अध्यक्ष महोदय : इसमें अब देरी नहीं की जानी चाहिये।

श्री दाजी (इंदौर) : क्या मैं एक बात कह सकता हूं ? यदि आप दूसरे सदस्यों को अनुमति दे रहे तो आप मुझे भी एक बात कह लेने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : सभी सदस्यों की बारी नहीं आ सकती ।

श्री हरि विष्णु कामत : इस मामले को समिति को भेजने से पहले सभा को इस पर नियम 226 के अन्तर्गत विचार करना चाहिये । सभा में ऐसे पहले भी हो चुका है । विशेषाधिकार समिति को भेजने से पहले इस मामले पर सभा में चर्चा होनी चाहिये । इसलिये हम इस पर चर्चा कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसलिये मैंने चर्चा करने की अनुमति दे दी है । परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा । माननीय सदस्य संक्षेप में बोल सकते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मैं संक्षेप में निवेदन कर सकता हूं? सबसे पहले मैं आपकी अनुमति से इस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं कि जो मेरे माननीय मित्र श्री मधु लिमये द्वारा मामले को प्रस्तुत करते समय पैदा हो गई है कि उनका मामला मेरे मामले जैसा ही था ।

मैं आपका ध्यान अगस्त या सितम्बर, 1955 के मामले की ओर दिलाना चाहता हूं । मेरे विचार से सितम्बर, 1955 में श्री अनन्तशयनम आयंगर ने, जो उस समय उपाध्यक्ष थे, मुझे व्यवस्था का प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी थी । तब फिर मैंने प्रार्थना की कि मुझे अनुमति दी जाये । परन्तु वह लगातार इंकार करते गये । तब मैंने कहा कि मुझे खेद है कि मैं आप से सहमत नहीं हूं और मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी जाये । तब उन्होंने मुझे सभा से निकल जाने के लिये कहा, केवल यही बात हुई । तब क्या हुआ कि जब मैं सभा से जाने लगा तो उस समय के कांग्रेसी मित्रों ने---इन्होंने नहीं जो यहां पर अब बैठे हुए हैं परन्त उस समय के कांग्रेसी सदस्यों ने इकठ्ठे हो कर चिल्लाना शुरू किया जिस पर मैंने "बेहूदा, बेवकूफ" शब्दों का प्रयोग किया । उपाध्यक्ष ने, जो उस समय पीठासीन थे, गलती से यह समझा कि वे शब्द मैंने उन्हें कहे हैं । इस पर सभा मुझे निकालने के लिये सहमत हो गई । बाद में श्री मावलनकर ने, जो उस समय अध्यक्ष थे यह सोचा कि यह जो कुछ किया गया है ठीक नहीं है इसलिये उन्होने उस मामले पर मुझे वक्तव्य देने के लिये कहा । इस पर संपूर्ण संकल्प अथवा प्रस्ताव रद्द कर दिया गया । श्री कृपलानी ने सभा में प्रस्ताव रखा कि इसे रद्द किया जाये और प्रस्ताव रद्द कर दिया गया । जब एक सप्ताह के बाद मैं सभा में आया तो श्री मावलनकर ने उस विषय पर वक्तव्य देने की मुझे अनुमति दे दी और मेरे पर लगे आरोप का विखण्डन कर दिया ।

अब मैं आज के विषय पर आता हूं । संविधान से संबंधित किसी मामले पर न्यायालय में जाने का सदस्य का अधिकार है उस सम्बन्ध में कोई झगड़ा नहीं है आपने ठीक ही कहा है । 225 और 226 नियमों से यह स्पष्ट ही हो जाता है कि विशेषाधिकार के कौन से मामले सभा में उठाये जा सकते हैं जिन पर विशेषाधिकार समिति को भेजने से पहले यहां पर चर्चा होनी चाहिये । नियम 226 में कहा गया है कि मामले को समिति में भेजने से पहले सभा उस पर चर्चा कर सकती है ।

अब क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री मधु लिमये शायद अनुच्छेद 113 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय और बाद में उच्चतम न्यायालय गये हैं । उनका यह विचार है कि शायद उसी अनुच्छेद के अन्तर्गत उनका न्यायालय जाने का अधिकार है यदि वह समझते है कि जहां तक सभा का सम्बन्ध है वह अनुच्छेद अप्रयोगावस्था में है ।

अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है, जैसे मेरे मित्र श्री विद्याचरण शुक्ल ने कहा है, कि शपथपत्र में असद्भाव, और यदि मैंने ठीक सुना है, तो द्वेष . . . .

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : द्वेषभाव से ।

श्री हरि विष्णु कामत : असद्भाव अर्थात् बुरी भावना शब्द आपके लिये प्रयोग किये गये हैं । इसलिये सभा को इस बात पर विचार करना चाहिये कि किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष के लिये असद्भाव शब्द का प्रयोग करना कहां तक गलत है, चाहे उसका प्रयोग सभा में किया गया हो या बाहर । आपके

[श्री० हरि विष्णु कामत]

लिय असद्भाव शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है। चाहे हम आपके विनिर्णय से सहमत न हों और कई बार हमने कहा भी है कि हम आपके विनिर्णय से सहमत नहीं हैं, परन्तु हम आपके विनिर्णय को स्वीकार करते हैं और आपके विनिर्णय के लिये असद्भाव आदि शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र, श्री मधु लिमये, ने जो गलती की है उस के लिये उनको क्षमा किया जा सकता है बशर्ते कि वह जो कुछ उन्होंने कहा है और जिस असद्भाव शब्द का उन्होंने आप के लिये प्रयोग किया है, उसके लिये आज सभा में खेद प्रकट करें। यदि वह यह कहते हैं, असद्भाव शब्द प्रयोग करने का उनका यह तात्पर्य नहीं था और उसके प्रयोग के लिये वह खेद प्रकट करते हैं तो मेरे विचार से इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने की आवश्यकता नहीं है।

श्री दाजी : जब यह स्वीकार कर लिया गया है कि सदस्य को न्यायालय जाने का अधिकार है तो मैं यह कह सकता हूँ कि मैं श्री स० मो० बनर्जी और श्री कपूर सिंह के विचारों से सहमत नहीं हूं कि न्यायालय जाने के अधिकार में असद्भाव का आरोप लगाने का अधिकार भी सम्मिलित है।

एक माननीय सदस्य : वरना, किसी व्यक्ति को न्यायालय जाने की क्या आवश्यकता है।

श्री दाजी : यह बहुत खतरनाक दृष्टान्त बन जायेगा। इस बार तो विरोधी सदस्य का मामला है। परन्तु यदि यह दृष्टांत बन गया तो उसका मतलब यह होगा कि भविष्य में कोई भी सदस्य शपथपत्र में किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई भी आरोप लगा देगा और बाद में उस सदस्य के खिलाफ न्यायालय में चला जायेगा और इसका कोई इलाज नहीं होगा।

कानूनी टैस्ट यह होगा कि कोई भी नागरिक न्यायालय के समक्ष कोई भी आरोप लगा सकता है परन्तु यदि वह उस आरोप को न्यायालय में सिद्ध न कर सका तो जिस पर आरोप लगाया है वह मानहानि का दावा कर सकता है। इस तरह यदि मानहानि का दावा हो गया तो इसका मतलब यह होगा कि विशेषाधिकार भंग हुआ है।

समिति को इस बारे में और विचार करना चाहिये। परन्तु मैं आपको और सभा को यह बताना चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री मधु लिमये ने अपने मामले के साथ ही न्याय नहीं किया है। यदि उनका पत्र आपको पढ़ कर सुनाया जाय तो पता चल जाता कि उनका पत्र उनकी भाषा से बहुत विनम्र था।

मैं सभा को दो तीन बातें बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि यदि असद्भाव का आरोप लगाया गया था तो तर्क करते समय उस पर बल नहीं दिया गया था जब उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिये वह उच्चतम न्यायालय गये तो असद्भाव सम्बन्धी सभी तर्क निकाल दिये गये थे। उच्च न्यायालय में भी असद्भाव के बारे में तर्क पर बल नहीं दिया गया था। जब वह उच्चतम न्यायालय में भी गये तो उन्होंने असद्भाव का प्रश्न निकाल दिया।

Shri Madhu Limaye : There is no prayer on that.

श्री दाजी : उच्च न्यायालय को दी गई याचिका में भी कोई विशिष्ट प्रेयर असद्भाव के आरोपों पर आधारित नहीं थी। मैं इस बात को मानता हूं कि असद्भाव का जो आरोप लगाया गया है यह बहुत बुरी बात की गई है। यह आरोप याचिका लिखते समय जल्दी में लिखा गया था इसलिये उनके अपने पत्र से प्रायः यही प्रतीत होता है कि चूंकि उन्होंने मामले को आगे प्रैस नहीं किया अतः हमें शपथपत्र के एक ही वाक्य को नहीं पकड़ लेना चाहिये जिस का उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में प्रयोग नहीं किया गया था। यदि कोई आरोप शपथपत्र में लगाया गया हो परन्तु उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में वह नहीं लगाया जाता है तो उस का मतलब यह होता है कि वह आरोप मामले से निकाल दिया गया है। यदि आप किसी चीज को याचिका में दें और तर्क देते समय उस पर बल न दें

तो इसका मतलब यह है कि आप उसको मान रहे हैं और छोड़ रहे हैं। क्योंकि उस पर आगे बल नहीं दिया गया था इसलिये उस मामले को उठाने से कोई विशेष प्रयोजन हल नहीं होगा।

Shri Rameshwaranand (Karnal) : Mr. Speaker, Sir, I want to submit that none of us should say that we cannot commit a mistake. Any one of us including you, Sir, commit a mistake. I am not saying so with any motive to insult you, I am saying merely because you are also a human being like us. We have seated you on this Chair for respect. We would request you also to understand us rightly. I may be wrong but this is my feeling that you think that those who speak Hindi are either useless or unwise or without any power. Hence we fee ignored. What had happend even today. The question hour was going to be over, only five minutes were left. I stood so many times to ask a question but you did not cast your eye this side. I said in a general way that perhaps there may not be far sighted eye, you could have easily ignored it but you might have thought that we are saying with some intention. If you think, Sir, that I am punishable for the words that I have used, then you should re-think over it. My words contained other mearing also. I have already given in writing that I respect you. What to speak of you, Sir, I do not like to insult even the dogs, horses or donkeys. **(Interruptions).** You kindly listen to me.

Mr. Speaker : If we don't have brain to understand you then you could stop saying.

Shri Rameshwaranand : I have not uttered these words, you could not understand.....

Mr. Speaker : If we can't understand then why are you pressing them.....

Shri Rameshwaranand : May I Submit.....

Mr. Speaker : You please sit down.

Shri Rameshwaranand : You have listened to all, kindly listen to me also. I have a right to say. I will not speak in detail. I want to submit that none of us wants to insult you (**Interruptions**). I always submit to your ruling but these persons speak in between and spoil the whole matter.

I want to submit that the matter of Shri Madhu Limaye should not be further pursued. When we say that we have no intention to insult you but if in reply it is repeated said that no it is there then we can say that we are helpless. I would request again that let the matter may not be further pursued.

Mr. Speaker : I am thankful to you. Now I am not afraid of being insulted of you because you don't insult even the donkey or the dog.

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मई के महीने से जब से श्री शुक्ल ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तब से यह मामला मुझे तंग कर रहा है। प्रस्ताव का मूल पाठ तो मेरे पास नहीं है परन्तु मेरा ख्याल है विशेषाधिकार भंग का प्रश्न दो कारणों से उठाया गया है। पहला कारण तो यह है कि श्री लिमये ने उच्च न्यायालय जाने और मामले को कानूनी कार्यवाई करने का साहस किया और दूसरा यह कि अध्यक्ष महोदय का जिक्र करते हुए उन्होंने असद्भाव शब्द का प्रयोग किया जो निस्सन्देह शपथ-पत्र में है।

[श्री० नारायण दांडेकर]

पहली बात तो यह स्पष्ट ही है कि विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है। जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है, यह खेद की बात है कि श्री लिमये ने, चाहे घटना की कोई भी पृष्ठभूमि हो, चाहे कितनी गर्मी आ गई हो, चाहे कितने उत्तेजित क्यों न हो गये हों, अध्यक्ष के सम्बन्ध में असद्भाव शब्द का प्रयोग किया है।

परन्तु साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने असद्भाव शब्द का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया। यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने इस पर उच्च न्यायालय में बल नहीं दिया तथा उच्चतम न्यायालय को की गई अपील में उल्लेख भी नहीं किया। मेरा विचार है कि उन्होंने आपको जो पत्र भेजा है उसमें यह साफ कर दिया है कि वह गलती पर थे। इसलिये मेरे विचार से यदि श्री मधु लिमये इस बात के लिये खेद प्रकट करते हैं कि उन्होंने बिना किसी अभिप्राय के उस शब्द का प्रयोग किया था तो इस मामले को यहीं समाप्त कर देना चाहिये।

श्री बड़े (खारगोन) : मेरा निवेदन यह है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने से पहले हमें यह निर्णय निश्चय कर लेना चाहिये कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में कुछ कहता है और यदि वह न्यायालय से बाहर कुछ कहता है तो इससे विशेषाधिकार भंग होता है या नहीं। मान लीजिये श्री मधु लिमये ये शब्द न्यायालय के बाहर कहें, तो इस का क्या परिणाम निकला? मान लीजिये वह न्यायालय के समक्ष इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इस से क्या परिणाम निकल सकते हैं?

इसके अतिरिक्त अपनी याचिका देते समय उन्होंने असद्भाव शब्द का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया। यदि वह न्यायालय में अध्यक्ष के लिये असद्भाव शब्द का प्रयोग करते हैं तो न्यायालय उन्हें अवश्य दण्ड देगा। परन्तु हमें यह देखना है कि क्या हम भी दण्ड दे सकते हैं?

इस लिये यदि उनका यह अभिप्राय नहीं था, तो उन्हें अवश्य खेद प्रकट करना चाहिये। मेरा भी यह विचार है कि जब कोई किसी व्यक्ति सम्मानयोग्य व्यक्ति के बारे में असद्भाव शब्द का प्रयोग करता है तो निश्चय ही यह मानहानिकारक है। इसलिये मैं श्री लिमये से प्रार्थना करूंगा कि वह अवश्य खेद प्रकट करें।

श्री शिंकरे : क्या मैं एक बात कह सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : हमें इस प्रकार नहीं चलते जाना चाहिये।

मुझे बार बार कहना पड़ता है कि इस मामले को साफ तौर से समझना चाहिये। यह केवल याचिका का ही मामला नहीं है—केवल याचिका से ही इतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उन्होंने उसमें उस बात को प्रैस नहीं किया। केवल शपथपत्र के बारे में ही कहना पड़ता है कि "यह मेरा वैयक्तिक ज्ञान और विश्वास है"। "वैयक्तिक ज्ञान"—यह आपत्तिजनक बात है, और कोई नहीं।

फिर भी मेरे मन में द्वेष नहीं है और मैं श्री लिमये को दण्ड भी नहीं देना चाहता। उनके प्रति मेरे मन में कोई विपरित भावना नहीं है। परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने भाषण में जो कुछ भी कहा है क्या उसमें खेद नाम का कोई भी शब्द था?

श्री शिंकरे : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि .....

अध्यक्ष महोदय : अब भी मैं सभा को यह कहने को तैयार हूं कि यदि वह खेद प्रकट करें तो उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye : I would like to submit again that Shri Satya Narayan Sinha unnecessarily suspended me from the House for fifteen days. He is not expressing regret. So why should I? When I am suspended from the sitting of the House for a fortnight why can't I feel angry? Am I not a man ? Now I want to know what do you want, Sir ?

Mr. Speaker : I want nothing more from...

Shri Bagri : Such like point of privilege has been there before also.

Mr. Speaker : I have already heard, I can't give chance twice on the same point.

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : जिस प्रश्न पर हमने अब विचार करना है वह बहुत सीधा और सरल प्रश्न है। पंजाब उच्च न्यायालय को श्री मधु लिमये द्वारा भेजी गई लेख याचिका 231/65 में लगाये गये आरोप से अवश्य ही विशेषाधिकार भंग होता है। याचिका के पैरा 10 में उन्होंने लिखा है :

> "जिस दिन याचिकादाता को उपरोक्त उत्तर मिला, लोक सभा में कोलाहलपूर्ण दृश्य था और याचिकादाता को संसद् कार्य मंत्री, श्री सत्य नारायण द्वारा प्रस्तुत किये गये और सभा के नेता श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा समर्थित किये गये प्रस्ताव पर दो सप्ताह के लिये निलम्बित कर दिया गया। अध्यक्ष द्वारा याचिकादाता को नाम लेकर पुकारना और श्री सत्य नारायण सिन्हा द्वारा उसके निलम्बन के लिये उक्त सूचना प्रस्तुत करने का काम केवल नियमों के विपरित ही नहीं था बल्कि असद्भाव का भी था। क्योंकि उसे सचिवालय की मांगों पर चर्चा उठाने और उस सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये दण्ड दिया गया था।"

यह सच नहीं है। यदि आप 8 अप्रैल 1965 की कार्यवाही को देखें तो पता लग जायेगा कि प्रश्न वे काल के बाद वैदेशिक कार्य मंत्री ने मि० फिजो की चीन यात्रा के बारे में वक्तव्य दिया था। उस समय माननीय सदस्य ने सरकार की नीति को नपुन्सिक बतलाया था। इस पर अन्तर्बाधा हुई और माननीय सदस्य को नाम ले कर पुकारा गया। श्री सत्य नारायण सिन्हा ने प्रस्ताव रखा कि श्री मधु लिमये को दो सप्ताह के लिये सभा से निकाल दिया जाये। इस पर फिर अन्तर्बाधायें हुईं और प्रधान मंत्री ने कहा कि आज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संसद् कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह बिल्कुल ठीक है और उसे सभा के समक्ष अवश्य रखा जाना चाहिये।

माननीय सदस्य की लेख याचिका न केवल अध्यक्ष महोदय बल्कि सभा के नेता और संसद् कार्य मंत्री एवं लोक सभा के सचिव के खिलाफ भी है। चूंकि इससे इन सब व्यक्तियों पर आरोप लगता है इसलियें इस से विशेषाधिकार भंग होता है। पैरा 10 में जो अध्यक्ष महोदय पर जो, "असद्भाव" का आरोप लगाया गया है और कर्त्तव्य पालन में जो उन पर भेद-भाव का आरोप लगाया गया है इससे विशेषाधिकार भंग होता है और इसपर दण्ड दिया जा सकता है। ये सब मामले सभा की आन्तरिक कार्यवाही में आते हैं जिस के लिये आप सर्वोच्च हैं। निर्णय चाहे गलत हो अथवा सही परन्तु सभी को वह मानना होता है। आपके आदेश का पालन करना प्रत्येक सदस्य का कर्त्तव्य है।

[श्री जगन्नाथ राव]

पंजाब उच्चन्यायालय के सर्किट बैंच ने याचिका को रद्द कर दिया और आपके निर्णय को माना। इस लिये इस मामले को या तो विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिये और या सभा के निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह देखना कि अध्यक्ष पीठ पर असद्भाव का आरोप जानबूझ लगाया गया है अथवा अन्यथा इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वह बिना शर्त के सभा में माफी मांगने को तैयार हैं या नहीं। यदि उन्होंने यह आरोप जानबूझ कर नहीं लगाया तो माफी मांगने में उन्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिये। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये जहां इन सब बातों पर विचार कर निर्णय लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रस्ताव यह है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये।

अब जिन सदस्यों ने यह कहा था कि यदि वह माफी मांग ले तो इस मामले को समाप्त किया जा सकता है, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : One minute, Sir, and I want to say one thing. It is clear from my petition that I have used the word *Mala fide* only against Shri Shri Satya Narayan Sinha. But had you not named me at that time the matter could have ended.

अध्यक्ष महोदय : मैं समिति को केवल यही प्रश्न सौंप रहा हूं कि वह यह देखे कि अध्यक्ष महोदय, संसद् कार्य मंत्री और प्रधान मंत्री पर जो असद्भाव का आरोप लगाया गया है उससे विशेषाधिकार भंग होता है या नहीं।

जो इसके पक्ष में है वे कृपया 'हां' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : जो विपक्ष में हैं वे कृपया 'न' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : 'हां' वाले जीत गये।

Some Hon. Members : No.

Mr. Speaker : Do hon. Members challenge it ?

Shri Bagri : Yes, Sir,

अध्यक्ष महोदय : गोष्ठी कक्ष खाली कर दिये जायें।

Shri Bagri : There is no need of Division.

Mr. Speaker : Is not division required ?

Shri Bagri : No, Sir.

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि मतविभाजन की जरूरत नहीं है। इस लिये 'हां' वाले जीत गये।

श्री नाथ पाई : प्रधान मंत्री पर नहीं केवल अध्यक्ष महोदय पर असद्भाव शद्व के प्रयोग से संबंधित प्रश्न सौंपा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं ?

श्री नाथ पाई : हम सरकार के प्रति कभी भी असद्भाव शद्व का प्रयोग कर सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : हम सभा में और सभा के बाहर भी इस शद्व का प्रयोग करते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या मतविभाजन होगा अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने कहा था कि इस की आवश्यकता नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : एक बार मतविभाजन के लिये कह कर इसे इस प्रकार समाप्त नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : गोष्ठी कक्ष खाली कर दिये जाये।

श्री हरि विष्णु कामत : हमने किस बारे में मतदान करना है।

अध्यक्ष महोदय : कण्डिका तीन के बारे में जिसमें लिखा है :

"कि लोकसभा के अध्यक्ष पर श्री मधु लिमये द्वारा लगाये गये असद्भाव और विद्वेष (मैलिस) के आरोप से विशेषाधिकार भंग होता है।"

Shri Madhu Limaye : The word "Malice" is not there and should be removed.

Mr. Speaker : Then the only question is whether Shri Madhu Limaye committed contempt of the House, or a breach of privilege by alleging *mala fide* against the speaker of Lok Sabha.

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न यह है :

"कि यह विषय विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : अध्यक्ष महोदय, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :

(एक) कि लोक-सभा द्वारा 17 सितम्बर, 1965 को पास किये गये इलायची विधेयक 1965 से राज्य-सभा अपनी 25 नवम्बर, 1965, की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई।

(दो) कि लोक-सभा द्वारा 19 नवम्बर, 1965 को पास किये गये विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1965, के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

रेल्वे अधिसमय समिति का प्रतिवेदन
REPORT OF RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं रेलवे अभिसमय समिति, 1965, का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

केरल विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1965
KERALA APPROPRIATION NO. 5 BILL 1965

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि केरल राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1965–66 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केरल राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1965–66 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

श्री ति० त० कृष्णम्माचारी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित भी करता हूं।

बिजली (संभरण) संशोधन विधेयक, 1965
ELECTRICITY (SUPPLY) AMENDMENT BILL, 1965

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मैं बिजली 'संभरण' अधिनियम, 1948 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बिजली (संभरण) अधिनियम, 1948 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

डा० कु० ल० राव : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

व्यवस्था के प्रश्न के बारे में

RE : POINT OF ORDER

अध्यक्ष महोदय : कल का एक और व्यवस्था का प्रश्न था जिसे हमने आज के लिये रखा था। पहले ही काफी समय लिया जा चुका है। इसपर हम कल विचार करेंगे।

दिल्ली माध्यमिक शिक्षा विधेयक—जारी

DELHI SECONDARY EDUCATION BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री मु० क० चागला द्वारा 26 नवम्बर, 1965 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :

"कि दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा की अच्छी व्यवस्था और विकास का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

चार घंटे का समय नियत किया गया है। एक घंटा पहले ही बीत चुका है।

Shri Naval Prabhakar (Delhi-Karolbagh) : Mr. Speaker, Sir, on that day I was speaking about the aided schools and the recognised schools. In these schools it has often been noticed that students are declared unsuccessful even after they qualify the examinations and score good marks, for the reason that they do not pay the teachers. Even the marks in the report books are changed afterwards.

[श्री विद्याचरण पीठासीन हुए
SHRI VIDYA CHARAN *in the Chair*]

Admission in schools is also a great problem. Rs. 200 to 2,000 are demanded for the admission for one child. Severe tests are held at the time of admissions and every student is not admitted.

There are two types of schools. One is recognised and the other is both recognised and aided. Regarding the fees charged in recognised and aided schools the Education Director will ensure that they are not excessive. Regarding the recognised schools nothing has been said. I suggest that there should be similar provision with regard to recognised schools also.

At present the Director of Education has been vested with absolute powers for recognising or cancelling the recognition already given to the schools and for inflicting times. To vest one individual with so much of powers is not good. I suggest that a committee of Delhi M.P.'s should be constituted to decide these questions and this committee should meet from time to time.

I have moved an amendment to my original amendment to the effect that the date 27th Feb., 1966 be changed to the first day of the next session. I hope this will also be accepted.

श्री बैरो (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : मैं संशोधन का विरोध करना चाहता हूं। मैं संयुक्त समिति में हूं। अत: मैं केवल इस अवस्था पर ही इस संशोधन का विरोध कर सकता हूं। बाद में मुझे बोलने का अवसर नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय : जब आप बोलेंगे तब अपना अपना विरोध व्यक्त कीजियेगा ।

Shrimati Laxmi Bai (Vicrarabad) : Mr. Chairman, Sir, the private schools are more of a business centres than the educated institutions. They do not provide furniture and other facilities to the students. Their only aim is to make money.

The teachers also are in a very bad state. They are very poorly paid and despite the hard work they put in they are not given adequate facilities. Persons with similar qualifications are much better off in other Government Departments and they have far better avenues of promotion. This is the only reason why good teachers are not forthcoming.

The condition of language teachers is even worse. The teachers of vernacular languages are not treated at par with the english language teachers and that is why the percentage of failures is more in the vernacular languages.

There is no provision for the housing accommodation to the teachers. In other Departments the employees get the accommodation at their turn, but for teachers there is no guarantee either for accommodation, salary or promotion and much less in private schools. There should be an All India Service for the education.

It is very sad that in this Bill no provision has been made for the education of the girls. The Central Government is not giving proper attention to the girls education. The girls education should be made a Central subject. If you want to remove illiteracy from this country, educate the girls.

Attention is not paid to the construction of buildings for the schools. Out of 48 applications received by the Government for the construction of buildings only one or two were considered and the rest turned down on one or the other pretexts. There is so much of red-tapeism that it takes a very long time in getting the aid.

I suggest that only lady teachers should be taken, because men can get other jobs also. This will help spreading the education. Women attend to their more carefully, but men generally takes part in politics. The primary education should be given wholly to the women teachers. Every Head of a high school should be a lady, the educated boys can go to so many other fields of services.

Changes are also necessitated in the syllabus. We should create in our children love for physical work.

A lot of public money is spent on the education of boy students in the form of scholarships. They are sent abroad on Government expenses for receiving education. After receiving education they make their homes abroad. This tendency should be discouraged.

Shri K. L. Balmiki (Khurja) : Mr. Chairman, Sir, Secondary education is the foundation of the educational system. If the secondary education is weak the whole structure of education will fall down.

In the years gone-by the Government ought to have tried to establish closer relations between the teacher and the taught. There should be mutual understanding between the two.

Our teachers come and teach but they are indifferent. Our students also do not have enthusiasm. There is indiscipline among them and I also hold the Government responsible for this.

There are certain private schools run by other religious organisations. They are spending heavily on these institutions. This only increases the disparity in the field of education which is against our socialistic set-up.

I want to know from the hon. Education Minister what steps he has taken for the removal of disparity in education. The children of the Ministers are receiving education in the higher educational institutions. These institutions have lot of funds. I want that the children of both the rich and the poor should receive the same education. There should not be any difference in the field of education.

In the olden days Lord Kirshna and poor Sudama studied in the same Gurukul. Now-a-days the children of the rich are studying in costlier institutions where the poor cannot afford 'to send their children. You should bring a Bill by which the children of the Prime Minister, the President and the scavenger should receive education in the same manner.

The result of the schools which are directly under the Education Directorate is much poor in comparison to that of private schools. The reason for this is that an eye is kept upon the private school teachers and they are warned also. I do not know what steps you propose to take in this regard.

You want to give more powers to the Director of Education, but I feel that if more powers are given in our hand they are likely to be misused.

The Committee should also consider the measures for improving the management of the private schools run by different organisations. The education Directorate should also be represented in the managing committees of the schools. If the private schools do not abide by the rules they should not be recognised.

More burden should not be put on the recognised aided schools. Government is giving 95 percent money but that is often given very late and as a result of that difficulties arise. Moreover it is difficult to meet the pay of the teachers from the 5 per cent money. We should try to raise the standard of education.

Shri Rameshwaranand (Karnal) : Mr. Chairman, Sir, our Education Minister will have first of all to visualise the difference between an educated person and an illiterate person. To day the teachers are least worried if the students under them do not pass.

In Government if any employee does anything wrong, his explanation is called , but this thing is not applied to the teachers if the students under his charge do not pass. The teachers are only interested in adding to their income through private tuitions.

The poor parents cannot afford private tuitions for their children. The children of the villagers can never compete. With the children of the English read parents and as a result thereof the former generally get through in the third division. The third divisioners cannot get admission in good institutions. If they go in search of a job there also they are rejected on this very ground. I, therefore, suggest that this third division should be abolished so that the weak students can make up their deficiency and qualify next year with better marks rather than passing in thrid division.

The education should be imparted in the another tongue only. There should be uniformity of education throughout the country. At present two systems are prevalent in the country, the high school and higher secondary. This is bad. One of these should be dispensed with and the other continued.

[Shri Rameshwaranand]

An educated person should possess high character, good health and good learning. But in the modern educated persons we do not find those virtues. In this statement it is given that schools not having buildings of their own will not be given aid. This is very bad, the buildings have nothing to do with the education, it is the students who are to be educated: this restriction should be removed. The schools belonging to the minorities are receiving aid from foreign countries. They have high buildings and the Government is also giving them the maximum aid. As regards the secondary education the Government should see that all receive the same type of education. Unless there is equality in the education you cannot bring equality among the people.

The rich and the poor should be given the equal right to the education. We see that the children of the rich can get admissions to higher classes and courses because they have money and other resources, but the parents of the poor students do not have such things. They cannot get admission and therefore they do not get opportunities to develop their faculties. It is the duty of the Government to see that all and sundry get the education.

Religion should also be introduced in the education. By religion I do not mean the arthodox things, but the virtues which teach equality and humanity, without religious virtues the education is not complete.

In the good old days the children were taught that they should never tease others, take bribe, make theft or oppress others and if they did they would suffer in the similar way in their next lives. Today the emphasis is laid only on the education of science. Religion and philosophy have no place in your education and in your science. Special education should be imparted on these subjects.

The schools belonging to the minorities are receiving more of aid and charging maximum of fees. This should be looked into.

श्री श० ना० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय .....

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : क्या प्रवर समिति का कोई सदस्य इस वाद-विवाद में भाग ले सकता है ?

सभापति महोदय : परम्परा ऐसी है कि प्रवर समिति का कोई सदस्य आमतौर पर बोलता नहीं है, किन्तु किसी सदस्य को बोलने से रोका भी नहीं जा सकता।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : सरकार संभवतः प्रस्तुत विधेयक को काफी महत्व नहीं दे रही है। मेरी इच्छा यह थी कि यह कहीं अधिक अच्छा होता यदि शिक्षा मंत्री महोदय प्रस्तुत विधेयक पर विचार करने वाली प्रवर समिति के एक सदस्य होते।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं प्रवर समिति की बैठकों में सदैव उपस्थित रहूंगा।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : इस सम्बन्ध में कुछ विशेष अधिक महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धान्त अन्तग्रस्त हैं। इस मामले के प्रशासनिक पहलू पर अत्याधिक विचार नहीं किया जाना चाहिये। हमें कुछ अन्य मामलों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। मुझे इस समय केवल इतना ही कहना है कि विचार इस बात पर किया जाना है कि बहुत सी शक्तियां अब भी विभाग में निहित हैं और किस प्रकार उन्हें उपयोग में लाया जा रहा है तथा क्या विभाग इस सम्बन्ध में सक्रिय है।

श्री मानसिंह पु० पटेल (मेहसाना) : शिक्षा मंत्री, श्री चागला शिक्षा-क्षेत्र में प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर कई कानूनों में संशोधन करने का प्रयत्न कर रहे है आम तौर पर माध्यमिक शिक्षा को गैर-सरकारी प्रबन्ध का विषय समझा जाता है। केवल कुछ ही 'मौडल' स्कूलों को, चिन्हें बहु प्रयोजनीय स्कूल अथवा जिला मुख्यालयों में स्थित सेन्ट्रल स्कूल कहा जाता है, सरकार द्वारा विभागीय स्कूलों के रूप में चलाया जाता है। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह कहा है कि संघीय राज्यक्षेत्र दिल्ली में लगभग 50 प्रतिशत स्कूल गैर सरकारी हैं और लगभग उतने ही प्रतिशत सरकारी स्कूल हैं। शिक्षा मंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिये कि क्या सरकारी स्कूलों को भविष्य में गैर-सरकारी प्रबन्ध के स्कूलों अथवा न्यासी स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जायेगा अथवा क्या वह यह समझते हैं कि ऐसा समय आ सकता है जब कि प्रशासन को कोई माध्यमिक स्कूल अपने हाथ में लेने पड़ेंगे। माध्यमिक शिक्षा, निसन्देह, राज्य विषय है और जहां तक केन्द्रीय राज्यक्षेत्रों विशेषत: दिल्ली का सम्बन्ध है, उसके लिये केन्द्रीय सरकार उत्तर-दायी है। लोगों में एक ऐसी भावना व्याप्त है कि सरकार या तो माध्यमिक शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं कर सकती अथवा यह कार्य उसकी क्षमता से बाहर है। अत: गैर-सरकारी लोगोंने शिक्षा अथवा प्राइवेट स्कूलों को अपनी जीविका कमाने का एक साधन मान लिया है। देश में कुछ ही ऐसे राज्य हैं जिन्होंने गैर-सरकारी स्कूल चलाने की अनुमति दी हुई है। किन्तु इन स्कूलों में दोषपूर्ण प्रबन्ध है।

प्रस्तुत विधेयक को अच्छी प्रकार तैयार नहीं किया गया है। इस तरह के प्रारूप से उन लोगों के मन मे, जो स्कूलों का प्रबन्ध कर रहे हैं, ऐसे कई सन्देह उत्पन्न हो जायेंगे कि प्रशासक अथवा प्रबन्ध को कई शक्तियां दिये जाने की संभावना है। इस-लिये, विधेयक के प्रत्येक खण्ड पर पुन: विचार करने तथा उसे फिर से तैयार करने की आवश्यकता है।

जहां तक 'प्रबन्धक' शद्ध की व्याख्या का सम्बन्ध है, प्रबन्धक के नाम पर किसी व्यक्ति विशेष को, चाहे वह वैतनिक हो अथवा अवैतनिक, व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। अत: मैं यह अनुरोध करूंगा कि किसी व्यक्ति विशेष को 'प्रबन्धक' के नाम से नहीं अपितु समिति को सामुहिक रुप से उत्तरदायी ठहराया जाये। प्रबन्धक की नियुक्ति के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया जाना चाहिये।

खण्ड 3(1) (च) में यह उपबन्ध कि यदि किसी स्कूल का नाम किसी जाति अथवा सम्प्रदाय के नाम पर रखा जायेगा तो उसे मान्यता नहीं दी जायेगी, सिद्धान्त रूप में ठीक है तथापि इससे शिक्षा के प्रसार में अप्रत्यक्ष रूप से हानि होगी जब तक कि यह सिद्धान्त अन्य सभी शिक्षा संस्थाओं द्वारा भी स्वीकार न किया जाए।

आज शिक्षा का व्यापक रूप से प्रसार हो गया है किन्तु भवन उपलब्ध नहीं हैं—उनकी कमी है। स्वीकृति देने के लिये इमारत की शर्त को बनाये रखना ठीक नहीं है।

खण्ड 5, उप-खण्ड 3 में, उपबन्धित 15 दिन की अवधि काफी नहीं है। आमतौर पर प्रबन्धक समिति को बैठक बुलानी होती है, उसके पश्चात् योजना को समझकर ही स्वीकृति देनी पड़ती है। इस लिए, इस प्रयोजन के लिये 15 दिन की अवधि पर्याप्त नहीं है।

जहां तक अध्यापकों को प्रबन्ध समिति के साथ सम्बन्धित किये जाने का सम्बन्ध है, मैं चार अथवा पांच माध्यमिक स्कूलों तथा दो कालेजों के साथ रहे हुए अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि प्रबन्ध समिति तथा अध्यापकों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना बहुत ही कठिन है। आमतौर पर स्कूल का प्रधानाध्यापक

[श्री मानसिंह पु० पटेल]

का प्रबन्ध समिति के साथ सम्बन्ध तो बना ही रहता है और योग्य अध्यापक भी सम्बन्धित रह सकते हैं। किन्तु विधेयक में वरिष्ठता के अनुसार बारी बारी से चुने जाने की जो व्यवस्था की गई है, वह वांछनीय नहीं है। इससे शिक्षा के हित को अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंच सकती है।

विधेयक के खण्ड 8 में की गई यह व्यवस्था कि सरकार को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह किसी भी स्कूल के प्रबन्धक को उससे स्पष्टीकरण मांगने के पश्चात् हटा सकती है, मेरी समझ में, निकृष्ट है। यह अत्याधिक अनुचित है कि केवल इस कारण, कि सरकार ने स्कूल को मान्यता दी है और अनुदान दे रही है, वह प्रबन्ध को हटा सकती है। यह खण्ड बहुत ही शख्त है।

प्रस्तुत विधेयक के खण्ड 11(2) में यह व्यवस्था की गई है कि निदेशक की लिखित अनुमति के बिना किसी अध्यापक को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मैं इस खण्ड के अन्य चीजें का पूर्णतः अनुमोदन करता हूं किन्तु "लिखित रूप में निदेशक की पूर्ण अनुमति लिये बिना" शब्द हटा दिये जाने चाहिये। किसी अध्यापक को निलम्बित करने का अन्तर्निहित अधिकार प्रबन्ध समिति का है। इसके अलावा कुछ मामलों यथा नैतिक चरित्रहीनता (मॉरल टर्पिट्यूड) आदि के सम्बन्ध में समिति को किसी अध्यापक के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करनी पड़ सकती है।

जहां तक संभव हो माध्यमिक शिक्षा को गैर-सरकारी लोगों के नियंत्रण के अधीन रहने दिया जाना चाहिये क्योंकि माध्यमिक शिक्षा की उन्नति करना सरकार की समर्थता से बाहर है।

[श्री सोनावणे पीठासीन हुए
SHRI SONAVANE *in the Chair*]

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : Mr. Chairman, Sir, The Government have brought forward this Bill very late. It should have been brought earlier. All the clauses and provisions of the bill do not deserve approval and support. It has many shortcomings. It is good that the bill is being referred to the select committee.

For the smooth and efficient running of the secondary schools, it is necessary that parents, guardians and teachers should be associated with the management of the schools, secondly, persons who give financial assistance to these schools and those who are interested in the cause of education should also be associated with the management.

The worst part of the bill is a provision in clause 11(2) which says that without the previous sanction in writing of the Director, a teacher cannot be suspended. It is, no doubt, a very peculiar provision that the appointing authority, namely the managing committee is not considered competent enough to suspend a teacher.

In Delhi, most of the private schools have not their play-grounds. The Government should try to help them to get proper sites for buildings, play-grounds etc.

A proper policy should also be formulated in regard to the Reserve Fund. There is a disparity in the pay-scales of teachers in Delhi. It is necessary to prescribe pay scales of teachers in order to bring uniformity in their pay-scales.

Restrictions should not be imposed on associating the name of a school with a particular sect. What is, of course, needed is to keep in our mind the ideal of secularism because the name associated with a school does not denote as significance as does the education imparted therein.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

To engage a paid manager in these institution will prove very harmful. So far as the efficient running of an institution is concerned, it does not depend upon the Manager, but it actually depends upon the teachers and the head of the institution.

The Government should clearly lay down the policy whether they want the secondary schools to be run by private people or institutions or they themselves want to run these schools.

In order to establish direct contact between the guardians and the teachers, every school should have a consultative committee.

श्री अ० शं० अल्वा (मंगलौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक के उपबन्धों का पूर्णत: समर्थन करता हूं। यह सर्व विदित तथ्य है कि केवल दिल्ली में नहीं अपितु बाहर भी कुछ स्कूलों का प्रबन्ध अति दोषपूर्ण है। वास्तव में जिन स्कूलों को उचित तरीके से चलाया जा रहा है, उन पर इस विधेयक के दण्ड सम्बन्धी उपबन्धों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इन उपबन्धों का प्रभाव केवल उन्हीं स्कूलों पर पड़ेगा जिनका प्रबन्ध ठीक प्रकार नहीं चलाया जा रहा है।

प्रस्तुत विधेयक में यह उपबन्ध बहुत ही सराहनीय है कि निदेशक को यह शक्ति दी गई है कि वह यह सुनिश्चित करे कि अध्यापकों को मनमाने ढंग से न निकाल दिया जाए क्योंकि प्रबन्धक अपनी इच्छानुसार झूठे आरोप लगाकर अच्छे एवं योग्य अध्यापकों को बिना किसी अन्य कारण के निकाल देते हैं। ऐसे निर्णय के विरूद्ध उपयुक्त प्राधिकार के समक्ष अपील दायर करने के सम्बन्ध में उपबन्ध भी सराहनीय है।

इस सम्बन्ध में, मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रबन्धक समिति को भी इसी प्रकार का अपील दायर करने का अधिकार दे दिया जाना चाहिये। यदि कोई ऐसा अध्यापक है जो संस्थान के लिये हानिकारक सिद्ध होता है, तो प्रबन्धकों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि ऐसे अध्यापकों को पदच्युत करें। परन्तु यदि निदेशक इस पर आपत्ति उठाता है तो प्रबन्धकों को यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि ये इस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करें और यह सुनिश्चित करें कि उस अध्यापक को पदच्युत किया जाए।

यह निश्चित बात है कि प्रबन्धक समिति, जिसमें अनेक व्यक्ति होते हैं, ठीक प्रकार संस्था का प्रबन्ध नहीं कर सकते। इस लिये यह आवश्यक है कि प्रबन्धक समिति एक प्रबन्ध मनोनीत अथवा नियुक्त करे जो उनकी ओर से स्कूल का प्रबन्ध चलाए।

वार्षिक निरीक्षण के सम्बन्ध में उपबन्ध सराहनीय हैं। यह कहना निरर्थक है कि गैर-सरकारी प्रबन्धकों द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, उसमें सरकार हस्तक्षेप न करे। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि छात्रों को उचित प्रकार की शिक्षा दी जाए तथा गैर-सरकारी स्कूलों का प्रबन्ध उचित रूप से चले।

[श्री अ० शं० अल्वा]

यद्यपि अल्पसंख्यकों के स्कूल अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाये जा रहे हैं फिर भी उन्हें इस का लाभ नहीं उठाना चाहिये और स्कूलों को इस प्रकार नहीं चलाना चाहिये जो विद्यार्थियों के लिये हानिकारक हो।

प्रस्तुत विधेयक में अध्यापकों को प्रबन्धक समिति से वरिष्ठता के अनुसार बारी बारी से सम्बन्धित किये जाने की व्यवस्था सराहनीय है क्योंकि उनकी सलाह प्रबन्धक समिति को अवश्य मिलनी चाहिये।

स्कूलों को मान्यता प्रदान करने तथा मान्यता रद्द करने के सम्बन्ध में उपबन्ध बनाया गया है। हमें इस बात पर आग्रह नहीं करना चाहिये कि स्कूलों के भवन पक्के हों। हम मामूली भवनों के साथ काम चला सकते हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में उचित नियम बनाने चाहिये।

सरकारने यह विधेयक प्रस्तुत करने में विलम्ब किया है। आशा की जाती है कि प्रस्तुत विधेयक में उपबन्धित स्कूलों के प्रबन्ध की नमूने की योजना से समूचे देश का मार्गदर्शन होगा।

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड़) : शिक्षा कार्यक्रमों को पूर्णतः तथा प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करण के लिये आवश्यक सुविधायें दी जानी चाहिए। शिक्षा को गैरसरकारी संस्थाओं के जरिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है क्योंकि सभी संस्थाओं को सरकार नहीं चला सकती। दिल्ली में ऐसे गैर-सरकारी संस्थाएं हैं जिनका प्रबन्ध एवम्-प्रशासन असन्तोषजनक है, किन्तु मालूम नहीं स्कूलों के कुप्रबन्ध को दूर करने की शक्ति दिल्ली प्रशासन को क्यों नहीं दी गई। सरकार अब जो कदम उठा रही है, वह उसने बहुत पहले क्यों नहीं उठाया।

माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों तथा उनके संगठनों ने सम्मेलनों तथा अन्य मन्चों के जरिये उनके वेतन के भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में कई बार शिकायतें की हैं। बावजूद हमारे सराहनीय सिद्धान्तों तथा उद्घोषणाओं के अध्यापकों की दशा बहुत दयनीय है और उन पर दबाव डालकर उन्हें किसी विशेष धनराशि पर हस्ताक्षर करने के लिये बाध्य किया जाता है। ऐसा न किये जाने पर वे प्रबन्ध के कोपभाजन बनकर वहां नहीं रह सकते। इन परिस्थितियों में, अध्यापकों को वेतन लोक शिक्षा निदेशक के कार्यालय द्वारा जारी किये गये चैकों द्वारा दिया जाना चाहिये। उससे स्कूलों के प्रबन्धकों द्वारा की जा रही अनियमित प्रथाएं समाप्त हो जायेंगी।

स्कूलों के प्रबन्ध में सुधार करने के लिए की जा रही व्यवस्था अच्छी है। परन्तु प्रशासन को शक्तिशाली तथा सतर्क रहना चाहिए और देखना चाहिए कि उन बातों का प्रबन्धक पूर्णतया पालन कर रहे हैं।

विधेयक के खण्ड 3 में कहा गया है कि जब तक उसमें उपबन्धित नियमों का पालन नहीं किया जाता तब तक किसी माध्यमिक स्कूल को न तो मान्यता ही दी जायेगी और न ही अनुदान, किन्तु दिल्ली के अधिकांश स्कूलों में स्वच्छता की दशा असंतोषजनक है और इससे स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। अतः स्कूलों का सर्वेक्षण करके इस बात का पता लगा कर कि कितने स्कूलों के पास इमारतें तथा खल के मदान नहीं हैं, उन्हें पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना वांछनीय है।

खण्ड 9 में जहां तक सहायता प्राप्त स्कूलों के समूचे व्यय का सम्बन्ध है, इस उपबन्ध में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस समूचे व्यय में क्या-क्या मद शामिल किये गये हैं। इसलिए जब सरकार ने समूचे व्यय वहन करने की सर्वोपरि शक्ति ली है, तो उसकी उचित परिभाषा की जानी चाहिए थी।

खण्ड 21 में कुछ निदेशों की व्यवस्था है जो केन्द्रीय सरकार किसी स्कूल के प्रबन्ध अथवा प्रबन्धक समिति को दे सकती है, मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि निदेश (direction) शब्द का क्या अभिप्राय है।

सभा में एक और पूछा जाने योग्य प्रश्न यह है कि माध्यमिक शिक्षा समिति ने सम्पूर्ण देश की माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में स्थिति तथा हालत का अध्ययन करने के पश्चात् जो कतिपय प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं, उन्हें किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है।

Shri Sheo Narain (Bansi) : I want to speak on this Bill as a teacher. I want to urge that Government should take action towards the nationalisation of education. This experiment should be done in Delhi. The private educational institutions are alright but they are practically run on commercial lines. The teachers of Delhi are in a very miserable conditions. It is the duty of the Government to pay adequate attention to their problems. Private teachers are not getting proper salaries. It is good if the Gurukul System may also be tried. The complaints of mismanagement should be looked into.

I hope that the Minister of Education would pay attention to all these things and the select committee would also give serious thought to them. The Committee would remove all the defects of the Bill and make a Bill a model Bill, so that the rest of the country should also follow the same path. It is in the interest of the welfare of the State.

Shri Mohan Swarup (Pilibhit) : I have to draw the attention of the house towards certain things regarding their Education Bill. This view is gaining ground that the standard of education is coming down. There is no sign of progress in their direction. People remember those days when the education created so many learned people in this country. We must know that education plays an important role in making a man.

The standard of teachers is also deteriorating. Those who don't get jobs anywhere become teachers. The school teachers do not get adequate salaries. That is the main reason why good people do not like to adopt teaching profession. In order that first rate people should come to this field, it is necessary that the condition of teachers, should be improved. The top priority should be given to the education. Teachers should be given handsome salaries.

It has been stated in the objects and reasons that the private institutions indulge in corruption. They try to raise donations in so many ways. And with this plea Government want to interfere in their matters. It is really strange that a manager who is generally appointed by the managing committee can be removed by the Government. I want to urge upon the Government that more schools should be opened in the State of Delhi, and the procedure of giving recognition to schools should be simplified. In this connection the formalities should be reduced to the minimum.

[Shri Mohan Swarup]

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

Let me also state that after a school is opened and certain preliminaries are finalised, the Government should give an adequate amount of money to the school, so that a building may be constructed for it. It would have been better if the Minister had brought forward a comprehensive Bill on this subject for the whole of the country. The distinction between private and public schools should gradually be done away with the discrimation in this direction should be brought to an end in the interests of the education of our children.

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga) : The reforms expected have not been brought in the field of education. The Education Commission has been appointed by the Minister of Education very recently. It is hoped that an educational plan would be given to country which would ultimately improve our educational system in all its directions. I am very sorry to note that our Government are not playing that role in this direction, as was expected of them in the sphere of secondary education. The private institutions are catering to the needs of the people to a very great extent, even at the higher secondary stage. I am also of the opinion that they have still to play their role the reason is that the Government are not able to cater to the needs of the people. Even the people living in the union territory of Delhi are not satisfied with what the Government are doing.

I am of the opinion that it should be made clear whether the Board of Secondary Education in Delhi is being set up under some statute or under some other arrangement. It is not good that wide-powers are being given to the Director of Education. I think that the most of the powers that are being given to the Director of Education should be given to the Board of Secondary Education. This is also necessary that the delegation of powers to the officers under the Director should be up to a certain rank only.

I may also state that there should always be a provision for appeal against the decision of an officer or the Central Government. This is also very essential that the provision of the Bill should apply to all schools. Government should not have any power of exempting certain schools. The Advisory Committee has been proposed in the Bill, I am of the opinion that this advisory Committee should not offer its advice to the Director of Education alone. It should also advise the Government.

I want to stress the need of reconstituting the Board of Secondary Education. And from time to time the Board and the Advisory Committee should advise the Government regarding the efficient management of secondary education. This also required that the management committee should have the power to take disciplinary action against the teacher without the approval of the Director. The teacher should be given the right to appeal against a wrong decision of the committee.

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : इस विधेयक का सम्बन्ध उच्चतर शिक्षा से है। संविधान के अन्तर्गत शिक्षा के मामले में राज्यों को स्वतन्त्रता प्राप्त है, वे इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप को पसन्द नहीं करते परन्तु इसके बावजूद यदि संघ सरकार उन राज्य क्षेत्रों के लिये आदर्श कानून बनाती है जो यह सीधे इसके नियन्त्रण के अधीन है, और उनका राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीति पर भी प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। अतः संघ सरकार को इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर आगे बढ़ना चाहिये तथा संयुक्त समिति को भी इसी दृष्टिकोण से विधेयक पर विचार करना चाहिये।

[श्री सोनवणे पीठासीन हुए
SHRI SONAVANE *in the Chair*]

शिक्षा में माध्यमिक अवस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था है और यह वह अवस्था है, जिसमें शिक्षा कुछ मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रख कर देनी पड़ती है तथा माध्यमिक शिक्षा के लिये अध्ययन पाठयक्रम को तैयार करते समय इन मुख्य उद्देश्यों के तत्वों को ध्यान में रखा जाना चाहिये। इस दृष्टिकोण से प्राचीन भाषाओं का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि देश की संस्कृति के बारे में अच्छी पृष्ठभूमि का ज्ञान कराया जा सके। यद्यपि हमारे देश में हमारी एक ही मिलीजुली संस्कृति है जिसको भारतीय संस्कृति कहते हैं परन्तु हमने इस बात को अभी मान्यता देनी है कि संस्कृति भी भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न रूप धारण करती है।

शिक्षा विशारद का एक कठिन कार्य यह है कि उसे बच्चे को उस संस्कृति का उचित रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिये तैयार करना चाहिये जिसमें उसका पालन-पोषण किया गया है और उसे यह भी सुनिश्चित करना पड़ता है कि उसका इस प्रकार से पालन-पोषण किया जाये कि उसमें अन्य लोगों की संस्कृति के प्रति भी मंत्री भाव हो। यह आवश्यक तथा उचित है कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर से संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिये प्रबन्ध किये जायें। यदि चार वर्ष की अवधि में एक सप्ताह में तीन घंटे एक प्राचीन भाषा के अध्ययन के लिये लगाये जायें तो कोई भी व्यक्ति उस भाषा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यदि विद्यार्थियों को प्राचीन भाषाओं में अच्छी शिक्षा दी जायेगी तो इस से हम उनको संसार में विचलित होने से बचा लेंगे तथा उन्हें जीवन यात्रा का एक उचित मार्ग दिखा रहे होंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है उसे मैंने पूरे ध्यान से सुना है। मेरा निवेदन यह है कि यह ठीक है कि हम इस विधेयक को एक आदर्श विधेयक बनाने का प्रयत्न करेंगे जिसका अनुसरण भारत के अन्य भागों द्वारा, यदि कानूनी विवशता के कारण नहीं तो कम से कम एक आदर्श विधेयक के रूप में तथा कहने मात्र से ही किया जा सकेगा। इस का सम्बन्ध केवल दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में माध्यमिक स्कूलों के प्रबन्ध तथा प्रशासन से ही है। यह विधेयक प्रस्तुत करने का कारण यह है कि हमें स्कूलों के कुपशासन के सम्बन्ध में कई शिकायतें प्राप्त हुई है। हम माध्यमिक शिक्षा में गैर-सरकारी साधनों का पूर्ण समर्थन चाहते हैं। वास्तव में गैर-सरकारी साधन समूचे देश में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य कर रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें गैर-सरकारी साधनों द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों का अधीक्षण तथा नियंत्रण नहीं करना चाहिये। यदि किसी स्कूल को उचित प्रकार से चलाया जाये तो उसे इस विधेयक से कोई डर नहीं है।

सरकार यह आश्वासन नहीं दे सकती कि इस विधेयक का अभिप्राय किसी प्रकार स्कूल चलाने में हस्तक्षेप करना नहीं है। हमने अल्पसंख्यक वर्गों के स्कूलों पर खण्ड 18 लागू नहीं किया है। परन्तु जहां तक विधेयक के अन्य खण्डों का सम्बन्ध है उनसे संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता है।

आंग्ल भारतीय स्कूलों को दी जा रही विशेष सहायता सम्बन्धी कहा गया है। इस सम्बन्ध में यह नहीं भूलना चाहिये कि अनुच्छेद 337 की अवधि केवल दस वर्ष थी और वे अनुच्छेद अब लागू नहीं होते हैं। अतः 337 के उपबन्ध के अन्तर्गत किसी प्राप्त स्कूल तथा विशेष रूपसे प्राप्त स्कूल में कोई अन्तर नहीं है।

[श्री मु० क० चागला]

अब हम अल्पसंख्यक वर्गों के स्कूलों पर भी उचित विनियम लागू कर सकते है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री फ्रैंक एन्थनी ने जो तर्क प्रस्तुत किया है उसमें इतना बल नहीं है। फिर भी हम इस प्रश्न पर प्रवर समिति में विचार करेंगे।

श्री वारियर ने विज्ञान और तकनीकी शिक्षा की बात कही थी। उन्होंने इन विषयों के पढ़ाये जाने पर बहुत बल दिया था। इस बारेमें मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। मैं यह महसूस करता हूं कि हम ने अपनी शिक्षा में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया है। परन्तु मैं उन्हें अब आश्वाशन देना चाहता हूं कि हम माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान का विषय आरम्भ करने जा रहे हैं और इसे यथ सम्भव महत्व देने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे। मैं अपने माननीय मित्र को यह भी बताना चाहता हूं कि विज्ञान और तकनीकी शिक्षा अन्तर्राष्ट्रीय विषय हैं। इसलिये इन विषयों के बारे में भाषा का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मैं उनसे सहमत हूं कि जहां तक सम्भव हो हमें विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा के लिये एक सामान्य भाषा बनानी चाहिये। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि ऐसी भाषा बनाई जा रही है। हमने एक आयोग स्थापित किया है जो इस सम्बन्ध में जांच कर रहा है।

दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि हमारे वैज्ञानिक विज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां 27 प्रयोगशालायें हैं जिनका काम विज्ञान का प्रयोग करना है। माननीय मित्र को यह देखना चाहिये कि उन्होंने कितने महत्वपूर्ण अनुसन्धान किये हैं। मैंने एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिसमें यह बताया गया है कि हमारी प्रयोगशालाओं ने क्या-क्या काम किया है और इससे हमें कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। हमने यह हिदायत भी जारी कर दी है कि सभी प्रयोगशालायों प्रतिरक्षा पर आधारित होनी चाहियें, उन्हें खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के सम्बन्ध में भी ध्यान देना चाहिये। उन्हें ऐसा अनुसंधान भी करना चाहिये जिससे आयात बन्द हो और निर्यात बढ़े। हमारी प्रयोगशालाओं ने पहले भी ऐसे अनुसन्धान किये हैं जिनसे, अब हमें अपनी प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बहुत सी चीजों का आयात नहीं करना पड़ता है। मैं इसपर इसलिये बल दे रहा हूं ताकि इन प्रयोगशालाओं में काम करने वाले हमारे वैज्ञानिक यह न समझें कि उनकी आलोचना हो रही है, प्रशंसा नहीं है।

श्री वारियर : मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमने सारे संसार के विज्ञान की शिक्षा में 5 प्रतिशत योग भी नहीं दिया है। यह मेरी अपनी बनाई हुई बात नहीं है। मैंने यह आंकड़े अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान तथा उसके विकास सम्बन्धी रिपोर्ट से लिये हैं।

श्री मु० क० चागला : परन्तु वे ठीक नहीं हैं।

श्री वारियर : आप इन्हें गलत कह सकते हैं।

श्री मु० क० चागला : हमारे बहुत से वैज्ञानिकों को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बुलाया जाता है। इसलिये मैं अपने माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि भारतीय वैज्ञानिकों का देश में ही नहीं, अपितु विदेशों में भी सम्मान किया जाता है।

मेरे माननीय मित्र ने अमरीकी सरकार के शिक्षा सलाहकार, मि० क्लिनटन विलियम्स की टिप्पणी की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा था कि हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा अधिकतर शास्त्रीय है तथा आर्थिक और तकनीकी आवश्यकताओं पर आधारित नहीं है। परन्तु मैं

यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश में यह प्रथा अंग्रेजों के समय से चलती आ रही है अब हम इसमें परिवर्तन कर रहे हैं। अब हम अपनी शिक्षा का प्रयोग उत्पादन बढ़ाने के रूप में करना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को यह पढ़ा रहे है कि वे अपने हाथ से काम करना सीखें। यदि मि० क्लिनटन विलियमस अब भारत में आयें तो उनकी वह विचारधारा नहीं रहेगी जो 5 अथवा दस वर्ष पहले थी जब वह भारत आये थे।

किसी माननीय सदस्य ने एक बात अध्यापकों के वेतन के सम्बन्ध में उठाई थी। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हममें अध्यापकों के वेतन के लिये विधेयक में पर्याप्त उपबन्ध कर दिया हुआ है। पहली बात तो यह है की जो सहायता दी जा रही है उस में से सबसे पहले वेतन दिया जाना है। दूसरी बात यह है कि हम निदेशक को ऐसी शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि यदि उनके पास कोई शिकायत आये कि कुछ अध्यापकों को वेतन नहीं मिले हैं तो वह उन्हें स्वयं वेतन दे सकता है।

मेरे माननीय मित्र ने सरकारी स्कूलों का उल्लेख करते हुए कहा था कि वे स्कूल अच्छे नहीं हैं। अन्य सदस्यों ने भी सरकारी माध्यमिक स्कूलों की आलोचना करते हुए कहा था कि गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूल उनसे अच्छे हैं। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक सभी स्कूलों पर लागू होता है। यदि कोई सरकारी स्कूल ठीक तरह से नहीं चलाया जा रहा है तो उसपर भी यह विधेयक लागू होगा तथा उसके विरूद्ध भी उचित कार्यवाही की जायेगी। जहां तक प्रबन्ध का सम्बन्ध है, सरकारी माध्यमिक स्कूल तथा गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूल में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

मेरे माननीय सदस्य ने एक विशेष सरकारी स्कूल का उदाहरण देते हुए कहा था कि वहां की अध्यपिकाओं को काफी समय के लिये वेतन नहीं दिये गये थे। उस स्कूल का नाम है राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल, पंडारा रोड। हमने इस बारे में जांच की है और पता लगा है कि अध्यापिकाओं को वेतन देने में विलम्ब का कारण यह था कि मुख्याध्यापिका ने कुछ ऐसी अध्यापिकाओं को जिनकी मंजूरी नहीं ली गई थी मंजूरी प्राप्त तारीख अर्थात् 31 अगस्त, 1964 के बाद तक रोक लिया था। जब अधिक स्टाफ की मंजूरी नही ली होती है तो उन्हें वेतन देने में कठिनाई आ ही जाती है और यही कारण था उन्हें वेतन देने में लगभग दो तीन महीने लग गये।

तब गैर-सरकारी स्कूलों के परीक्षाफल सरकारी स्कूलों के परीक्षाफलों से अधिक अच्छे होने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। परन्तु हाल ही के सरकारी परीक्षाफलों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब प्रतिशतता 54 से बढ़ कर 72/7 हो गई है।

गैर-सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूलों की तुलना में परीक्षाफल क्यों अच्छे होते हैं इस बारे में मैं एक दो चीजें बताना चाहता हूं। अधिकांश गैर-सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को परीक्षा के आधार पर दाखिला दिया जाता है और इस प्रकार जिन विद्यार्थियों को गैर-सरकारी स्कूलों में नहीं लिया जाता है उनको सरकारी स्कूलों में ले लिया जाता है क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को माध्यमिक स्तर तक शिक्षा दें।

सरकारी स्कूल गर्मियों में कक्षायें लगा कर विशेष फीस नहीं लेते। ऐसा गैर-सरकारी स्कूलों में हो सकता है। केवल 30 प्रतिशत गैर-सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूलों की तुलना से अच्छी पढ़ाई होती है अन्य में नहीं।

[श्री मु० क० चागला]

दूसरी बात यह है कि बहुत से सरकारी स्कूल हाल ही में खोले गये हैं। उनको अपना स्तर ऊंचा करने में कुछ समय लगेगा। जैसे ही स्कूल खोलने की आवश्यकता महसूस की जाती है हम स्कूल खोल देते हैं और नये स्कूल को विकसित करने में समय लगता ही है।

श्री नवल प्रभाकर ने कहा था कि किसी स्कूल को मान्यता देने से पहले निदेशक को सलाहकार समिति से परामर्श कर लेना चाहिये। यह बहुत अच्छा सुझाव है और हम इस पर प्रवर समिति में अवश्य विचार करेंगे।

श्री बाल्मीकी ने कहा था कि गैर-सरकारी स्कूलों पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिये। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि जिन स्कूलों में प्रबन्ध ठीक हैं उनको विधेयक के इस प्रबन्ध से कोई डर नहीं है।

हमें प्रसन्नता होगी यदि दयानतदार गैर-सरकारी अधिकरण माध्यमिक स्कूल खोलें। हम उनकी यथासंभव सहायता करेंगे।

धारा 11(2) की ओर भी ध्यान दिलाया गया था और कहा गया था कि इस को विधेयक से निकाल दिया जाना चाहिये। परन्तु मेरे विचार से यह धारा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस से अध्यापकों की सेवा की सुरक्षा बनी रहती है। इस में कहा गया है कि निदेशक की मंजूरी लिये बिना किसी सहायता-प्राप्त स्कूल से किसी अध्यापक को निकाला नहीं जा सकता है।

प्रबन्धक को हटाये जाने के बारे में भी आपत्ति की गई थी। परन्तु इस बारे में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। किसी प्रबन्धक को केवल तभी हटाया जा सकता है, जब वह धारा (6) (4) (ख) और धारा (6) (4) (ग) का पालन नहीं करेगा अथवा जानबूझ कर गलत लेखा रखेगा।

एक माननीय सदस्य ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में पूछा था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मान्यताप्राप्त स्कूलों द्वारा ली जानें वाली परीक्षाओं को लेने के लिये स्थापित किया गया है। जब विधेयक प्रवर समिति के पास जायेगा तो इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा कि इस बोर्ड को अधिक शक्तियां प्रदान की जाये।

यह भी कहा गया था कि निदेशक के निर्णय पर अपील का भी प्रबन्ध होना चाहिये। विधेयक में हमने पहले ही ऐसा उपबन्ध किया हुआ है।

हम इस सुझाव पर भी विचार करेंगे कि सलाहकार समिति को अधिक शक्तियां प्रदान की जायें।

मैं इस विधेयक के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्यों कि यह अभी प्रवर समिति के पास जाना है।

श्री बड़े (खारगोण) : मुझे एक कठिनाई पैदा होने की आशंका प्रतीत होती है। आगे जो स्कूल किसी जाति अथवा सम्प्रदाय के नाम से चल रहे हैं उनको भविष्य में सहायता नहीं दी जायेगी ?

श्री मु० क० चागला : इस बारे में श्री चतुर्वेदी द्वारा दिया गया संशोधन मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं इस पर प्रवर समिति में अवश्य विचार करूंगा। इसके अनुसार ऐसे स्कूलों को मान्यता अस्वीकार

नहीं की जानी चाहिये जिनके नाम जाति अथवा सम्प्रदाय के नाम से रखे गये हैं बल्कि ऐसे स्कूलों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिये जो विद्यार्थियों को दाखिला देने अथवा अध्यापकों को नियुक्त करने में भेदभाव करते हैं ।

मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

सभापति महोदय : कुछ संशोधन हैं । सबसे पहले मैं श्री नवल प्रभाकर द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन संख्या 58 सभा के समक्ष प्रस्तुत करूंगा जिसमें उनके अपने संशोधन संख्या 57 में और संशोधन किये हुए हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि संशोधनों की सूचि संख्या 7 में प्रकाशित रूप में, श्री नवल प्रभाकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 57 जो विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में है, उसमें "by the 8th February, 1966" [8 फरवरी, 1966] के स्थान पर "by the first day of the next session" ["आगामी सत्र के पहले दिन तक"] रखा जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adoputed.*

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 57, संशोधन संख्या 58 द्वारा संशोधित रूप में, सभा के समक्ष प्रस्तुत करूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा की अच्छी व्यवस्था और विकास का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें इस सभा के 30 सदस्य, अर्थात् :—

श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी, श्री अ० इ० था० बैरो, श्री परशोत्तम दास हरिभाई भील, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, श्री श० ना० चतुर्वेदी, श्री विजयसिंहराव रामराव दफले, श्री सुधांशु भूषण दास, श्री गोकरन प्रसाद, श्री शिव चरण गुप्त, श्री हेम बरुआ, श्री कृष्णन मनोहरन, श्री राम चन्द्र मलिक, श्री यमुना प्रसाद मण्डल, श्री माली मरियप्पा, श्री पी० मुथिया, श्री पी० के० वासुदेवन नायर, श्री एस० उस्मान अली खां, श्री रणंजय सिंह, श्री शिवराम रंगू राने, श्री रतन लाल, श्रीमती जयाबेन शाह, श्री दीवान चन्द शर्मा, श्री तयप्पा सोनावने, डा० (श्रीमती) सौन्दरम रामचन्द्रन्, श्री जी० जी० स्वेल, श्री कृष्ण देव त्रिपाठी, श्री तुला राम, श्रीमती विजय राजे, श्री विश्राम प्रसाद ; और श्री नवल प्रभाकर

और राज्य-सभा के 15 सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/ *The motion was adopted.*

श्री सभापति महोदय : अन्य सभी संशोधन अवरुद्ध हुए ।

भारतीय नारियल समिति तथा भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के विघटन के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTION RE : INDIAN COCONUT COMMITTEE AND INDIAN CENTRAL OILSEEDS COMMITTEE—*Contd.*

श्री सभापति महोदय : अब 19 नवम्बर, 1965 को श्री चि० सुब्रहमण्यम द्वारा पेश किये गये भारतीय नारियल समिति तथा भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के विघटन संबंधी संकल्पों पर आगे चर्चा होगी । श्री वारियर ।

श्री वारियर (त्रिचूर) : नारियल एक औद्योगिक वस्तु ही नहीं है यह एक उपयोग की वस्तु भी है । इसके दाम बहुत बढ़ रहे हैं । कीमतों में जो वृद्धि हुई है उसका कारण उत्पादन में हुई कमी है । इसका वृक्षों के कई एक रोग हैं, और यह रोग लगभग 40000 एकड़ कोकोनट क्षेत्र में फैल गया है। इस दिशा में सरकार का ध्यान हमेशा आकृष्ट करवाया जाता रहा है । यह कहा जाता रहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि रोगों को दूर करने के लिये कोई ऐसा नया रासायनिक ढंग है ? परन्तु खेद की बात है कि इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है । नारियल समिति कुछ इस बारे में चल रहे अनुसंधान केन्द्रों का संचालन कर रही है । इन अनुसंधान केन्द्रों को और बढ़ाया जाना चाहिये । इनका विकास करने से काफी लाभ होने की सम्भावना है ।

इस दिशा में यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार ने इस देश में नारियल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कुछ योजनायें तैयार की हैं, और इस उद्देश्य के लिये नये क्षेत्रों में प्रयोग किये जा रहे हैं । इसमें कोई संदेह नहीं कि इससे काफी लाभ हुआ है , और समिति के कार्यों में भी वृद्धि हुई है । अतः मेरा निवेदन यह है कि इस समिति को जारी रखा जाय । इसी सन्दर्भ में मेरा यह भी निवेदन है कि हमारी नौकरशाही की वृत्ति अभी भी चल ही रही है । यह मनोवृत्ति का निर्माण हो गया है कि सब चीजों पर केन्द्रीय नियत्रंण हो । केन्द्र से सारे कामों को ठीक ढंग से नहीं किया जा सकता । नारियल के मामलों में भी यह समझ में नहीं आ रहा कि केन्द्र में बैठकर उतनी लम्बी दूरी से नारियल उद्योग का कैसे ध्यान रखा जा सकता है ।

मेरा सुझाव यह है कि नारियल समिति के पास जो फालतू राशि है उसे अनुसन्धान रोपणियों तथा बीजों में विस्तार करने पर खर्च किया जाना चाहिये । उनका उपयोग उर्वरकों को वितरण करने तथा सिंचाई के लिये भी किया जा सकता है । इसके लिये किसानों तथा रोप ण मालिकों को कुछ सहायता दी जानी चाहिये । सिंचाई, उर्वरकों, कीटनाशक औषधियां इत्यादि का प्रबन्ध करने के लिये विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और सहयोग होना चाहिये । इसके लिये किसी ढंग का विकास किया जाना चाहिये । इस कार्य के लिये ऐसे एक अभिकरण को स्थापित किया जाना चाहिए, जिसका काम इस दिशा में राज्यों और केन्द्र के कार्यों का पूरा समन्वय कर सके ।

इस सम्बन्ध में मेरा एक यह भी निवेदन है कि गत 20 वर्षों के दौरान जितना अनुसन्धान कार्य किया गया है वह पूर्ण रूप से भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाना चाहिए । इसके लिए कर्मचारियों की सेवाओं को जारी रखने के लिये कुछ तरीका अपनाया जाना चाहिए। ये लोग गत 20 वर्षों से वहां निरन्तर कार्य कर रहे हैं। यदि इस बारे में अपने काम को समिति

जारी रखे तो उसमें कोई हानि नहीं । उसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए । ऐसा करने का कोई औचित्य नहीं है और ऐसा करना सामूहिक रूप में राष्ट्र के हित में भी नहीं है । मेरा यह आग्रह है कि सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए ।

श्री मानसिंह पृ० पटेल (मेहसाना) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं परन्तु मुझे इस बात पर संदेह है कि सरकार इन विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत लगाये जाने वाले उपकर को वसूल कैसे करेगी । धारा 16 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि समिति के भंग होने पर सारा धन सरकार के पास चला जायेगा । इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि मुझे तिलहन समिति के विकास सम्बन्धी कार्यों के केन्द्रीकृत हो जाने की चिन्ता नहीं । मुझे तो चिन्ता इस बात की है कि समिति ने गत 8 वर्षों में जिस उद्देश्य के लिए कार्य किया, उसके लिये धन कैसे उपलब्ध हो । क्या इस वस्तु के विकास के लिये नियमित रूप में धन उपलब्ध होता रहेगा ? क्या विधान के द्वारा उपकर वसूल किया जायेगा ? और क्या आजकल जो बड़ी धन-राशि उसे दी जा रही है वह भविष्य में भी दी जाती रहेगी ? ये इस उद्योग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ।

इस समिति में गैरसरकारी सदस्यों की संख्या कम की जा रही है । मेरा निवेदन है कि यदि इसे समाप्त भी कर दिया जाय तो भी समिति को समाप्त करने का निर्णय किसी हालत में नहीं होना चाहिए । वैसे तो इस समिति को प्रथम अप्रैल से समाप्त किया जा रहा है । मेरा मत यह है कि इस समिति को जारी रखा जाना चाहिए । कम से कम वार्षिक अथवा अर्ध-वार्षिक रूप में इसकी बैठकें बुलाई जानी चाहिये । इस बात का पूरा भय है कि पता नहीं अधिकारी इस समिति के बारे में क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं । स्वाभाविक ही है कि हमें उत्पादकों की संख्या की अधिक चिन्ता है । बड़ी स्पष्ट बात है कि यदि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् जिला स्तर पर ही सारे कार्यों को समन्वय करने का काम कर देती है, और उसे उत्पादकों तथा कृषकों की सेवायें उपलब्ध हो जाती है तो निश्चित है कि यह प्रस्तावित योजना सफल हो जायेगी ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

यह बहुत ही आवश्यक बात है कि तिलहन तथा दूसरी चीजों के विपणन की ओर ध्यान दिया जाय । हमारा प्रायः यह अनुभव रहा है कि सरकार जिस समय निर्यात नीति की घोषणा करती है, उस समय तिलहन के उत्पादन की दृष्टि से समय उपयुक्त नहीं होता । इस स्थिति का व्यापारी लोग लाभ उठा लेते हैं । मेरा निवेदन है कि प्रत्येक वस्तु के बारे में जो भी निर्यात नीति हो उसकी घोषणा उत्पादन से बहुत पहले कर दी जानी चाहिये । इससे उसका लाभ सीधे तौर पर उत्पादक को उपलब्ध हो सकेगा ।

श्री मणियांगाडन (कोट्टयम) : मुझे इस बात का खेद है कि मैं इस समिति के विघटन संबंधी संकल्प का समर्थन नहीं कर सकता । यह बात तो बिना किसी संकोच के, गत अनुभव के आधार पर कही जा सकती है कि समिति के कामों से काफी लाभ पहुंचा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने भाषण को अगले दिन जारी रख सकते हैं ।

** पीकिंग में भारतीय कार्यदूत का उठकर चले जाना

†WALK-OUT BY INDIAN CHARGE D' AFFAIRES IN PEKING

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : यह आधे घंटे की चर्चा बड़ी असाधारण है । सभा को याद होगा कि जब यहां अफ्रीकी-एशियाई एकता परिषद् के सदस्यों के लिये स्वागत समारोह में भारतीय

**आधे घण्टे की चर्चा

†Half-an-Hour Discussion.

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

प्रतिनिधिमंडल के अपमान का प्रश्न उठाया गया था। उस समय वैदेशिक कार्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि भविष्य में इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा कि ऐसे समारोहों में उपस्थिति की अनुमति की गलती न की जाय। पीकिंग में हमारे राजदूत को पुनः बहुत ही दुःखद अपमान का सामना करना पड़ा है। हमारे राजदूत स्वयं इस समारोह में उपस्थित होने के बहुत इच्छुक नहीं थे। उन्हें तो उल्लिखित संहिता के अनुसार कार्य करना पड़ा। हमारे वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने उन्हें उस समारोह में सम्मिलित होने को कहा था। इसी समारोह में चीनी नेताओं ने भारत के दृष्टिकोण की बहुत ही गंदी भाषा में आलोचना की थी।

इस सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरण वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसे मैं समझ नहीं पाई हूं। उनका ऐसा कहना आश्चर्यजनक है कि ऐसी बात साधारण आचार संहिता अथवा कूटनीतिक आचार के अन्तर्गत की गयी थी। आखिर कूटनीतिक आचार संहिता में भी कुछ तर्क होना चाहिये। कूटनीतिक आचार संहिता देश की आन्तरिक भावनाओं, गरिमा तथा आदर को तो व्यक्त करती ही है। इस तरह की स्थिति में किसी व्यक्ति का अपमान देश का अपमान है। ऐसे समारोहों में भाग न लेकर हम देश को बहुत बड़े अपमान से बचा सकते हैं। अन्य देशों में ऐसा ही किया जाता है। उन लोगों ने इस तरह के समारोहों में सम्मिलित होने से इंकार किया है। उसका कारण यही है कि चीन उनका अपमान करता है, और फिर इस अपमान को सारे विश्व भर में प्रसारित करता है। इस प्रकार बड़ी विकट स्थिति का निर्माण कर दिया जाता है।

एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इस प्रकार के समारोहों में भाग लिया ही क्यों जाता है। फिर यह भी है कि सभा में भी यह मांग निरन्तर की जाती रही है कि देश की प्रतिष्ठा की दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। चीन, रूस, अफ्रीका तथा मध्य पूर्व के देशों से हमारे सम्बन्ध खराब करने का प्रयास कर रहा है। यह बात तो हमें बड़ी दृढ़ता से निश्चित करनी चाहिए कि जब तक चीन से हमारी शत्रुता चल रही है हम उसके किसी भी समारोह में शामिल नहीं होंगे। उनके साथ केवल न्यूनतम कूटनीतिक सम्बन्ध ही रखे जाने चाहिए। जो कुछ हुआ है, उस दिशा में कुछ किया जाना चाहिए।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : We have been insulted by China at several occasions. The real question is whether our Government are willing to break off the diplomatic relations with China and meet her effectively in repelling her attack on our northern borders. We should try to meet China in the same way as we have faced Pakistan.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह कूटनीतिक संहिता लिखित संहिता है, अथवा केवल परम्पराओं पर आधारित है, और उसे अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। क्या इसका हित हमारे राष्ट्रीय हितों से ऊंचा है ?

श्री श० ना० चतुर्वेदी : जो भी स्थिति है, उसे देखते हुए मैं यह पूछना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान तथा चीन में अपने प्रतिनिधियों को कब तक अपमानित करवाते रहेंगे। कब तक यह धारणा बनी रहेगी कि भारत विरोध पत्र भेजने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : माननीय महिला सदस्य ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं। मैं इस दिशा में भारतीय भावनायें, तथा संसद् में व्यक्त किये गये विचारों से सहमत हूं। दुःख की बात है कि चीनी हमेशा आक्रामक ढंग से बात करते रहे हैं। भारत-पाक संघर्ष के समय उनका व्यवहार और भी निन्दनीय हो गया था। कोई संदेह नहीं कि हम उस पर रोष तथा निराशा की भावना को और अधिक कड़े शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार चीन के साथ हमारे सम्बन्धों के प्रति देश की जो भावनायें हैं उनसे पूर्ण रूप से परिचित है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अन्य राजधानियों में हमारे मिशनों के प्रभारी अधिकारियों तथा कूटनीतिज्ञों को हमने यह स्पष्ट निदेश दे रखे हैं कि वह चीनी राजदूतों द्वारा अन्य राजधानियों में आयोजित किये जाने वाले समारोहों में भाग न लें। फिर भी चीन में होने वाले समारोहों के बारे में हम ने कहा कि मिशनों के हमारे प्रभारी अधिकारियों को साधारणतया: ऐसे समारोहों में शामिल होना चाहिये।

यह कहना सही नहीं कि पीकिंग में हमारे कार्यदूत ने सुझाव दिया है कि उसे समारोहों में शामिल होने के लिये न कहा जाय। वह हमारे बहुत योग्य और अनुभवी कूटनीतिज्ञों में से एक हैं और उन्होंने अपना कर्त्तव्य अच्छी तरह से निभाया है। किसी भी राजधानी में कार्य कर रहा कोई भी राजनयिक सामान्यतया वहां यथासंभव अधिकाधिक सम्पर्क रखना चाहेगा। यह राष्ट्रीय हित में है कि किसी भी राजधानी में हमारे मिशन का कोई भी प्रभारी अधिकारी यथासंभव अधिकाधिक राजनयिकों से अपना सम्पर्क स्थापित करे। हमें एक ऐसा वातावरण नहीं उत्पन्न करना चाहिये जिसमें हमारे कूटनीतिज्ञ प्रतिनिधि उन देशों में सार्वजनिक जीवन से पूर्णतया अलग रहे और ऐसे अवसरों को भी खो दें जब वह अन्य देशों के कूटनीतिक प्रतिनिधियों से मिल सकते हैं।

स्वागत-समारोहों आदि से तो अलग रहना आसान है परन्तु यदि हमारे प्रतिनिधि इन समारोहों में शामिल हों तो इससे हमारा कुछ सम्मान बढ़ेगा। तथा यह हमारी एक साहसपूर्ण कार्यवाही होगी और यदि वहां पर कोई ऐसी बात कही जाये जो भारत के सम्मान अथवा गौरव के विरुद्ध हो तो वहां से उठ कर बाहर जाने का एक सम्मानपूर्वक ढंग अपनाया जाना चाहिए जिससे स्पष्ट है कि उससे एक अधिक प्रभावशाली विरोध प्रकट किया जा सकेगा। जिसकी ओर चीनी नेताओं तथा अन्य सभी व्यक्तियों का ध्यान जायेगा।

30 सितम्बर को जब चीनी प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान पर तथाकथित भारतीय आक्रमण का उल्लेख किया तब हमारे कार्यदूत ने उच्च कोटि के चीनी नेताओं की उपस्थित में समारोह से उठकर चले जाकर विरोध प्रकट किया था। हमारा विरोध प्रकट करने का इससे अधिक सम्मानित तथा प्रभावी तरीका कोई नहीं हो सकता। वैसे चीन के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ने का हमारा कोई विचार नहीं है।

राष्ट्रीय हितों की ओर हमें सबसे अधिक ध्यान देना होगा और हमें कोई बात केवल किसी आचार संहिता के पालन के लिये नहीं करनी चाहिए यदि वह हमारे राष्ट्रीय हित से मेल न खाती हो। हमें यह सदा ध्यान में रखनी चाहिए।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 30 नवम्बर, 1965/अग्रहायण 9, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabhha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, November 30, 1965/*Agrahayana* 9, 1887 (*Saka*).

GIPN—S1—8 Lok Sabha/66—28-9-66—600.